

Service Rules & Code of Conduct

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966
के अन्तर्गत जारी महत्वपूर्ण आदेशों-निर्देशों का संकलन

(दिनांक 5 जनवरी, 2000 से 28 दिसम्बर, 2010 तक)



भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2011

प्रावकथन

शासकीय सेवकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के विषय में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में संशोधन एवं इस नियम के अधीन मार्गदर्शी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं। सभी विभाग एवं प्राधिकारियों की सुविधा के लिये आवश्यक है कि विभागीय जांच से सम्बन्धित जारी समस्त निर्देश एकजायी रूप से उपलब्ध हों। शासकीय सेवकों का निलम्बन/विभागीय जांच/दण्ड से सम्बन्धित आदेश-निर्देशों का संकलन पूर्व में क्रमशः वर्ष 1980 एवं वर्ष 2000 में प्रकाशित किया गया था। इसके पश्चात् इस विषय में कई आदेश/निर्देश/संशोधन जारी किये गये हैं। उपरोक्त दशक में जारी समस्त निर्देशों को तिथिवार संकलित कर यह संकलन प्रकाशित किया जा रहा है।

2. शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के निराकरण में यह संकलन निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

भोपाल.

दिनांक

हस्ता./-
विजया श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

(एक)

विषय-सूची

अनु. (1)	क्रमांक एवं दिनांक (2)	विषय (3)	पृष्ठ क्र. (4)
1	सी-6-11-99-3-एक, दिनांक 05-01-2000	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध अपील/पुनर्विलोकन.	1
2	सी-6-12-99-3-एक, दिनांक 20-01-2000	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन.	3
3	सी-6-1-2000-3-एक, दिनांक 21-01-2000	म. प्र. लोक सेवा आयोग का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97-98 विभागीय जांच प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाना.	4
4	सी-6-2-2000-3-एक, दिनांक 28-01-2000	सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/अभियोजन प्रकरणों का समयावधि में निराकरण.	7
5	सी-6-3-2000-3-एक, दिनांक 02-02-2000	शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही.	10
6	सी-6-9(ए)-99-3-एक, दिनांक 13-04-2000 (संलग्न अधिसूचना दिनांक 21-02-2000).	टास्क समूह क्र.-1 की अनुशंसा-पंचायतों को अंतरित अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार.	13
7	सी-6-4-2000-3-एक, दिनांक 22-06-2000	अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण चेतावनी/चरित्रावली चेतावनी देकर समाप्त न करने बावत्.	16
8	सी-6-5-2000-3-एक, दिनांक 11-08-2000	म. प्र. मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97/98 विभागीय जांच का समयावधि में निराकरण.	19
9	सी-6-6-2000-3-एक, दिनांक 16-08-2000	अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही.	35
10	सी-6-1-2001-3-एक, दिनांक 19-01-2001	योग्य अधिकारी के पैनल में से जांच अधिकारी का चयन शिकायतकर्ता द्वारा किया जाना.	37
11	सी-6-3-2001-3-एक, दिनांक 09-03-2001	प्रमुख वन संरक्षक के स्थान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संशोधन करने बावत्.	39
12	सी-6-4-2001-3-एक, दिनांक 02-05-2001 (अधिसूचना)	अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज को लघुशास्ति के अधिकार	41
13	सी-6-2-2001-3-एक, दिनांक 04-05-2001 (अधिसूचना)	वन संरक्षकों को लघुशास्ति के अधिकार	42

(1)	(2)	(3)	(4)
14	सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 01-01-2002 (अधिसूचना)	संभागायुक्तों को लघु शास्ति के अधिकार	43
15	सी-6-4-2002-3-एक, दिनांक 31-05-2002	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत विभागीय जांच में शासकीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता लेना.	45
16	सी-6-3-2002-3-एक, दिनांक 29-05-2002 (अधिसूचना)	उप-खण्ड अधिकारियों को लघु शास्ति के अधिकार	48
17	सी-6-5-2002-3-एक, दिनांक 17-06-2002 (अधिसूचना)	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-11 में संशोधन.	50
18	सी-6-6-2002-3-एक, दिनांक 30-08-2002	शासकीय सेवकों का निलम्बन, निर्वाह-भत्ता, निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलम्बन से बहाली एवं निलम्बित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन-इकजायी निर्देश.	52
19	सी-6-1-2002-3-एक, दिनांक 06-11-2002	आपराधिक/भ्रष्टाचार प्रकरणों में निलम्बित शासकीय सेवकों की बहाली.	63
20	सी-6-1-2003-3-एक, दिनांक 12-03-2003	अ. जा./अ. ज. जा. प्रवर्ग के शासकीय सेवकों के विरुद्ध एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण.	66
21	सी-6-4-2003-3-एक, दिनांक 31-10-2003	विधानसभा की विशेषाधिकार समिति में विचाराधीन प्रकरणों/अनुशंसाओं पर शासन के अधिकारी द्वारा टीका-टिप्पणी न करने बावत्.	68
22	सी-6-2-2004-3-एक, दिनांक 17-12-2004	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध संभागीय कमिश्नरों द्वारा संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का समन्वय.	70
23	सी-6-1-2005-3-एक, दिनांक 13-01-2005	अनुशासनात्मक मामलों में शासकीय सेवकों का अनावश्यक निलम्बन नहीं करना तथा लघुशास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलम्बन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य की जाना.	72
24	सी-6-3-2005-3-एक, दिनांक 22-02-2005	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-11 के तहत कार्यवाही के सम्बन्ध में.	75
25	सी-6-1-2004-3-एक, दिनांक 17-03-2005 (अधिसूचना)	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-14 में संशोधन.	77

(1)	(2)	(3)	(4)
26	सी-6-4-2005-3-एक, दिनांक 13-04-2005 (अधिसूचना)	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 से संलग्न अनुसूची में संशोधन).	79
27	सी-6-5-2005-3-एक, दिनांक 03-09-2005	मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना प्रकरण क्र. 1138/2005 श्रीमती ललिता देवी मिश्रा विरुद्ध प्रियांशु कमल एवं अन्य में पारित आदेश दि. 26-07-2005.	82
28	सी-6-6-2005-3-एक, दिनांक 21-03-2006 (अधिसूचना)	आयुक्त लोक स्वास्थ्य सेवाएं को लघुशास्ति के अधिकार	89
29	सी-6-1-2006-3-एक, दिनांक 03-01-2006	विभागीय जांच समय सीमा में पूर्ण किये जाने संबंधी अभियान	90
30	सी-6-5-2006-3-एक, दिनांक 16-11-2006	शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने एवं तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही.	93
31	सी-6-1-2007-3-एक, दिनांक 26-02-2007 (अधिसूचना)	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में संशोधन.	95
32	सी-6-2-2006-3-एक, दिनांक 11-09-2007	शासकीय सेवकों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति प्रक्रिया बावत् मार्गदर्शी सिद्धांत.	97
33	सी-6-2-2007-3-एक, दिनांक 01-10-2007	विभागीय जांच में सैवानिवृत्त शासकीय सेवकों से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मानदेय.	100
34	सी-6-3-2007-3-एक, दिनांक 01-10-2007	विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श से असहमत होने पर कारणों का उल्लेख किया जाना.	104
35	सी-6-1-2008-3-एक, दिनांक 20-10-2008	संभागायुक्तों द्वारा अपने ही संभाग में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघुशास्ति के अधिकार.	107
36	सी-6-1-2008-3-एक, दिनांक 15-09-2008 (अधिसूचना)	संभागायुक्तों को लघुशास्ति के अधिकार	109
37	सी-6-1-2009-3-एक, दिनांक 20-05-2009	अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित रहते हुये शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण का निराकरण.	110

(चार)

(1)	(2)	(3)	(4)
38	सी-6-2-2009-3-एक, दिनांक 15-10-2009	विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श हेतु प्रक्रिया का पालन किया जाना-आयोग के 52वें प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 पर कार्यवाही.	112
39	सी-6-3-2009-3-एक, दिनांक 22-10-2009	विभागीय जांच प्रकरणों का एक वर्ष की निर्धारित समयवधि में निराकरण.	123
40	सी-6-4-2009-3-एक, दिनांक 06-11-2009	शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक/न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान पदोन्नति/स्थायीकरण.	128
41	सी-6-5-2009-3-एक, दिनांक 11-01-2010	सभी विभागों में जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों को निर्धारित किया जाना.	130
42	सी-6-2-2010-3-एक, दिनांक 27-01-2010	संभागायुक्तों द्वारा अपने ही संभाग में पदस्थ प्रथम व द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघुशास्ति के अधिकार.	132
43	सी-6-1-2010-3-एक, दिनांक 29-01-2010	विभागीय जांच के अपील प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-लोक सेवा आयोग से परामर्श.	134
44	सी-6-3-2010-3-एक, दिनांक 15-02-2010	म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन.	136
45	सी-6-4-2010-3-एक, दिनांक 12-10-2010	अनुशासनात्मक कार्यवाही में आयोग का परामर्श-आयोग का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10.	138
46	एफ-11-11-2010-1-10, दिनांक 14-10-2010	विभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण सौंपा जाना	141
47	सी-3-21-2010-3-एक, दिनांक 20-10-2010	विभिन्न प्रकरणों में विधि विभाग एवं महाधिवक्ता से अभिमत प्राप्त करने के सम्बन्ध में.	142
48	सी-6-5-2010-3-एक, दिनांक 28-12-2010	परनिन्दा लघुशास्ति का शासकीय सेवकों की पदोन्नति पर प्रभाव.	144

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-11/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अन्तर्गत दिये गये दण्डादेश के विरुद्ध अपील/पुनर्विलोकन.

राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत अथवा किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत विभागीय जांच संस्थित की गयी हो और दण्डादेश पेंशन नियमों के तहत पारित किया गया हो तो क्या ऐसे दण्डादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है अथवा ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है.

2. उपरोक्त विषय में स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 (2) (1) के तहत पारित आदेश अपने आप में अंतिम आदेश है तथा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है और न ही पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान है. अतः पेंशन नियमों के अधीन पारित दण्डादेश के विरुद्ध न तो अपील की जा सकती है और न ही ऐसे दण्डादेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है.

3. कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्र. सी-6-11/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2000

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

4. निज सचिव/ निज सहायक/ मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/ मंत्री/ राज्यमंत्री/ उपमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/ भोपाल/ इन्दौर/ ग्वालियर/ रायपुर.
8. महाधिवक्ता/ उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/ इन्दौर/ रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/ सचिव/ उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
10. अवर सचिव/ स्थापना/ अधीक्षण/ अभिलेख शाखा/ मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-12/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 20-1-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन.

राज्य शासन के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत हुए हैं:—

- (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर क्या इस आदेश के विरुद्ध "द्वितीय अपील" की जा सकती है?
- (2) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर क्या इस आदेश के विरुद्ध नियम 29 के तहत पुनर्विलोकन आवेदन-पत्र, पुनर्विलोकन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है?

2. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:—

- (1) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 23 से स्पष्ट है कि नियम 10 में उल्लिखित शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित किये जाने वाले आदेश के विरुद्ध ही अपील की जा सकती है, वह आदेश चाहे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपीलीय या पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा दिया गया हो. स्पष्ट है कि इस नियम अर्थात् नियम, 23(1) के अनुसार वह आदेश मूल आदेश होना चाहिये जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है न कि प्राधिकारी का अपील प्रकरण में दिया गया आदेश.

उक्त नियमों में अपील से संबंधित अध्याय-7 में उल्लिखित नियम 26, 27 एवं 28 पर विचार करने पर भी यही स्पष्ट होता है कि उपरोक्त नियमों में एक से अधिक अपील का कोई प्रावधान नहीं है, अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन एक से अधिक अपील का प्रावधान नहीं होने से "द्वितीय अपील" नहीं की जा सकती है.

- (2) नियमों में "पुनर्विलोकन" के संबंध में 8वें भाग में नियम निर्मित है तथा यह नियम 29 पुनर्विलोकन को स्पष्ट करता है. नियम 29 के अधीन ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है जिनके विरुद्ध अपील अनुज्ञात हो किन्तु न की गई हो या जिसके विरुद्ध कोई अनुज्ञात न हो. इससे स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन केवल उन्हीं आदेशों के लिये किया जा सकता है जिसमें कि अपील अनुज्ञात न हो अथवा अनुज्ञात हो लेकिन न की गई हो, अतः स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील पर आदेश पारित कर दिये जाने पर इस आदेश के विरुद्ध नियम 29 के तहत "पुनर्विलोकन आवेदन" नहीं किया जा सकता है.

3. कृपया नियमों की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखा जावे.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 21-1-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय.—म. प्र. लोक सेवा आयोग का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97-98, विभागीय जांच प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी-6-4/98/3/एक, दिनांक 12-8-98 तथा परिपत्र क्रमांक सी-6-9/99/3/एक, दिनांक 2-7-99.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने 41 वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97-98 में उल्लेख किया है कि कतिपय विभागों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-14 एवं 16 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयावधि में न करने से दोषी शासकीय सेवक युक्ति-युक्त दण्ड पाने से बच जाते हैं.

2. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं. हाल ही में जारी परिपत्र दिनांक 12-8-98 के साथ एक सारणी भी संलग्न की गयी है जिसमें विभागीय जांच प्रक्रिया की विभिन्न प्रावस्थाओं में लगने वाले संभावित अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गयी है. इस प्रकार संपूर्ण जांच प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण की जाना अनिवार्य है. विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 2-7-99 द्वारा सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के पैनल में से संविदा आधार पर जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं. उक्तानुसार विभागीय जांच के प्रकरणों का निपटारा समयावधि में किये जाने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है.

4. शासन द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि विभागीय जांच के प्रकरणों का निर्वतन शीघ्रता से और समयावधि में किया जाय तथा विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना अपेक्षित है.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर.
निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख-शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र., भोपाल.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6- 2/2000/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2000

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/अभियोजन प्रकरणों का समयावधि में निराकरण.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी-5-3/एक (3) 91, दिनांक 8-2-91, क्रमांक सी-6-4/98/3/एक, दिनांक 12-8-98 तथा सी-6-2/98/3/एक, दिनांक 8-2-99.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें जिनके द्वारा विभागीय जांच/अभियोजन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिये गये थे. साथ ही, विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया था:

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अभियोजन प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही न होने से आरोपी कर्मों के विरुद्ध समय पर कड़ी कार्यवाही नहीं हो पाती. साथ ही, ऐसे लंबित प्रकरणों के कारण सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने सेवानिवृत्ति स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 8-2-91 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि सेवा निवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेन्शन प्रकरण सेवानिवृत्ति के तिथि के 2 वर्ष पूर्व ही पेन्शन के कागजात तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय. साथ ही, ऐसे प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही एक समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक निराकृत किये जावे ताकि निर्णयोपरांत " न जांच प्रमाण पत्र" जारी करने में कठिनाई उत्पन्न न हो.

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे और सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/अभियोजन प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जावे. प्रभाव यह होना चाहिये कि ये सब कार्रवाईयां सेवानिवृत्ति के पूर्व पूरी हो जाये. जिससे कि सेवानिवृत्ति के दिन से ही सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेन्शन प्राप्त हो सके.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर.
निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र., भोपाल.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय.—शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही.

संदर्भ.—इस विभाग के परिपत्र क्र. 62/1464/79/3/एक, दिनांक 28-1-80, एफ सी-3-1/90/3/49, दिनांक 19-7-90 एवं सी-6-36/92/3/एक, दिनांक 5-9-92.

लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अन्य कार्यवाहियों के अलावा ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को सभी उद्देश्यों के लिये अकार्य दिवस (Diesnon) मानने के निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा जारी किये गये थे. राज्य शासन के ध्यान में आया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ प्रकरणों में अभी भी ऐसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है.

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं उनकी ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976, सहपठित मूलभूत नियम 17-ए, के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा व्यवधान माना जावे. ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे. साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल "दीर्घशास्ति" के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे. इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे. आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे.

3. अनधिकृत रूप से एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त सभी प्रकार के शासकीय सेवकों को उनके द्वारा दिए गए अवकाश काल के पते व अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताए कि उनकी उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिये क्यों न सेवा में व्यवधान माना जाए. यदि वह दी गई अवधि में उचित कारण नहीं बता पाते हैं तब उनकी सेवा में व्यवधान मानते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए. उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है के लिए उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जाएगा.

4. अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी उपरोक्त कार्यवाही 30 दिवस से कम अवधि के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अन्य कर्मचारियों के उचित मामलों में भी की जानी चाहिए.

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे. जो अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गोपाल शरण शुक्ल)

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पु.क्र. सी 6-3/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2000

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर.
निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र., भोपाल.

हस्ता./-

(के. एल. दीक्षित)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-9(ए)/99/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2000

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—टास्क समूह क्र.-1 की अनुशंसा-पंचायतों को अंतरित अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार

टास्क समूह क्रमांक-1 की अनुशंसा के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को अंतरित अमले पर लघु शास्ति अधिरोपित करने, एवं निलंबित करने के अधिकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रदत्त किये गये हैं.

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2000 (मध्यप्रदेश राजपत्र साधारण दिनांक 3 मार्च, 2000) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है. तत्संबंध में कृपया अपने अधीनस्थ को अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-

(आर. पी. वर्मा)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-9(ए)/99/3/एक

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2000

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/ठप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र., भोपाल.
13. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक आय-व्यय, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./-
(आर. पी. वर्मा)
अवर सचिव.

["मध्यप्रदेश राजपत्र" भाग 1 दिनांक 3 मार्च 2000 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2000

क्र. सी-6-9(ए)-99-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1), नियम 12 के उपनियम (2) तथा नियम 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशु चिकित्सा, मछलीपालन, महिला तथा बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण तथा ग्रामोद्योग विभाग के ऐसे तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के बारे में, जिनकी सेवाएं मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (बारह) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के नियंत्रण के अधीन दी गई हैं, निलंबित करने या लघु शास्तियां, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (बार) में यथाविनिर्दिष्ट हैं, अधिरोपित करने के लिये सशक्त करते हैं, और ऐसा सरकारी सेवक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित विभाग के प्रमुख को अपील कर सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2000

क्र. सी-6-9(ए)-99-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना

क्र. सी-6-9(ए)-99-3-एक, दिनांक 21 फरवरी, 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 21st February 2000

No.C-6-9(A)-99-3-one.—Without prejudice to the generality of the powers conferred under the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 9, sub-rule (2) of Rule 12 and Rule 24 of the said rules, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat to suspend or to impose minor penalties as specified in clause (i) to clause (iv) of Rule 10 of said rules, in respect of such class III and class IV Government servants of the department of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare, Agriculture, Panchayat and Rural Development, Veterinary, Fisheries, Women and Child Development, Public Health and Family Welfare, Medical Education, School Education, Social Welfare and Rural Industries whose services have been placed by the State Government under the Control of Panchayats under the provisions of clause (xii) of sub-section (1) of section 52 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and such Government servant may prefer an appeal against the order of the Chief Executive Officer to the head of the concerned department.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-4 /2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 22 जून 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण “चेतावनी/चरित्रावली चेतावनी” देकर समाप्त न करने बावत्.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-सी-6-2/94/3/एक दिनांक 30 जून, 1994.

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 30-6-1994 की कंडिका-3(3) में यह निर्देश दिये गये थे कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत “चेतावनी” दण्ड की परिभाषा में नहीं आती. अर्थात् इन नियमों के अन्तर्गत जो दण्ड परिभाषित है, उनमें चेतावनी सम्मिलित नहीं है. अतः उक्त नियमों के अन्तर्गत की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप यदि अपचारी शासकीय सेवक पर कुछ दोष आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर कम से कम “परिनिंदा” की शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है और ऐसे प्रकरणों को केवल चेतावनी देकर समाप्त नहीं करना चाहिए.

2. राज्य शासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें उपरोक्त निर्देश के विपरीत अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में अपचारी शासकीय सेवक को दण्डित अथवा दोष मुक्त न करते हुए प्रकरण चेतावनी/चरित्रावली चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया.

3. राज्य शासन द्वारा पुनः स्पष्ट किया जाता है कि.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का परिणाम अपचारी शासकीय सेवक को उपरोक्त नियमों के नियम 10 में वर्णित शास्तियों में से आरोप सिद्ध होने पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित की जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में आरोप सिद्ध होने पर, अपचारी शासकीय सेवकों “चेतावनी” अथवा “चरित्रावली चेतावनी” देकर प्रकरण समाप्त नहीं किया जाना चाहिये.

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे. भविष्य में यदि किसी प्रकरण में इन निर्देशों के विपरीत कार्रवाई करना पाया गया तो इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जावेगी.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, म. प्र., विधान सभा, भोपाल,
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
6. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री म. प्र. शासन,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर,
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
14. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय,
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
17. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र., भोपाल,
18. कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर अतिरिक्त प्रतियां मान्यता प्राप्त संगठनों को प्रेषित करने हेतु.

हस्ता./-
 (के. एल. दीक्षित)
 अवर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-5/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 97-98 विभागीय जांच का समयावधि में निराकरण

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्र.-सी-6-6/97/3/एक, दिनांक 4-6-97, सी-6-4/98/3/एक, दिनांक 12-8-1998, क्र. सी-6-9/99/3/एक, दिनांक 2-7-99, क्र. सी-6-1/2000/3/एक, दिनांक 21-1-2000, तथा क्र. सी-6-2/2000/3/एक, दिनांक 28-1-2000.

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 में उल्लेख किया है कि विभागीय जांच के वर्षों तक लंबित रहने तथा शासकीय सेवकों के निलंबित रहने आदि से शासकीय कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. विभागीय जांच के लंबित रहने के कारण सेवानिवृत्ति के समय अथवा असामयिक मृत्यु की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवकों के पेंशन एवं अन्य प्रकार के भुगतानों में बाधा उत्पन्न होती है.

2. आयोग की अनुशंसा है कि विभागीय जांच जिस दिनांक को आयोजित की जाती है, उस दिनांक से ही एक वर्ष की गणना की जावे. अत्यंत विशेष कारण होने पर ही जांच अधिकारी बदला जावे. एक वर्ष के अन्दर जांच पूरी न होने पर इसके लिये विभागाध्यक्ष एवं विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा इसका उल्लेख उनकी गोपनीय चरित्रावली में अनिवार्य रूप से किया जावे.

3. विभागीय जांच प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये हैं. संदर्भित परिपत्र दिनांक 4 जून, 1997 में निर्धारित समय में विभागीय जांच का निपटारा करने के विषय में समय-समय पर जारी निर्देशों का "सार संक्षेप" उद्धृत किया गया था. साथ ही, एक समय सीमा सारणी भी संलग्न की गयी थी जिसमें जांच के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी.

4. संदर्भित परिपत्र दिनांक 12 अगस्त, 1998 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विभागीय जांच प्रकरणों में विलंब की स्थिति समाप्त करने के लिये राज्य शासन ने "मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना) अधिनियम, 1976 में संशोधन कर अब जांच अधिकारी को यह अधिकार दे दिये हैं कि वह साक्षियों को सम्मन कर सकेगा.

5. संदर्भित परिपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1999 द्वारा समय सीमा में जांच प्रकरणों के निपटारे हेतु सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को जांच अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे.

6. संदर्भित परिपत्र दिनांक 21 जनवरी, 2000 एवं 28 जनवरी, 2000 द्वारा पुनः इस विषय में पूर्व में जारी निर्देशों को दुहराते हुये यह निर्देश दिये गये थे कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति की तिथि के 2 वर्ष पूर्व ही पेंशन के कागजात तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये और अनुशासनात्मक कार्यवाही एक समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक निराकृत की जावे ताकि निर्णयोपरान्त "न जांच प्रमाण-पत्र" जारी करने में कठिनाई न हो.

7. राज्य शासन के उपरोक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन न करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब की स्थिति बनती है. अतः अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में विलंब को टालने के लिये पूर्व के निर्देशों के तारतम्य में निम्नलिखित "पूरक निर्देश प्रसारित किये जाते हैं" :-

- (i) संलग्न समय सारणी का प्रत्येक स्तर पर कठोरता से पालन किया जाना चाहिए.
- (ii) अधीनस्थ कार्यालय से आरोप पत्रादि को प्रारूप मांगने पर अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित प्रकरण/अभिलेख, जिनके आधार पर आरोप प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, मूलतः या उनकी अभिप्रमाणित छायाप्रतियां अपने कार्यालय में प्राप्त कर ले. यदि मूल प्रकरण/अभिलेख प्राप्त किये जाते हैं तो संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में उसकी अभिप्रमाणित प्रतियां अवश्य रखी जावें.
- (iii) अनुशासनिक प्राधिकारी को संबंधित अभिलेखों को देखकर पहले स्वतः यह संतुष्टी कर लेना चाहिए कि अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपित किये जा रहे आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं.
- (iv) यह अनुभव किया गया कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध "दीर्घशास्ति" के लिये आरोप पत्रादि जारी किये गये और लंबी विभागीय जांच प्रक्रिया अपनाने के बाद या तो आरोप प्रमाणित न होने पर संबंधित शासकीय सेवक को "दोषमुक्त" कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया अथवा "लघुशास्ति दी गयी. इस प्रकार लंबी विभागीय जांच प्रक्रिया का कोई औचित्य ही नहीं रहा. अतः सर्वप्रथम, अनुशासनिक प्राधिकारी को संबंधित प्रकरणों/दस्तावेजों का परीक्षण कर स्वविवेक से यह निर्णय ले लेना चाहिए कि प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये "आरोपों" के लिये संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध "दीर्घ-शास्ति" का मामला बनता है अथवा "लघुशास्ति" का. यदि "लघुशास्ति का मामला बनता है तो "दीर्घशास्ति" की लंबी प्रक्रिया अपनाने का औचित्य नहीं है.
- (v) आरोप/पत्रादि/कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद सामान्यतः अपचारी शासकीय सेवक द्वारा संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां चाही जाती हैं अथवा उनका अवलोकन कराने का निवेदन किया जाता है. अतः आरोप-पत्रादि के अग्रेषण पत्र में अथवा कारण बताओ नोटिस में ही इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिये कि यदि अपचारी शासकीय सेवक संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करना चाहता है तो इसके लिये वह किस कार्यालय/अधिकारी से कब संपर्क करे. इसके लिये उसे आरोप पत्रादि/कारण बताओ नोटिस प्राप्त से अधिकतम 10 दिन का समय दिया जाना चाहिये. विशेष आधार पर ही, उक्त समय सीमा में वृद्धि की जानी चाहिये.
- (vi) अपचारी शासकीय सेवक का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त होने पर सामान्यतः अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उस पर अधीनस्थ कार्यालय की टिप्पणी मांगी जाती है जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब होता है. अनुशासनिक प्राधिकारी को अपचारी शासकीय सेवक के प्रतिवाद उत्तर का उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्वतः परीक्षण कर, निर्णय लेना चाहिए. यदि अधीनस्थ कार्यालय की टिप्पणी आवश्यक ही हो तो उसे अधिकतम 7 दिन के अन्दर प्राप्त कर देना चाहिए.
- (vii) निर्धारित की गयी "समय सारणी" के अनुसार जांच अधिकारी को जांच सौंपने के बाद उसे जांच अधिकतम 6 माह में पूर्ण कर लेना चाहिए. जांच अधिकारी, प्रत्येक माह, जांच की प्रगति से अनुशासनिक प्राधिकारी को अवगत करायेगा. इसी प्रकार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी प्रत्येक पेशी के बाद एक संक्षिप्त रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा.
- (viii) यदि अपचारी शासकीय सेवक ने उसके विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में याचिका/वाद दायर किया और न्यायालय में कोई "स्थगन" नहीं दिया है तो जांच कार्यवाही निरंतर रखने में कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है.
- (ix) जांच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी से भिन्न होने की स्थिति में, जांच अधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति अपचारी शासकीय सेवक को प्रदत्त कर उसका अभ्यावेदन प्राप्त किया जाता है अतः जांच अधिकारी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी को उसका परीक्षण प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिये. जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार सर्वप्रथम, उसकी प्रति अपचारी शासकीय सेवक को प्रदत्त कर उससे यह अपेक्षा की जाती है. कि

यदि वह अभ्यावेदन देना चाहता है तो निर्धारित की गयी समयावधि में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रकरण जिनमें जांच अधिकारी ने कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाये हैं तो अपचारी शासकीय सेवक को इस स्थिति में जांच प्रतिवेदन प्रदत्त कर उसको अभ्यावेदन प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं रहता। ऐसे प्रकरणों में सर्वप्रथम अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर अपने निष्कर्ष समुचित आधार देते हुये उन्हें अभिलिखित करना चाहिये। तत्पश्चात् जांच प्रतिवेदन अपने निष्कर्षों के साथ, अपचारी शासकीय सेवक को प्रदत्त कर उसका अभ्यावेदन प्राप्त करना चाहिये। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 10 दिन की समयावधि प्रदत्त की जाना चाहिये। समुचित कारणों से ही इस समयावधि में अतिरिक्त वृद्धि की जाना चाहिये।

- (X) यदि अपचारी शासकीय सेवक द्वारा धारित पद लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का है तो आयोग की जानकारी भेजने के लिये निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी अनुशासनिक प्राधिकारी को अधीनस्थ कार्यालय से साथ-साथ ही प्राप्त कर लेना चाहिये ताकि अपचारी शासकीय सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर जैसे ही अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर अंतिम निर्णय लेता है वैसे ही शीघ्रता से प्रकरण आयोग के मत हेतु भेजा जा सके।
- (XI) आयोग का मत प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी को उस पर अपना निर्णय प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये। यदि वह आयोग के मत से किसी बिन्दुओं पर असहमत है तो असहमति के कारणों को दर्शाते हुये प्रकरण समन्वय में मुख्य मंत्रीजी को प्रस्तुत करना चाहिये।
- (XII) प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/जिला प्रमुख को उसके यहां विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में करना चाहिये। ऐसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिये जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।
- (XIII) प्रत्येक अधिकारी को उसके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-एक में अन्य विवरणों के साथ यदि वह प्रतिवेदनाधीन अवधि में जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त रहा हो तो, उसका विवरण अनिवार्य रूप से देना चाहिये। प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी को भी अपने अधीनस्थ अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय तद्विषयक टिप्पणी अवश्य अंकित करना चाहिए। यदि प्रतिवेदित अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में शिथिलता बरती हो तो तदनुसार टीका उसके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित की जाना चाहिये।
- (XIV) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि जांच अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण में शिथिलता/लापरवाही बरती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नियमानुसार संस्थित की जाना चाहिए।
- (XV) प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकारी अपना गोपनीय प्रतिवेदन, प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करते समय उसमें प्रतिवेदनाधीन अवधि में उसके द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों की, की गयी समीक्षाओं एवं उनके परिणामों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदक अधिकारी, संबंधित के अन्य कार्यों के मूल्यांकन के साथ-साथ इस विषय में भी अपना मूल्यांकन अंकित करेगा।

8. उपरोक्त निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे।

हस्ता./-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन. विभाग.

पृ. क्र. सी. 6-5-2000-3-एक,

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2000.

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीजी/मंत्री/राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, भोपाल.
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
15. अवर सचिव, स्थापना//अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश, मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
17. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
18. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(आर. पी. वर्मा)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-9/97/3/1,

भोपाल, दिनांक 24-12-97

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त सभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निर्धारित समय में विभागीय जांच का निपटारा-एकजायी निर्देश.

माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17-10-97 को पचमढी में मंत्रि-परिषद् के राजनैतिक मामलों की समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी। इस समिति ने यह अनुशंसा की है कि सभी विभागों में शासकीय कर्मियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच के प्रकरणों की समीक्षा की जाय और उनके शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जाय.

विभागीय जांच के प्रकरणों के निपटारा में तत्परता बरतने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-6/97/3/1, दिनांक 4 जून 1997 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त निर्देशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

शासन अपेक्षा करता है कि समय-समय पर विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा की जाय और ऐसे प्रकरणों के निराकरण में तत्परता बरती जाय तथा उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता/-
(किरण विजय सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्र. सी-6-9/97/3/1,

भोपाल, दिनांक 24-12-97

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.

3. मा. मुख्यमंत्रीजी/ उपमुख्यमंत्रीजी/ मंत्रीगण एवं गज्यमंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/ उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/ सचिव/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
10. अवर सचिव, स्थापना/ अधीक्षण/ अभिलेख शाखा/ मुख्य लेखाधिकारी/ पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
12. सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
 (यू. एस. बिसेन)
 अवर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-6/97/3/एक

भोपाल, दिनांक 4 जून 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निर्धारित समय में विभागीय जांच का निपटारा-एकजाई निर्देश.

मानव अधिकार आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 एवं वर्ष 1995-96 में अनुशंसा की है कि विभागीय जांच एक वर्ष की समयावधि में पूरी होना चाहिए और यदि समयावधि में कार्यवाही पूर्ण नहीं होती तो विभागाध्यक्ष की टिप्पणी अंकित होनी चाहिए तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए. आयोग ने समय-समय पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा किये जाने की भी अनुशंसा की है.

2. उपर्युक्त संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश प्रसारित किये जाते रहे हैं जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं :—

- (1) ज्ञाप क्र. 2198-2355-1-3, दिनांक 30-09-1963
- (2) ज्ञाप क्र. 439-1164-1-3, दिनांक 05-07-1975
- (3) ज्ञाप क्र. सी-6-5-76-3-1, दिनांक 08-07-1976
- (4) ज्ञाप क्र. एफ-6-2-78-3-1, दिनांक 27-09-1978

विभागीय जांच पूर्ण होने की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी. विलम्ब के लिये संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

सभी विभागीय जांच के प्रकरण निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जावे ताकि कर्मचारियों को लंबी अवधि तक निलंबित न रहना पड़े.

एक वर्ष से अधिक निलंबित शासकीय सेवकों की सेवा में बहाल किये जाने की कार्यप्रणाली :—

1. जिन मामलों में जांच आयुक्त द्वारा परीक्षा की जा रही हो, उनमें यदि शासकीय पक्ष के गवाहों का परीक्षण पूर्ण हो गया हो तो राज्य सतर्कता आयुक्त से मत प्राप्त कर बहाली की कार्यवाही की जावे.
2. अन्य मामलों में आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी का मत प्राप्त किया जावे. यह मत शासकीय गवाहों के परीक्षण के बाद ही प्राप्त किया जावे. तदुपरान्त आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामला विचारार्थ गठित समिति के समक्ष रखा जावेगा जिस पर समिति अपनी सिफारिश एक सप्ताह के अन्दर देगी. आनुशासनिक प्राधिकारी सिफारिश पर विचार कर बहाली की कार्यवाही करेगा.

(5) ज्ञाप क्र. सी-6-2-78-3-1, दिनांक 16-11-1979

ज्ञापन दिनांक 27-09-78 में समिति द्वारा उन्हीं प्रकरणों का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें शासकीय पक्ष के गवाहों का परीक्षण पूर्ण हो गया हो. अब निर्णय लिया गया कि जिन शासकीय सेवकों के निलंबन को एक वर्ष से अधिक हो गया हो वे सभी प्रकरण परीक्षण हेतु राज्य सतर्कता आयुक्त या गठित समितियों के समक्ष रखे जायेंगे.

2. विभागीय जांच आयुक्त या समितियां निलंबन आदेश समाप्त किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार कर अनुशंसा करेगी :—

- (1) आरोप कितने गंभीर हैं?
- (2) आरोप प्रमाणित होने पर शासकीय सेवक को दीर्घशास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या लघुशास्ति?
- (3) क्या निलंबित शासकीय सेवक द्वारा जांच प्रगति में अवरोध तो नहीं डाला जा रहा है?
- (4) निलंबन समाप्त किये जाने पर किस तरह का कार्य सौंपा जाय ताकि वह पद का दुरुपयोग न कर सके?

3. निलंबन के संबंध में समय-समय पर जारी मार्गदर्शी अनुदेशों एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र 1-13 की कंडिका-8 में उल्लेखित निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे. निलंबन सिर्फ असाधारण प्रकरणों में किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा करना नितांत आवश्यक हो.

(6) ज्ञाप क्र. सी-6-2-78-3-1, दिनांक 09-04-1980

निलंबन के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु समिति का गठन :—

- | | |
|--------------------------|---------|
| (1) मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| (2) विभागीय सचिव | सदस्य |
| (3) संबंधित विभागाध्यक्ष | सदस्य |

(7) ज्ञाप क्र. 4-8-86-काप्रसु-1, दिनांक 25-09-1986

समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का स्मरण कराया गया. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (कर्माकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 6(4) का इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-83-3-एक, दिनांक 23-7-84 द्वारा लोप किया जाना. इस उपनियम में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दीर्घशास्ति हेतु जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रेषित करने के साथ-साथ एक कारण बताओ सूचना-पत्र भी देने का प्रावधान था, जो अब किलोप्रेषित किया गया. अब ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं है. जांच के प्रकरणों में अन्तिम आदेश निर्धारित समयावधि में पारित करना सुनिश्चित किया जावे.

- (8) ज्ञाप क्र. सी-5-2-87-3-1, दिनांक 16-4-1987
जांच की विभिन्न प्रावस्थाओं में लगने वाले समय का निर्धारण सम्पूर्ण कार्यवाही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण करने बाबत् निर्देश. विलंब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना सारणी संलग्न.
- (9) ज्ञाप क्र. 486-एफ-708-3, दिनांक 22/23-08-1990
शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जांच प्रकरणों में प्रगति हेतु एवं समीक्षाएं किये जाने हेतु निर्देश.
- (10) ज्ञाप क्र. सी-12-39-1-3-91, दिनांक 27-07-91
एक वर्ष से अधिक लंबित जांच प्रकरणों की छःमाही समीक्षा किये जाने के निर्देश.
- (11) ज्ञाप क्र. 248-1278-1-3, दिनांक 27-07-1994
मान. मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में जांच प्रकरणों का निपटारा किये जाने बाबत् निर्देश.
- (12) ज्ञाप क्र. सी-6-2-97-3-एक, दिनांक 10-3-1997
विभागीय जांच प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा आधार पर जांचकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता अधि. के पदों पर नियुक्ति.

3. संदर्भित निर्देशों के लागू रहने के बावजूद यह पाया गया है कि अनेक विभागीय जांच के प्रकरण अनावश्यक रूप से दीर्घ समय तक लंबित रहते हैं जिसके फलस्वरूप शासन और शासकीय सेवकों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है. अतएव यदि किसी प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब किसी स्तर पर होता है तो यथोचित कारणों के न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी. विलंब की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा विलंब के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेगा.

4. जांच प्रकरणों में विलंब की स्थिति को समाप्त करने के लिये शासन ने इस विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-2-97-3-1, दिनांक 10-03-97 द्वारा निर्देश जारी किये हैं कि जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों की संविदा नियुक्ति सेवानिवृत्त अधिकारियों के पैतल में से की जावे. इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराया जाना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुत कराया जाना) अधिनियम, 1979 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया. उक्त संशोधन से जांच अधिकारी को यह अधिकार सीधे प्राप्त हो गये हैं कि वह साक्षियों को सम्मन जारी कर सकें एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करा सकें.

5. शासन अपेक्षा करता है कि समय-समय पर विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा की जावे और ऐसे प्रकरणों के निराकरण में तत्परता बरती जावे. जांच में विभिन्न स्तर के लिए निर्धारित समय-सीमा की सारणी पुनः संलग्न की जा रही है. कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-

(आलोक श्रीवास्तव)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिए निर्धारित समयावधि की सारणी

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना. | प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह. |
| 2. आरोप-पत्रादि जारी किया जाना. | अधिकतम एक माह. |
| 3. अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना. (यह अवधि आरोप-पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी). | सात दिन से एक माह. |
| 4. अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधि. की नियुक्ति. | सात दिन से एक माह. |
| 5. जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना :— | |
| (अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु. | अधिकतम 6 माह. |
| (ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु. | अधिकतम 3 माह. |
| 6. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अंतिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु-शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना :— | |
| (अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम 3 सप्ताह. |
| (ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम 2 सप्ताह. |
| 7. आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए अंतिम आदेश पारित करना. | अधिकतम 2 सप्ताह. |

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2000

क्रमांक सी 6-6/2000/3/एक
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त विकासखण्ड अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 62/1464/79/3/एक, दिनांक 28-1-80, क्रमांक एफ. सी.-3-1/90/3/40, दिनांक 19-7-90, क्रमांक सी-6-36/92/3/एक, दिनांक 5-9-92 तथा क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 2-2-2000.

ग्राम संपर्क अभियान वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 70 एवं 72 में अनुशांसा की गयी है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षक एवं चिकित्सकों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, पेंशन नियम, मूलभूत नियम व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम इत्यादि के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाये. जहां पर ग्राम स्तरीय कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख पाये जाते हैं, वहां उनके पर्यवेक्षक/अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये.

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं. मूलभूत नियम-18 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-7 के अन्तर्गत अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिए. ऐसे शासकीय सेवक, जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जाँच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे निलंबन भते आदि की मांग करते हैं.

3. समक्ष प्रधिकारी सुनिश्चित करें कि लम्बी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन दीर्घशास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलम्ब प्रारंभ की जाये.

4. अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित हो, उसे उसी दिनांक से निलंबित किया जाये.

5. अनुशासनात्मक कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण करते हुए आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने या पदच्युत करने संबंधी आदेश पारित किया जाये. साथ ही, निलंबन अवधि के बारे में निर्णय भी तत्समय लिया जाए. अनुशासनिक कार्यवाही का निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जाये.

6. एक माह या उससे अधिक अवधि की अनधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन नियम, 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा व्यवधान माना जावे. ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जावे.

7. एक माह से अधिक अवधि तक अनधिकृत अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके द्वारा लिये गये अवकाश काल के पते व अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही सूचना-पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताये कि उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिये क्यों न सेवा में व्यवधान माना जावे. दी गई अवधि में कारण न बताये जाने पर सेवा में व्यवधान मानते हुये सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए. इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिसमें पेंशन संबंधी लाभ भी शामिल हैं, के लिये उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जायेगा.

8. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावे. उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाला अधिकारी या शासकीय सेवक के कर्तव्य विमुख पाये जाने पर उनके संबंधित पर्यवेक्षक/अधिकारियों के संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये. स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग सहित समस्त विभाग अपने स्तर से परिपत्र जारी करते हुए निर्देशों का पालन कड़ाई से करवायें.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2000

पृ. क्र. सी -6-6/2000/3/एक,

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री जी/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री म. प्र. शासन,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर,
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
14. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय,
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
17. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(के. एल. दीक्षित)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश, शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी एफ-6-1/2001/3/एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2001

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त संभागयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—योग्य अधिकारियों के पैनल में से, जांच अधिकारी का चयन शिकायतकर्ता द्वारा किया जाना.

कांग्रेस घोषणा-पत्र वर्ष 1999-2000 की घोषणा क्रमांक.051 में उल्लिखित बिन्दु यह था कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिये निष्पक्ष जांच का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से जांच अधिकारी का चयन शिकायतकर्ता कर सकेगा.

2. उपर्युक्त संबंध में विचारोपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला एवं संभाग स्तर पर असंदिग्ध निष्ठा वाले योग्य अधिकारियों का पैनल रखा जाय तथा शिकायतकर्ता को निष्पक्ष प्राथमिक जांच के लिये पैनल में से एक अधिकारी के चयन करने का अधिकार दिया जाय.

3. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कृपया सुनिश्चित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पू. क्रमांक सी एफ-6-1/2001/3/एक,
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2001

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर.
रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
सचिव, लोकायुक्त, संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.

4. निज़ सचिव/निज़ सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ म. प्र. शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-

(के. एल. दीक्षित)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3/2001/3/एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2001

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी; जिला पंचायत,
समस्त विकासखण्ड अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—प्रमुख वन संरक्षक के स्थान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संशोधन करने बावत;

सन्दर्भ:—सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र. सी-6-3/83/3/1, दिनांक 12-09-83.

राज्य शासन एतद्वारा म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र. सी-6-3/83/3/1, दिनांक 12-09-1983 के साथ संलग्न विभागाध्यक्षों की सूची के अनुक्रमांक 18 पर अंकित "प्रमुख वन संरक्षक" के स्थान पर "प्रधान मुख्य वन संरक्षक" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-3/2001/3/एक,
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2001

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल,
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
6. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/म. प्र. शासन.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/भोपाल,
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
14. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय,
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
17. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल,
18. कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर अतिरिक्त प्रतियां मान्यता प्राप्त संगठनों को प्रेषित करने हेतु,

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

[क्रमांक 19 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4 दिनांक 11 मई 2001 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मई 2001

क्र. सी.-6-4-2001-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, अधीक्षक, मध्यप्रदेश स्टेट गैरिज को अधीक्षक कार्यालय, मध्यप्रदेश स्टेट गैरिज के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के संबंध में, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) में यथाविनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त करते हैं:

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2001

क्र. सी.-6-4-2001-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 2nd May 2001

No. C-6-4-2001-3-I.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers the Superintendent, Madhya Pradesh State Garrage to impose minor penalties as specified in clause (i) to clause (iv) of rule 10 of said rules in respect of Class III and Class IV Government Servants of the office of the Superintendent Madhya Pradesh, State Garrage.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2001

क्र. सी.-6-2-2001-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, वन संरक्षकों को, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत वन क्षेत्रपालों पर उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) के अधीन लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए, आनुशासिक प्राधिकारी के रूप में सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2001

क्र. सी.-6-2-2001-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 4th May 2001

No. C-6-2-2001-3-I.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers the Conservators of Forest as the disciplinary authority to impose the minor penalty under clause (i) of rule 10 of the said rules on the Forest Rangers who are working under his administrative control.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 20 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2002—पौष 21, शक 1923]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्र. सी-6-5-97-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 13 अगस्त 1997 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को, उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ या पूर्व में पदस्थ रहे राज्य शासन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों (न्यायिक सेवा तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को छोड़कर) पर, संबंधित संभाग में पदस्थापना की कालावधि के दौरान अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने और उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्र. सी.-6-5-97-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 जनवरी 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 1st January 2002

No. C-6-5-97-3-One.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and in supersession of this Department Notification No. C-6-5-97-3-one, dated the 13th August, 1997, the governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Divisional Commissioners of the State to take disciplinary action and to impose the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Rule 10 of the said rules on Class I and Class II Officers (except the officers of the Judicial Services and the Police Department) of the State Government posted or previously posted within their respective divisions for the irregularities committed by the officer during the period of posting at the concerned division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M. K. VERMA, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक सी-6/4/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 31-5-2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत विभागीय जांच में शासकीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता लेने के संबंध में.

सन्दर्भ:— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-5/87/49/3, दिनांक 11-8-1988.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14(8) के अन्तर्गत निहित प्रावधानानुसार विभागीय जांच के प्रकरणों में शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकता है. ऐसा करने के लिये जांच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.

2. संदर्भित परिपत्र दिनांक 11-8-88 द्वारा प्रावधानित किया गया था कि ऐसा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एक समय में ऐसे दो से अधिक मामले नहीं ले सकता है. उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुए, अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों की सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी:—

1. संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक राज्य शासन की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो,
2. यदि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक वकील भी है, तो दोषी शासकीय सेवक द्वारा अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये वकील नियुक्त करने के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14(8) में दिये गये उपबंध लागू होंगे,
3. संबंधित शासकीय सेवक अपनी शासकीय हैसियत में मामले की जांच अथवा अन्य किसी स्तर तक किसी भी तरह से संबद्ध न हो,
4. संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एक ही समय पर पांच से अधिक मामलों में बचाव पक्ष के सहायक के रूप में कार्य न करे. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जांचकर्ता अधिकारी को यह संतुष्टि करा दे कि उसके पास प्रश्नाधीन मामले सहित पांच से अधिक मामले हाथ में नहीं हैं,

5. ऐसे मामलों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को यात्रा भत्ते की पात्रता, उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी। इस प्रकार के यात्रा देयकों का भुगतान जांच अधिकारी द्वारा दिये गये उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर, उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिस कार्यालय से अपचारी शासकीय सेवक संबंधित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-4-2002-3-एक

भोपाल, दिनांक, 31 मई 2002

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर .
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. सचिव विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, म. प्र. भोपाल
8. उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल म. प्र. भोपाल.
12. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अभिलेख/अधीक्षण/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि.पू.भु./04 भोपाल-2002.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2002.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 मई 2002—ज्येष्ठ 8, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य के समस्त कार्य विभागों के समस्त उप-खण्ड अधिकारियों को, उनके अपने-अपने कार्यालयों में पदस्थ तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों पर, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त करते हैं और ऐसा सरकारी सेवक, उप-खण्ड अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अपील कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-3-2002-3-एक, दिनांक 29 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 29th May 2002

No. C-6-3-2002-3-EK.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Sub-Divisional Officers of all works departments of the State to impose the minor penalties specified in Clauses (I) to (IV) of rule 10 of the said rules on class III and class IV Government Servants posted within their respective Offices and such Government servant may prefer an appeal against the order of the Sub-Divisional Officer to the concerned Appointing Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3ए-2002-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, राज्य के समस्त उप-खण्ड अधिकारियों (राजस्व) को, उनके अपने-अपने कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ तहसीलदार के कार्यालयों में पदस्थ तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के सरकारी सेवकों पर, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त करते हैं। ऐसा सरकारी सेवक, उप-खण्ड अधिकारियों (राजस्व) के आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को कर सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2002

क्र. सी-6-3-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-3ए-2002-3-एक, दिनांक 29 मई 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 29th May 2002

No. C-6-3A-2002-3-EK.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all the Sub-Divisional Officers (Revenue) of the State to impose the minor penalties specified in Clause (I) to Clause (IV) of rule 10 of the said rules on class III and class IV Government Servants posted within their respective Offices and subordinates offices of the Tahsildar. Such Government servant may prefer an appeal against the order of the Sub-Divisional Officers (Revenue) to the concerned Appointing Authority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 255, भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 जून 2002—ज्येष्ठ 27, शक 1924)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी-6-5-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, शब्द “पांच रुपये” जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द “पचास रुपये” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जून 2002

क्र. सी-6-5-2002-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-2002-3-एक, दिनांक 17 जून 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 17th June 2002

No. C. 6-5-2002-3-One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in Rule 11, for the words “Rupees five” wherever they occur, the words “Rupees fifty” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.-सी-6-6-2002-3-एक

भोपाल, दिनांक, 30 अगस्त 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का निलंबन, निर्वाह भत्ता, निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील तथा निलंबन से बहाली एवं निलंबित शासकीय सेवक की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन-इकजायी निर्देश.

अनुशासनिक/अपराधिक मामलों में शासकीय सेवकों को निलंबित करने के प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 (जिसे अत्रपश्चात् "नियम 1966" लिखा जावेगा) के नियम 9 में दिये गये हैं. साथ ही, इस विषय में मार्गदर्शी निर्देश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-1 के खण्ड 13 की कण्डिका 8 में दिये गये हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने "शासकीय कर्मियों को दण्ड-विभागीय जांच/अभियोजन स्वीकृति से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन" भी पृथक् से समस्त विभागों/प्राधिकारियों को प्रसारित किया है.

शासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से शासकीय सेवकों के निलंबन तथा इससे संबंधित अन्य विषयों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संलग्न परिशिष्ट में दर्शित निर्देशों को निरस्त करते हुए, राज्य शासन नये इकजाई निर्देश निम्नानुसार प्रसारित करता है :-

एक—शासकीय सेवकों का निलंबन-नियमों के प्रावधान

- (i) "नियम 1966" के नियम 9 के उपनियम (1) (क) एवं (ख) के प्रावधान के अनुसार शासकीय सेवक को, जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो या अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो अथवा जहां उसके विरुद्ध किसी भी दण्डिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो, निलंबित किया जाएगा.

उपरोक्त नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा जबकि भ्रष्टाचार या नैतिक पतन में अंतर्वलित दण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.

- (ii) नियम 9 के उपनियम (2) के अनुसार कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा :-

- (क) उसके निरुद्ध किये जाने के दिनांक से, यदि उसे या तो किसी दण्डिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो;

- (ख) उसे दोष-सिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदव्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया हो;

निलंबित कर दिया गया समझा जायेगा.

उपरोक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट की गई अड़तालीस घंटे की कालावधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियों, यदि कोई हो, संगणित की जायेगी.

दो—निलंबन-सामान्य पुस्तक परिपत्र में निहित सिद्धांत

शासकीय सेवकों के निलम्बन के विषय में "सामान्य पुस्तक परिपत्र" भाग-एक क्रमांक 13 में निहित प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

- (i) किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यतः निलंबित नहीं किया जाना चाहिये. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों, या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलंबित किया जाना चाहिये.
- (ii) निलंबन आदेश भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब तक सेवा शर्तों संबंधी नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई हो, तब तक ऐसा करना अवैध है.
- (iii) यदि संबंधित शासकीय सेवक साक्ष्य में अंतःक्षेप कर रहा है या उसकी उपस्थिति से जांच पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, तो निलंबन के बदले उसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिये.
- (iv) किसी ऐसे शासकीय सेवक को भी, जिसके विरुद्ध विचारण के पूर्व किसी अपराध का अन्वेषण किया जा रहा हो या जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक आरोप के लिये कार्यवाही लंबित हो तथा जिसे अड़तालीस घंटों से अधिक अवधि का कारावास दिया गया हो, इस आशय के विनिर्दिष्ट आदेश जारी करके निलंबित किया जाना चाहिये, बशर्ते कि अन्वेषण या विचारण प्रारंभ हो गया हो या उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप या की कोई कार्यवाही उसके शासकीय कृत्य से संबंधित हो या उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उलझन पड़ने की संभावना हो या उसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित हो.
- (v) यदि कोई शासकीय सेवक, किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालीस घंटों से अधिक की अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा उसके निरोध या कारावास की तारीख से निलंबित किया गया समझा जाएगा. किन्तु जब किसी शासकीय सेवक पर अधिरोपित कोई शास्ति अपील या पुनर्विलोकन में या न्यायालय के निर्णय द्वारा अपास्त कर दी गई हो तथा मामला आगे जांच के लिये भेजा गया हो, तो ऐसे शासकीय सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी बर्खास्तगी, सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से नियम 9 के उपनियम (3) तथा (4) के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया समझा जाएगा तथा वह निलंबनाधीन बना रहेगा.
- (vi) लोकायुक्त संगठन अथवा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्ध-

शासकीय सेवक को नियम 9 (1) के प्रथम परन्तुक के प्रावधान के अनुसार बिना किसी अपवाद के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जावेगा.

तीन—निलंबन-सक्षम प्राधिकारी

(1) "नियम, 1966" के नियम 9 (1) में उल्लेखित परिस्थितियों में शासकीय सेवक के निलंबन के लिये निम्न प्राधिकारी सक्षम हैं:—

- (i) नियुक्ति प्राधिकारी, या
- (ii) ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधिनस्थ वह (नियुक्ति प्राधिकारी) हो, या
- (iii) नियम 2 (घ) में वर्णित "अनुशासनिक प्राधिकारी", या
- (iv) राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी.

(2) उपरोक्त के अलावा, कोई अन्य प्राधिकारी शासकीय सेवक को निलंबित करने के लिये सक्षम नहीं है.

(3) नियम 9(1) के परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि यदि निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निचले स्तर के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो ऐसे प्राधिकारी को तत्क्षण उन परिस्थितियों की, जिसमें कि आदेश दिया गया था, की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करना चाहिये. यह भी स्पष्ट हो कि ऐसे अधिकारी, जो निलंबन के लिये सक्षम नहीं हैं, द्वारा निलंबन की कार्यवाही करने के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति चाही जाती है, यह कार्यवाही गलत है. इसी प्रकार इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि निलंबन केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से ही हो सकता है, भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन का प्रावधान नियमों में नहीं है, अतएव यदि किसी के द्वारा ऐसे निलंबन आदेश की "पुष्टि" भी की जाती है तो वह भी अवैध है.

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. सी.-6-3-
85-3-1,
दि. 21-1-86.

चार—अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही निलंबन

(i) जहां किसी शासकीय सेवक को नियम 9 (1) (क) के अन्तर्गत अर्थात् उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित होने या लंबित होने के आधार पर निलंबित किया जाता है, तो निलंबन आदेश में, ऐसे आदेश के स्पष्ट कारण दर्शाये जाना चाहिये. उपरोक्त कारण अस्पष्ट तथा अनिश्चित (Vague and unprecise) नहीं होना चाहिये बल्कि स्पष्ट तथा सुनिश्चित (Clear and Specific) होना चाहिये.

(ii) जहां किसी शासकीय सेवक को अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में निलंबित किया जाता है तो:—

(क) यदि निलंबन आदेश, राज्य सरकार से निचले स्तर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो, संबंधित शासकीय सेवक को निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिन के अंदर आरोप पत्रादि जारी किया जाना आवश्यक है.

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 12-38-91-3-
1, दिनांक 7-6-91
तथा क्र. सी-6-2-
92-3-1, दिनांक
20-5-92.

यदि किन्हीं कारणों से उक्त 45 दिन की समयावधि में आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि जारी किया जाना संभव नहीं हो तो, अनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व राज्य शासन से उक्त कालावधि बढ़ाने के लिये लिखित आदेश नियम 9 (2-ख) के तहत प्राप्त कर लेना चाहिये. निलंबन की कालावधि, निलंबन के आदेश के दिनांक से 90 दिन की कालावधि से परे किसी भी दशा में नहीं बढ़ाई जा सकती है.

- उपरोक्त से अन्यथा स्थिति में निलंबन आदेश प्रतिसंहत (Revoke) हो जावेगा.

(ख) यदि निलंबन आदेश, राज्य शासन स्तर से दिया गया हो तो, संबंधित शासकीय सेवक को निलंबन आदेश की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि का जारी किया जाना आवश्यक है. अन्यथा स्थिति में निलंबन आदेश प्रतिसंहत हो जावेगा.

(ग) उपरोक्त कंडिका (क) एवं (ख) में दर्शित स्थिति में ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में, जिसका निलंबन आदेश प्रतिसंहत किया गया है, सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना समिचीन समझे, नियम 14 (4) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शासकीय सेवक को आरोप पत्रादि की प्रतिलिपि जारी किये जाने के पश्चात् उसे निलंबित कर सकेगा.

पांच—लोक आयुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवकों का निलम्बन

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. एफ. 21-72-
92-1-10, दिनांक
27-5-96.

(1) लोक आयुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने पर संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक को "नियम, 1966" के नियम 9 (1) के प्रावधान के तहत तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिये. इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिये.

छे : —तदर्थ रूप से नियुक्त शासकीय सेवक-निलंबन

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 6-1-1007-
78-3-एक, दिनांक
7-4-78.

कई बार शासकीय सेवकों को भरती नियमों में निर्धारित पदोन्नति/नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया के अनुसरण में विलंब लगने के कारण शासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रख उच्च पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त कर दिया जाता है. यदि ऐसे शासकीय सेवक को आपराधिक/अनुशासनात्मक मामले में निलंबित किया जाना आवश्यक हो तो, उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर देना चाहिये, जिस पद से उसे उच्च पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त कर दिया गया था. ऐसी कार्यवाही इसलिये आवश्यक है कि तदर्थ रूप से किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति/नियुक्ति उच्च पद पर वास्तविक रूप से कार्य करने के लिये की जाती है. उसे निलंबन में रखने पर वह उस पद का कार्य नहीं कर सकेगा. इस स्थिति में उसको निलंबन की अवधि में तदर्थ रूप से पदोन्नत/नियुक्त किये गये पद पर रखना शासकीय हित में नहीं होगा.

सात—अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवक का निलंबन

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 62-1464-1
(3) 79; दिनांक
28-1-80 तथा क्र.
सी-6-6-2000-3-
एक, दिनांक 16-8-
2000.

ऐसे शासकीय सेवक, जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं. ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अविश्वसनीय प्रारंभ की जावे. अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित हो, उसे उसी दिनांक से निलंबित किया जाय तथा अनुशासनिक कार्यवाही का निराकरण अधिकतम 6 माह के अंदर किया जाय.

आठ—निलंबन अवधि में शासकीय सेवक का मुख्यालय

सामान्यतः निलंबित किये जा रहे/निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय निलंबन के दौरान अंतिम कर्तव्य स्थान पर ही निर्धारित किया जाना चाहिये. सक्षम प्राधिकारी, समुचित आधार पर, निलंबित किये जा रहे/निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय परिवर्तन कर सकता है. मुख्यालय परिवर्तन की स्थिति में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1312-चार-आर-दो-71, दिनांक 15-6-71 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार निलंबित शासकीय सेवक को नियमानुसार "स्थानांतरण यात्रा भत्ते" की पात्रता होगी. यदि निलंबित शासकीय सेवक के निवेदन पर मुख्यालय में परिवर्तन किया जाता है तो उसे उक्त स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी.

नौ—निलंबित शासकीय सेवक-जीवन निर्वाह भत्ता

(1) निलंबित शासकीय सेवक को "जीवन निर्वाह भत्ता" मूलभूत नियम 53 के प्रावधान के अनुसार देय होता है। मूलभूत नियम 53 (1) के (ii) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:—

(क) उस अवकाश वेतन के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता जो शासकीय सेवक अर्द्ध औसत वेतन पर होने की दशा में प्राप्त करता और उस पर देय महंगाई भत्ता यदि इस प्रकार के वेतन पर देय हो:

परन्तु यह कि निलम्बन अवधि तीन माह से अधिक होने की स्थिति में वह प्राधिकारी जिसने निलम्बनादेश दिया था, प्रथम तीन मास पश्चात् किसी भी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नानुसार परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा—

(i) यदि उसकी दृष्टि में निलंबन काल ऐसे कारणों से बढ़ा है जिसका सीधा संबंध उस शासकीय सेवक से नहीं है, तो ऐसे कारणों को लिपिबद्ध करते हुए प्रथम तीन माह के पश्चात् निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से अनधिक किसी उचित राशि तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) यदि उसकी दृष्टि में निलंबन काल ऐसे कारणों से बढ़ा है, जिसका सीधा संबंध उस शासकीय सेवक से है, तो ऐसे कारणों को लिपिबद्ध करते हुए प्रथम तीन माह के पश्चात् निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से अनधिक किसी समुचित राशि तक कमी की जा सकती है।

(iii) महंगाई भत्ते की दर उपरोक्त (i) तथा (ii) के अनुसार बढ़ी अथवा घटी हुई, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाह भत्ते की राशि पर आधारित होगी।

(ख) (i) अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ते, जो समय-समय पर शासकीय सेवक को, उसके निलंबन की तारीख पर वेतन के साथ देय थे, वे तभी देय हो सकेंगे यदि उनकी शर्तें निलंबन काल में भी पूरी होती हों:

परन्तु जब तक उक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि क्षतिपूर्ति भत्ते के उद्देश्य हेतु शासकीय सेवक पर व्यय भार निरंतर बना हुआ है, शासकीय सेवक को उन क्षतिपूर्ति भत्तों की पात्रता नहीं होगी।

(ii) उपनियम (i) अध्यक्षीन कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शासकीय सेवक यह प्रमाण-पत्र नहीं दे कि वह किसी भी अन्य स्थापना, व्यापार, व्यवसाय या वोकेशन में कार्यरत नहीं रहा है।

(2) निलंबित शासकीय सेवक को निर्वाह भत्ते के भुगतान करने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिये। यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि निलंबित शासकीय सेवक को समय पर निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारी को समुचित दंड दिया जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जीवन निर्वाह भत्ते से निर्धारित कटौती को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाह भत्ता नहीं रोका जा सकता है। अपितु इस हेतु विभागीय जांच में अतिरिक्त आरोप जोड़कर कार्यवाही की जा सकती है।

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 21709-सी-
आर-260-एक
(3) 68, दिनांक
26-9-68.

दस—जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 105-2536-चार-आर-5, दिनांक 23-12-59 सहपठित ज्ञाप क्रमांक 2107-1370-चार-आर-5, दिनांक 28-9-60, 2638-2077/नि. 5, दिनांक 14-12-61 और ज्ञाप क्रमांक 224-4-नि. 3-सी. आर. 1-एफ 15 (सी)-5-73, नि. 3, दिनांक 29-1-75 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निलंबित शासकीय सेवक को प्राप्त

होने वाले "जीवन निर्वाह भत्ते" से की जाने वाली वसूलियों का विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) अनिवार्य वसूलियां :

- (1) आयकर, सरचार्ज सहित,
- (2) निलंबित शासकीय सेवक द्वारा धरित शासकीय आवास का लायसेंस शुल्क
- (3) शासन से प्राप्त किये गये ऋण/अग्रिम, (ऐसी दर से जो विभाग प्रमुख उचित समझे)

(ब) ऐच्छिक वसूलियां (शासकीय सेवक की सहमति या उसके निवेदन पर):

- (1) डाक जीवन बीमा,
- (2) सहकारी साख समिति तथा सहकारी भंडार की देय राशियां
- (3) सामान्य भविष्य निधि से लिये गये अग्रिम की वसूली

(स) जीवन निर्वाह भत्ते से निम्नलिखित राशियों की वसूली नहीं की जाना चाहिये :

- (1) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान
- (2) कोर्ट अटेचमेंट
- (3) शासकीय हानि की वसूली.

ग्यारह—निलंबन के विरुद्ध अपील

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 23 (तीन) में निलंबन आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को अपील किये जाने का प्रावधान है. किन्तु उपर्युक्त नियमों के नियम 25 में निहित प्रावधानानुसार ऐसी अपील, उस दिनांक से जिसको कि अपीलार्थी को उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि दी गयी है, 45 दिन की कालावधि के भीतर की गई हो, ग्रहण की जाएगी. परन्तु उक्त कालावधि समाप्त होने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी समय पर अपील न किये जाने के पर्याप्त कारणों से समाधान होने पर अपील ग्रहण कर सकेगा.

नियम 12(2) (क) एवं (ख) के अनुसार यदि राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को लघु शास्ति के अधिकार प्रत्यायोजित कर अनुशासनिक प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो तो उसके आदेश के विरुद्ध अपील, अपने विभागाध्यक्ष या अपीलीय प्राधिकारी, जो भी उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी से वरिष्ठ हो, को कर सकेगा.

बारह—निलंबन से बहाली

(1) उपरोक्त नियमों के नियम 9 (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन किये गये निलंबन को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहत किया जा सकेगा, यहि वह ऐसा उचित समझे.

(2) नियम 9 (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन भ्रष्टाचार या नैतिक पतन में अंतर्वलित दण्डित अपराध में शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने पर किया गया निलंबन आदेश उपर्युक्त नियमों के नियम 9 (5) (घ) के परन्तु के प्रावधानानुसार तब तक प्रतिसंहत नहीं किया जाएगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये. इस प्रकार का बहाली अपवादिक प्रकरणों में ही की जाना चाहिये तथा निलंबन समाप्त करने के ठोस कारणों को अंकित किया जाना चाहिये. इस प्रकार के प्रकरणों (विशेषकर लोक आयुक्त, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुशंसित मामलों में) बहुत ही आपवादिक प्रकरणों में अभिलिखित किये गये ठोस कारणों के आधार पर ही निलंबन समाप्त किया जाना चाहिये. यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अपचारी

शासकीय सेवक साक्ष्य प्रभावित करने की स्थिति में न हो। शासकीय सेवक के इस प्रकार के निलंबन आदेश को प्रतिसंहत करने के अधिकार राज्य सरकार को ही हैं, अन्य किसी अधिकारी को नहीं।

- (3) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 501-2883-1-3-78, दिनांक 15-12-79 की कंडिका 3 में निर्देश दिये गये थे कि जब किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप के संबंध में, जिसमें शासकीय सेवक का नैतिक अधःपतन निहित है, प्रथम न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त करने के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की जाए, तो सामान्यतया उस शासकीय सेवक का निलंबन तब तक समाप्त न किया जाए, जब तक कि अपील में भी उसे दोषमुक्त घोषित नहीं किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त निर्देश (3) को निरस्त करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि आपराधिक प्रकरण में यदि किसी शासकीय सेवक को विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो संबंधित सेवक को बहाल किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जावे, भले ही उक्त आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील की जा रही हो अथवा कर दी गयी हो।

तेरह—निलंबन की कालावधियों की गणना

निलंबित शासकीय सेवक का निलंबन आदेश प्रतिसंहत होने पर निलंबन की कालावधियों की गणना के विषय में म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 23 में निम्नानुसार प्रावधान है:—

“आचरण से संबंधित जांच के लंबित रहने तक, किसी शासकीय सेवक द्वारा निलंबन के अधीन बिताये गये समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में तब ही की जाएगी जहां ऐसी जांच की समाप्ति पर, उसे पूर्ण रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो या निलंबन को पूर्णतः अनुचित ठहराया गया हो। अन्य मामलों में निलंबन की कालावधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय अभिव्यक्त रूप से यह घोषित नहीं कर देता कि इसकी गणना उस सीमा तक की जाएगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित करें”

चौदह—निलंबित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन

गोपनीय चरित्रावली में शासकीय सेवकों के द्वारा पूरे वर्ष में किये गये कार्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उनके कार्यों के संबंध में टीप अंकित की जाती है। निलंबित शासकीय सेवकों द्वारा निलंबन अवधि में कोई शासकीय कार्य नहीं किया जाता है। अतः निलंबित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में सामान्यतः “कोई टीप नहीं” अंकित किया जाता है। निलंबित शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखते समय संबंधित अधिकारियों द्वारा इस आशय का भी मतांकन किया जाना चाहिए कि निलंबित शासकीय सेवक निलंबन की अवधि में मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित तो नहीं रहा है, तथा उसके द्वारा कोई व्यवसाय, नौकरी आदि तो नहीं की जा रही है। यदि उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है तो इस संबंध में टीप अंकित की जावे कि उसके द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही में सहयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 447-2223-
98-1/9,
दिनांक 9-3-99.

पन्द्रह—निलंबन अवधि में त्याग-पत्र

समस्त नियुक्तकर्ता प्राधिकारी यह ध्यान में रखें कि कोई भी शासकीय सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, द्वारा यदि त्याग-पत्र दिया जाता है तो उसका त्याग-पत्र तब तक स्वीकृत न किया जाय जब तक कि विभागीय जांच में अंतिम निर्णय न हो जाये।

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. 1356-1650-
1(3), दिनांक
3-6-67.

सा.प्र.वि. का परिपत्र
क्र. सी-6-8-99-
3-एक, दिनांक 30-
6-99

सोलह—निलंबन अवधि में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित होने की स्थिति में यदि संबंधित शासकीय सेवक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह शासकीय सेवा में रहेगा और उसे पूर्ण वेतन अथवा निलंबन की दशा में निलंबन भत्ता दिया जाना होगा. यदि दोषमुक्त हो जाता है तो उसे निलंबन अवधि के लाभ भी देने पड़ सकते हैं. अनिच्छा से शासकीय सेवा करने वाला व्यक्ति अपना कर्तव्य भी पूर्ण निष्ठा तथा उत्तरदायित्व से नहीं करता. दूसरी ओर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली जाने पर उसे अनंतिम पेंशन देय होगी. यह पेंशन आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच में दोषसिद्ध होने पर रोकी जा सकेगी. पेंशन रोकने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि शासन को शासकीय सेवक के आरोपित कृत्य के धनहानि ही हो. कदाचरण यदि गंभीर प्रकृति का है तो उसकी पेंशन रोकने की कार्यवाही की जा सकती है. इस स्थिति में यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की जाती है तो यह अनुचित नहीं होगा. इसमें कोई विधिक बाधा भी नहीं होगी. दंडित किये जाने पर देय पेंशन, पेंशन नियमों के प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर रोकी जा सकेगी. प्रकरण लंबित रहने की अवधि में पेंशन नियमों के नियम 9(4) के प्रथम परन्तुक के प्रावधानों पर केवल अनंतिम पेंशन निर्धारित की जा सकेगी.

अतएव ऐसे शासकीय सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने हेतु यदि आवेदन-पत्र दिया जाता है तो उक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी.

कृपया इन निर्देशों का समुचित रूप से पालन करें, साथ ही, इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से, तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-6-2002-3-एक

भोपाल, दिनांक, 30 अगस्त 2002

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु.
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री मंत्रालय, भोपाल
7. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
8. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, म. प्र.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
12. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल
17. उप सचिव, मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1), 7 (2) एवं कक्ष 7 (3), मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
18. अवर सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय
19. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(के. एल. दीक्षित)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.

निरसित किये गये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रों की सूची

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	विषय
1.	2136-1492-1(3) 62, दिनांक 26-9-62	Payment of subsistence allowance to a Government Servant Placed under suspension.
2.	231-जी. आर. 557 (1), 3, 62 दिनांक 31-1-63.	Payment of subsistence allowance to a Government Servant Placed under suspension.
3.	1576-2231-1 (3) दिनांक 27-7-66	Procedure to obviate Payment of subsistence allowance to a convicted Govt. Servant during the Pendency of appeal.
4.	1356/1650/1त (3) दिनांक 3-6-67	निलंबन अवधि में त्यागपत्र
5.	21709-सी आर 260-1 (3), दिनांक 26-9-68	निलंबन काल के शासकीय सेवकों को निर्वाह भत्ता देने बाबत.
6.	1 (2)/1974/5-1 दिनांक 4-3-76	विशेष पुलिस स्थापना दल म. प्र. राज्य सतर्कता आयोग द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजनों के प्रकरणों में संबंधित शासकीय कर्मचारी का निलंबन.
7.	6-5-76-3-1 दिनांक 8-7-76	कर्मचारियों का लंबी अवधि तक निलंबन
8.	6-2-77-3-1 दिनांक 27-8-77	निलंबित शासकीय सेवकों को निर्वाह भत्ता देने के संबंध में
9.	6-1-1007-78-3-1 दिनांक 7-4-78	तदर्थ रूप से पदोन्नत शासकीय सेवक को निलंबन में रखना
10.	6-2-78-3-1 दिनांक 27-9-78	एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.
11.	6-2-78-3-1 दिनांक 16-11-79	एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.
12.	501-2883-1-(3)-78, दिनांक 15-12-79	भ्रष्टाचार के आरोपों पर शासकीय सेवकों को निलंबन में रखना
13.	62-1464/1 (3)-79 दिनांक 28-1-80	अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में कर्मचारी का निलंबन
14.	एफ 6-2-78/3/1, दिनांक 9-4-80	एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.
15.	सी 6-4/84/3/1, दिनांक 22-11-84	विभागीय जांच के संबंध में शासकीय सेवकों का निलंबन
16.	12 (2) 85/प्रसको/एक दिनांक 15-10-85	लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक/दिनांक	विषय
17.	सी 6-3/85/3/1, दिनांक 21-1-86	कलेक्टर्स द्वारा कर्मियों का निलंबन
18.	एफ 13 (3) 88/49-10, दिनांक 7-11-88	लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.
19.	सी 12-38/91/3/1, दिनांक 7-6-91	शासकीय सेवकों का निलंबन आरोप-पत्र का जारी किया जाना
20.	सी 12-39/91/3/1, दिनांक 27-7-91	एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.
21.	सी 6-2/92/3/1, दिनांक 30-1-92	शासकीय सेवकों का निलंबन आरोप-पत्र का जारी किया जाना
22.	एफ 11/58/98/1-10, दिनांक 26-2-98	लोकायुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.
23.	147/2223/98/1/9, दिनांक 9-3-99	निलंबित शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन
24.	सी-6-8/99/3/एक दिनांक 30-6-99	आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच लंबित होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
25.	सी-6-10/99/3/1, दिनांक 30-9-99	आपराधिक/भ्रष्टाचार के प्रकरणों में निलंबन के बहाल करने विषयक
26.	एफ 5-1-/2001/1/9 दिनांक 28-5-2001	शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में निलंबित अधिकारी का मतांकन

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक सी-6/1/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 6-11-2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त/समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त विकास खण्ड अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

विषय.— आपराधिक/भ्रष्टाचार प्रकरणों में निलंबित शासकीय सेवकों की निलंबन से बहाली.

सन्दर्भ:— सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र सी-6-10/99/3/एक, दि. 30-9-99

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक में भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अंतर्वलित दाण्डिक अपराध में शासकीय सेवक के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने पर उसे अनिवार्यतः निलम्बित किये जाने का प्रावधान है.

2. उपरोक्त नियमों के नियम-9 के उप नियम (5) के खण्ड (घ) के परन्तुक में प्रावधान है कि नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन आदेश तब तक प्रतिसंहत नहीं किया जायेगा जब तक उसके बारे में सरकार द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित नहीं कर दिया जाये.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दि. 3-9-99 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में निलम्बन की अनिवार्यता, तथा ठोस एवं समुचित कारणों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा बहाली के औचित्य के संबंध में निर्देश स्पष्ट किये गये हैं.

4. प्रायः देखा गया है कि न्यायालय में इस प्रकार के प्रकरणों में निर्णय होने में काफी समय लगता है. ऐसी स्थिति में शासकीय सेवक लम्बे समय तक निलंबित ही बना रहता है. यह स्थिति न तो शासन के हित में है और न ही संबंधित शासकीय सेवक के हित में है. दीर्घ अवधि तक प्रकरण न्यायालय में लंबित रहने के बाद यदि न्यायालय द्वारा संबंधित शासकीय सेवक को दोषमुक्त किया जाता है, तो उसे निलंबन अवधि का सम्पूर्ण भुगतान करना पड़ता है.

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन ने अब निर्णय लिया है कि म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन आदेश, निलंबित शासकीय सेवक के प्रशासकीय विभाग द्वारा उस दशा में प्रतिसंहत किया जावेगा, जब संबंधित प्रकरण में न्यायालय का विनिश्चय, न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किये जाने की तिथि से 3 वर्ष की कालावधि के समाप्ति तक नहीं किया जाता है. परन्तु इसमें विलम्ब की वह अवधि सम्मिलित नहीं की जावेगी जिस विलम्ब के लिए शासकीय सेवक स्वयं उत्तरदायी हो. नियम-9 के उप नियम (5) के खण्ड (घ) के परन्तुक में की गयी अपेक्षा के अनुसार निलम्बन आदेश प्रतिसंहत करने का स्पष्ट कारण भी आदेश में दर्शाया जावेगा. निलंबन अवधि का निराकरण, संबंधित प्रकरण में न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने के बाद ही किया जावेगा.

हस्ता./-

(**एम. के. वर्मा**)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-1-2002-3-एक

भोपाल, दिनांक, 6-11-2002

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर.
13. महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
14. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
16. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अभिलेख/अधीक्षण मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी-6/1/2003/3/एक

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के शासकीय सेवकों के विरुद्ध एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण.

राज्य शासन को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई विभागों में अनेक लोक सेवकों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच के प्रकरणों की लम्बी अवधि से निराकरण न होने के कारण वे पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों की संख्या काफी अधिक है. जांच संबंधी कार्यवाही समय-सीमा में न होने के कारण इन्हें छोटी-छोटी त्रुटियों का बड़ा दण्ड भोगना पड़ता है.

2. कृपया सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी एवं कर्मचारियों की जांच जो एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें 31 मार्च, 2003 तक आवश्यक रूप से पूरी कर ली जाए.

3. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाए.

हस्ता./-

(ए. व्ही. ग्वालियरकर)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-2-2003-3-एक

भोपाल, दिनांक, 12 मार्च 2003

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन, भोपाल.

6. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर.
13. महाधिवक्ता/ उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
14. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल.
16. अवर सचिव/स्थापना//अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
17. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(ए. व्ही. ग्वालियरकर)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी-6/4/03/3/एक

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव म. प्र. शासन
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में विचाराधीन प्रकरणों अनुशंसाओं पर शासन के अधिकारी द्वारा टीका-टिप्पणी न करने बाबत.

म. प्र. विधान सभा सचिवालय द्वारा विशेषाधिकार समिति के पंचम प्रतिवेदन के माध्यम से शासन के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण लाया गया है, जिसमें शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समिति की अनुशंसाओं पर टीका टिप्पणी की गयी, जिसे समिति ने बहुत अनुचित एवं गंभीर माना है.

2. समिति द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए शासन की ओर से परिपत्र जारी कर, सभी अधिकारियों को निर्देशित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में विधान सभा की विशेषाधिकार समिति/प्रश्न एवं संदर्भ समिति या संबंधित अन्य समिति में विचाराधीन प्रकरणों अथवा इन समितियों द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर कोई अनावश्यक/प्रतिकूल टीका-टिप्पणी न की जाय.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-4-03-3-एक

भोपाल, दिनांक, 31 अक्टूबर 2003

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राज भवन, भोपाल.
2. सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
3. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर.

4. सचिव, लोकायुक्त म. प्र. इंदौर.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/ उप मुख्यमंत्री/मंत्री/ राज्य मंत्री, म. प्र.
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता/म. प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
11. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल.
12. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल.
13. आयुक्त, जनसंपर्क, म. प्र. भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना, अधीक्षण, अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी.
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
18. अध्यक्ष, प्रान्ताध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ/संगठनों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(एम. एल. नरवरिया)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”

वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक सी-6/2/04/3/एक

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2004

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय कमिश्नर, मध्यप्रदेश.

विषय.—प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध संभागीय कमिश्नरों द्वारा संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही का समन्वय.

सन्दर्भ.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी 6-5/97/3/एक, दिनांक 1 जनवरी, 2002

राज्य शासन के संदर्भित अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (क) तथा (ख) के अनुसरण में समस्त संभागीय आयुक्तों को अपने-अपने संभागों में पदस्थ/पूर्व में पदस्थ रहे राज्य शासन के सभी विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा एवं पुलिस विभाग के भिन्न) शासकीय सेवकों पर संबंधित संभाग में पदस्थापना की कालावधि के दौरान अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये, अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया गया था. इसके फलस्वरूप संभागीय कमिश्नर उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों को निलंबित करने के लिये भी सशक्त है.

2. शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि संभागीय कमिश्नरों से उपरोक्तानुसार प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के विरुद्ध संस्थित अनुशासनात्मक मामलों की जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को प्राप्त नहीं हो पाती है. इसके कारण कभी-कभी अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित होते हुए भी संबंधित शासकीय सेवक को पदोन्नति आदि का लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन जाती है.

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:—

- (1) जब भी किसी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवक को कमिश्नर द्वारा निलंबित किया जाता है अथवा/एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो इसकी सूचना (संबंधित आदेशों की प्रतियों सहित) तत्काल संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष को देगा. साथ ही, इस विषय में समय-समय पर जारी अन्य समस्त आदेशों की प्रतियां भी संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को पृष्ठांकित की जायेगी.
- (2) शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक/आपराधिक मामलों की जानकारी समुचित रूप से कम्प्यूटर पर संधारित की जाय तथा इसे अद्यतन रखा जाय.

हस्ता./—

(सी. एस. तिवारी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. सी. 6-01/2005/एक-3

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— अनुशासनिक मामलों में शासकीय सेवकों का अनावश्यक निलम्बन नहीं करना तथा लघुशास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलम्बन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में शासकीय सेवकों के निलम्बन के विषय में प्रावधान है तथा वे स्थितियां वर्णित हैं जिनमें शासकीय सेवकों को निलम्बित किया जा सकेगा.

2. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक 13 में उल्लिखित है कि किसी ऐसे शासकीय सेवक को जिसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाना हो, सामान्यतः निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए. जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलम्बित किया जाना चाहिए. यदि जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो उसे निलम्बन के बदले अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-38-91-3-1, दिनांक 7-6-91 में निर्देश दिए गए हैं कि जहां नियम, 9(1) (क) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान निलम्बित किया जाता है, तो निलम्बन आदेश में स्पष्ट एवं सुनिश्चित कारण दर्शाए जाना चाहिए. अनावश्यक रूप से शासकीय सेवक को निलम्बित किए जाने की परम्परा को निरुत्साहित किए जाने के उद्देश्य से मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-6-4/97/3/एक, दिनांक 19-3-1997 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि छोटी-मोटी त्रुटियों के लिये निलम्बन की कार्रवाई नहीं की जाए.

4. शासन के ध्यान में बार-बार यह तथ्य लाया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रायः बिना समुचित आधार के शासकीय सेवकों को निलम्बित किए जाने की कार्रवाई की जाती है. जांच में संबंधित शासकीय सेवक या तो निर्दोष पाया जाता है अथवा उसे साधारण चेतानी या कोई लघुशास्ति अधिरोपित की जाती है. इस प्रकार की कार्रवाई से शासकीय सेवक तो प्रताड़ित होता ही है, बिना कार्य किए निलम्बन अवधि के लिये पूर्ण वेतन-भत्ते दोषमुक्त शासकीय सेवक को देना पड़ते हैं.

5. विचारोपरांत शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध जांच में आरोपों के स्वरूप को देखते हुए प्रथमदृष्टया यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर पदच्युति, सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है, तभी उसे निलम्बित किया जाय. अर्थात् लघुशास्ति के मामलों में उसे निलम्बित नहीं किया जाना चाहिए.

6. मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जांच में यदि किसी निलम्बित शासकीय सेवक पर जांच उपरांत लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलम्बन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता. अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक की निलम्बन अवधि को मूलभूत नियम 54-बी के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अवधि मान्य कर निलम्बन अवधि के सम्पूर्ण वेतन-भत्ते (शासकीय सेवक को निलम्बन अवधि में भुगतान किए गए "जीवन निर्वाह भत्ते" की राशि का समायोजन कर) दिए जाएं. यह निर्णय इस ज्ञापन के प्रसारित होने की तिथि से लागू होगा तथा जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है वे पुनः नहीं खोले जाएंगे.

7. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(एन. एस. भटनागर)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण के विशेष सहायक/निज सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.
12. महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
15. उप सचिव, अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
18. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल.

हस्ता./-

(सी. एस. तिवारी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र. सी. 6-3/2005/3/एक

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत कार्यवाही के संबंध में.

वर्तमान निर्देशों के अनुसार कदाचरण के छोटे मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत लघुशास्ति के संबंध में त्वरित कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी प्रक्रिया उक्त नियमों के नियम 16 में दी गई है.

2. नियम 16(1) के पैरा (क) के तहत कारण बताओ नोटिस में यह लिखा जाना चाहिए कि नियम 10 में उल्लिखित कौनसी शास्ति दी जाना प्रस्तावित है.

3. यदि शासकीय सेवक का उत्तर आंशिक रूप से संतोषजनक हो तो नियम 16 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित शास्ति से कम शास्ति दी जा सकती है.

4. जैसा कि इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. सी-6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून, 1994 की कण्डिका 3(3) में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रकरण चेतावनी देकर समाप्त नहीं किया जा सकता है या तो शासकीय सेवक को दोषमुक्त घोषित किया जाये या कम से कम परिनिन्दा का दण्ड दिया जाये.

5. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2071/एफ ए-6-85/82/1/(1), दि. 31 जुलाई, 1984 और दिनांक 28-12-84 और क्रमांक सी/6-1/25/3/एक, दिनांक 18 जुलाई, 1993 में "बिना कोई शास्ति अधिरोपित किए गए साधारण चेतावनी देकर" प्रकरण समाप्त का उल्लेख है. इसे "बिना किसी शास्ति अधिरोपित किए" समझा जाये.

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान रु. 12,000-16,500 या इससे ऊपर के वेतनमान में नियुक्त शासकीय सेवक के प्रकरण विभागीय कार्यवाही को बिना किसी दण्ड दिए समाप्त किया जाना है तो समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है.

हस्ता./-
(भूपाल सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव, निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर.
12. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
14. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल.
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
17. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. सी. श्रीवास्तव)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग.

(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 85, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2005—फाल्गुन 26, शक 1926)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17. मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-1-2004-3-एक, दिनांक 17 मार्च 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफने, उपसचिव.

Bhopal, the 17th March 2005

No. C-6-1-2004-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 14, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule (3) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUBHASH DAFNEY, Dy. Secy:

(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 177, भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2005—चैत्र 23, शक 1927)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2005

क्र. सी-6-4-2005-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (1) शीर्षक "सचिवालय के स्थान पर," शीर्षक "मंत्रालय" स्थापित किया जाए.
- (2) इस प्रकार स्थापित किए गए शीर्षक "मंत्रालय" के अधीन तथा विद्यमान उपशीर्षक "द्वितीय श्रेणी" के अधीन प्रविष्टि "अनुभाग अधिकारी/निज सचिव/अनुवाद अधिकारी" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुभाग अधिकारी/ निज सचिव/ अनुवाद अधिकारी.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	समस्त	राज्यपाल

- (3) इस प्रकार स्थापित किए गए शीर्षक "मंत्रालय" के अधीन, विद्यमान उपशीर्षक "तृतीय श्रेणी" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तृतीय श्रेणी तृतीय श्रेणी के समस्त लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय पद.	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	प्रमुख सचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग.	समस्त	मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव.

- (4) इस प्रकार स्थापित किए गए शीर्षक "मंत्रालय" के अधीन विद्यमान उपशीर्षक "चतुर्थ श्रेणी" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के समस्त सरकारी सेवक.	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	संचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.	समस्त	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2005

क्र. सी-6-4-2005-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-4-2005-3-एक, दिनांक 13 अप्रैल 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफने, उपसचिव.

Bhopal, the 13th April 2005

No. C-6-4-2005-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule,—

(1) for the heading "Secretariat", the heading "Mantralaya" shall be substituted.

(2) Under the heading "Mantralaya", so substituted and under the existing sub-heading "Class-II", for the entries "Section Officers/Private Secretaries/Translation Officer" and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Section Officers/ Private Secretary/ Translation Officer.	Principal Secretary, General Administration Department.	Principal Secretary, General Administration Department.	All	Governor

(3) Under the heading "Mantralaya", so substituted, for the existing sub-heading "Class-III", and entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Class-III All Ministerial and Non-Ministerial posts of Class-III.	Secretary, General Administration Department.	Principal Secretary/ Secretary General Administration Department.	All	Senior most Additional Chief Secretary/ Principal Secretary posted in Mantralaya.

(4) Under the heading "Mantralaya", so substituted, for the existing sub-heading "Class-IV", and entries relating thereto; the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Class-IV All Government Servants of Class-IV.	Secretary, General Administration Department.	Secretary, General Administration Department.	All	Principal Secretary, General Administration Department.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SUBHASH DAFNEY, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-5/2005/3/एक

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 2005

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
समस्त प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
समस्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।


विषय.— माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक 1138/2005 श्रीमती ललिता देवी मिश्रा विरुद्ध प्रियांशु कमल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26-07-2005.

विषयांकित प्रकरण में मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 26-07-2005 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है। मा. उच्च न्यायालय ने इस आदेश के पद-10 में यह स्पष्ट किया है कि विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समय-सीमा में पालन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा न्यायालय की गाज उन पर गिर सकती है। संबंधित अधिकारियों द्वारा माफी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कारण को मान्य नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि मा. उच्च न्यायालय ने न्यायालय के आदेश का समय-सीमा में पालन न किए जाने को अति गंभीरता से लिया है और अवमानना के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की माफी नहीं दिए जाने संबंधी मंशा व्यक्त की है। महाधिवक्ता महोदय ने अपने पत्र दिनांक 5-8-2005 (प्रतिलिपि संलग्न) में राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वर्ष 2004 में राज्य शासन के विरुद्ध लगभग 2,000 अवमानना के प्रकरण दायर किए गए थे और वर्तमान वर्ष में जुलाई, 2005 तक लगभग 3,000 अवमानना के प्रकरण केवल जबलपुर मुख्य पीठ में दायर किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि इतनी अधिक संख्या में न केवल जबलपुर मुख्य पीठ बल्कि ग्वालियर एवं इन्दौर की खण्डपीठों में अवमानना के प्रकरण दायर किए जा रहे हैं, जो गंभीर चिन्ता का विषय है।

3. अतएव, राज्य शासन चाहता है कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में तत्परता से कार्यवाही की जावे, ताकि अवमानना के प्रकरण दायर करने की स्थिति नहीं बन सके तथा न्यायालय का कोपभाजन बनने से बचा जा सके।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग के संबंधित अधिकारियों व अधीनस्थ कार्यालयों को मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित उक्त आदेश के निर्देशों से अवगत करायें तथा सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



(खुशीराम)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग।

क्रमांक सी/6-5/2005/3/एक

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 2005

प्रतिलिपि :—

महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर को उनके पत्र दिनांक 5-8-2005 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।



(खुशीराम)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग।

Ravi Nandan Singh
 Advocate General
 Madhya Pradesh

D.O. No.

Office of the Advocate General
 Madhya Pradesh, Jabalpur, Pin-482007

Phone (O) 0761-2678185, 2678740
 Fax (O) 0761-2621216
 (R) 0761-2622854, 5045137
 Fax (R) 0761-2678262

Dated 5th August, 2005

MOST IMPORTANT

To,
 The Chief Secretary,
 Govt. of M.P.,
 Mantralaya,
 Bhopal.

Please find enclosed herewith a copy of the order dated 26-7-2005 passed in Contempt Petition No. 1138/2005-Smt. Lalita Devi Mishra Vs. Priyanshu Kamal and others. In the aforesaid matter the learned Single Judge has considered various aspects involved in the contempt proceedings which are initiated U/S 12 of the Contempt of Courts Act, 1971 read with Article 215 of Constitution of India. In Paragraph 10 the order, direction has been issued to the Chief Secretary of the State of M.P. for circulating the copy of the order passed by the learned Single Judge so that various orders passed by the High Court are duly complied with, within the time frame stipulated in the said orders. Paragraph 10 of the above said order is reproduced here as under :—

“Keeping in view the totality of circumstances, I inclined to direct the Chief Secretary of the State to issue directions to all the Head of the Departments, who in their turn, direct their subordinate to comply with the order passed by this Court within the time frame failing which the sword of majesty of law would fall on them and that day would be the dooms day and there shall be no excuse of apology, however, profoundly stated or unconditionally put-forth. As far as the present case is concerned the order of this Court shall be complied with by end of September, 2005. The Additional Registrar (Judicial) is directed to send a copy of the order to the Chief Secretary of the State and to all the Respondents within a period of seven days hence.”

It is pertinent to mention here that roughly 2000 contempt petitions were filed in 2004 and by 31st July 2005 nearly 3000 contempt petitions have been filed at the Main Seat of the High Court at Jabalpur alone. Thus, it appears that a large number of contempt petitions are being filed not only at Jabalpur but also at Benches Gwalior and Indore. Hence it is necessary that the order of the High Court passed in C.P. No. 1138/05 be circulated to all the Head of the Departments so that appropriate action is taken by them within the time frame given in the order.

Please ensure the compliance of the directions of the High Court contained in Paragraph 10 of the order-dated 26-7-2005.

Sd./-
(Ravi Nandan Singh)
 Advocate General, M.P.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**Contempt Petition No. 1138/2005****Smt. Lalita Devi Mishra** **Petitioner***Versus***Priyanshu Kamal and others** **Respondents****For the petitioner : Mr. Atulanand Awasthy, Ku. S. Chaturvedi and Mr. A. Highwasiya**Present : Hon'ble Mr. Justice Dipak Misra .**ORDER****(26-7-2005)**

The present application preferred under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971 (for brevity 'the Act') read with Article 215 of the Constitution of India, the most compassionate as well as an organic and living one, depicts a picture and frescoes a scenario which compels one to ask certain elementary questions "Have the authorities in the case at hand, namely, Secretary, Tribal Development Department, Bhopal, Commissioner, Tribal Development Department, Bhopal and Block Development Officer, Kotma, District Shahdol, lost their sensitivity to the miseries of helpless, hapless and agonized persons and decisively taken a decision to remain in a constant slumber? Have they forgotten the age old saying, if one is lazy, the nectar turns into poison? Have they absolutely forgotten that one day they would also retire and would be in need of retiral benefits?" Be it noted when the bad time abounds it can affect one and all. But, as it appears, the authorities, like the present contemners, treat all the persons in difficulty, like the widow of Late Gopika Prasad Mishra, as unpersons, possibly harbouring an idea that when they are in spring they are not to bother about the winter of others. Despite constant reminders by this Court to deal with and dwell upon the matter of retiral benefits in quite promptitude and carry out the orders passed in the cases of this nature with utmost immediacy, it appears that there has been no change whatsoever in their temperament, as if they are determined to nurture their nature to such an extent where one would be compelled and constrained to state that the authorities at seven are also the same at seventy. Their stagnation, their mind set, their perception, their uncared and unbending attitude, their insensitivity and carelessness, as if, have been clearly crystallized.

2. The factual matrix, as has been adumbrated is that the petitioner had initially approached the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (in short 'the Tribunal') in Original Application No. 2844/2001 for issue of appropriate direction to the respondents to make full and final payment of the entire amount which were due to her late husband and grant of interest. After abolition of the Tribunal the matter stood transferred to this Court. This Court expressed the view as under :—

"5. The grant of retiral benefits is an extremely sensitive matter, more so, for the low paid employees. It requires immediate and prompt attention when the employee dies in harness.

There cannot be a compromise with regard to time factor. But, an omnibus one, there was not action from the respondent Nos. 1 to 4 and there has been no action till today. Possibly the respondent Nos. 1 to 4 have harboured a feeling of certitude that they are in such a dimension where time has stopped or trickles as per desire. Unfortunately, the time does not stop for mortals and definitely the respondent Nos. 1 to 4 are not beyond mortals. An appropriate and quick action was warranted. I am disposed to think the present observations would usher in a sense of compassion, bring in prudence and sagacity and arouse their sensitivity and they will not think that there has death of time.

6. In view of the aforesaid, without waiting for the return of the respondent Nos. 1 to 4, it is directed that the respondent No. 1 shall personally see that all retiral dues of the petitioner are finalised within a period of four weeks from the date of receipt of the order passed today. If any sum is found to be due, interest shall be computed at the rate of 9% be paid to him during that period."

3. It is asseverated in the petition that despite the aforesaid order and inspite of the expiration of the time and further issuance of the direction by the Senior Deputy Accountant General that the matter is to be finalized the respondents whose names find mention earlier have not taken any steps whatsoever. They have adhered to the stance of motionlessness and immobility. In a welfare State the people who are holding public offices have to treat themselves to be accountable and are required to have the conception of serviceability. They cannot afford to feel more important than the citizens. They must bear in mind that every person has a tolerance limit. When the latitude of tolerance gets insufferable, the people like the respondents should realize how small they are. It is always wise to be aware about the still water. Obedience of the Court's order with sanguinity would ostracize the proclivity of laxness. They would cease to be languid and apathetic. But, a fruitful one, if they choose not to act upon the orders passed by the Court they will invite the severity and ire of majesty of law. The authorities should not forget that they have the solemn duty to discharge. Carrying out the order of the Court is a sacrosanct duty. Carelessness and laxity in a case of this nature the family is likely to pave the path of ruination. No authority can afford to have imperfect, brute and impermissible reason. He must understand the order in proper perspective and be guided by the light of reason. In this context I may profitably refer to the saying of Cicero "Law is nothing else but right reason, calling us imperiously to our duty, and prohibiting every violation of it." This was said almost 2500 years back.

4. The inaction on the part of the respondents compels this Court to state that the respondents have no choice but to act. To uphold the dignity of law it is imperative to observe that the authorities cannot be allowed to make the order ineffective. In a civilized society the law has to be uphold and the orders are to be executed. The officers of the State who are supposed to do their duty have to act on the orders of the Court and cannot afford to take recourse to the subterfuge that correspondence is going on and the documents are being searched. There has to be a limit to it. A stage should not come when one would be compelled to say that even time feels ashamed by procrastination. The fundamental doctrine is that delay and laches on the part of the respondents annihilate their serviceability, which in the ultimate eventuate tantamounts to articulated arbitrariness which indubitably is not praise worthy. It generates a sense of loss of hope. In this regard I may profitably refer to a passage of the Speech delivered by William T. Gossett in the year 1969

“If respect for the courts and their judicial process is gone or steadily weakened, no law can save us as a society. Lawyers whatever their view on controversial decisions, must inspire respect for the judiciary.” This Court hopes and trusts that the respondents would wake up and able to say themselves “Arise and Act”. Playing truant with the law is not an appreciable propensity. They must endow pregnant conviction to themselves that they have to carry out the orders within the time frame.

5. In this context, I may profitably refer to the decision rendered in the case of Delhi Development Authority Vs. Skipper Constructions and another. (1995) 3 SCC 507 wherein the Apex Court has held as under :—

“43. . . . Thus, any wilful disobedience to the order of the court to do or abstain from doing any act is prima facie a civil contempt. Civil Contempt arises where the power of the court is invoked and exercised to enforce obedience to orders of the Court.”

6. I am conscious that power under Contempt of Courts Act, 1971 should be exercised with utmost care and caution and that too rather sparingly. In this regard I may fruitfully refer to the decision rendered in the case of Commissioner, Agra and others Vs. Rohtas Singh and others, AIR 1998 SC 685 wherein their Lordships have expressed the views that where the conduct of the government functionary is contemptuous the Court can direct to pay the cost personally.

7. While speaking about the contempt jurisdiction, the role of the Court and requirement exercise of said jurisdiction the Apex Court in the case of Anil Ratan Sarkar Vs. HIRAK GHOSH, (2002) 4 SCC 21 expressed thus:—

“13. . . . The contempt of Courts Act, 1971 has been introduced in the statute-book for the purposes of securing a feeling of confidence of the people in general and for due and proper administration of justice in the country-undoubtedly a powerful weapon in the hands of the law courts but that by itself operates as a string of caution and unless thus otherwise satisfied beyond doubt, it would neither be fair nor reasonable for the law courts to exercise jurisdiction under the statute”

In the said case it has been further held that power under the Contempt of Courts Act should be exercised with utmost care and caution and that too rather sparingly and in the larger interest of the society and for proper administration of the justice delivery system in the country.

8. It would not be out of place to remind oneself about the law laid down in the case of Suresh Chandra Poddar Vs. Dhaniram and others, (2002) 1 SCC 766 wherein their Lordships have expressed the view that contempt jurisdiction is not to be exercised casually but only sparingly and in very deserving cases. It is appropriate to bear in mind the adage “It is good to have the power of giant, but not good to use it always.”

9. The purpose of referring to the aforesaid judgments is to highlight that the contempt jurisdiction has to be used sparingly, for the power of giant is not be used always. The authorities who have been directed

by the Court must simultaneously remind themselves that they have to abide by the orders in letter and spirit without any kind of deviancy. As the Court is required to apply restraint while exercising the said jurisdiction the authorities who are to act on the orders of the Court should not act in any such a manner by which the said jurisdiction would be invited to be exercised.

10. "Keeping in view the totality of circumstances, I am inclined to direct the Chief Secretary of the State to issue directions to all the Head of the Departments, who in their turn, direct their subordinate to comply with the orders passed by this Court within the time frame failing which the sword of majesty of law would fall on them and that day would be the dooms day and there shall be no excuse or apology, however, profoundly stated or unconditionally put-forth. As far as the present case is concerned the order of this Court shall be complied with by end of September 2005. The Additional Registrar (Judicial) is directed to send a copy of the order to the Chief Secretary of the State and to all the Respondents within a period of seven days hence."

11. With the aforesaid direction the application for contempt stands disposed of.

R.M.

Sd./-
(Dipak Misra)
Judge.

(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 116, भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2006

क्र. सी-6-6-2005-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उप नियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश को, उनके नियंत्रणाधीन पदस्थ प्रथम श्रेणी (संचालक की पद श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर), शासकीय सेवकों पर उक्त नियमों के नियम के 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2006

क्र. सी-6-6-2005-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 मार्च 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 21st March 2006

No. C-6-6-2005-3-EK.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of Rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers Commissioner, Health Services, Public Health and Family Welfare Department, Madhya Pradesh to impose the penalties specified in clauses (I) to (IV) of Rule 10 of the said rules on Class I (except the Officers of the rank of Director) Government servants posted under his control.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJENDRA SHARMA, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462 004

क्रमांक सी/6-1/2006/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2006

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण किये जाने संबंधी अभियान.

सन्दर्भ:— सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी/6-5/2000/3/एक, दिनांक 11-8-2000.

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 22-12-2005 को आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि समस्त विभाग एक अभियान चलाते हुए उनके अधीन लंबित विभागीय जांच के समस्त प्रकरणों को 6 माह में निराकरण कर अवगत करायें.

2. विभागीय जांच के प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से समय-सीमा में किये जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के अतिरिक्त समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं. उक्त निर्देशों के साथ विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थाओं पर समयावधि निर्धारित किये जाने संबंधी पत्रक भी संलग्न किया गया था जो सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न किया गया है. इसके अतिरिक्त जांच में हुए विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं समय-समय पर विभागीय जांच प्रकरणों के संबंध में समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

3. उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद विभागों में लंबित जांच प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है. शासन की मंशा है कि ऐसे समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण दिनांक 30-6-2006 तक अनिवार्य रूप से अभियान चलाकर किया जाये.

4. अतएव समस्त विभाग संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31-12-2005, दिनांक 1-4-2006 एवं दिनांक 30-6-2006 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की जानकारी क्रमशः दिनांक 7-1-2006, दिनांक 7-4-2006 एवं दिनांक 7-7-2006 तक आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (3) को प्रेषित करें. समस्त विभाग कृपया सुनिश्चित करें कि संभाग जिला इत्यादि स्तर की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को सीधे न भेजी जाये अपितु जानकारी का संकलन प्रशासकीय विभागों द्वारा किया जायेगा और एकजायी संकलित जानकारी प्रशासकीय विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जाएगी.

हस्ता/-

(डी. एस. राय)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिये निर्धारित समयावधि की सारणी

1.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना.	प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह
2.	आरोप पत्रादि जारी किया जाना	अधिकतम एक माह
3.	अपचारी से आरोप पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना (यह अवधि आरोप-पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम 7 दिन पश्चात् की होगी).	सात दिन से एक माह
4.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति.	सात दिन से एक माह
5.	जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना :- (अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु (ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 6 माह अधिकतम 3 माह
6.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अंतिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना :- (अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु (ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 3 सप्ताह अधिकतम 2 सप्ताह
7.	आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिये अंतिम आदेश पारित करना.	अधिकतम 2 सप्ताह

विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों की जानकारी

विभाग का नाम

दिनांक 31-12-2005/1-4-2006/30-6-2006 की स्थिति में

अ. क्र.	संवर्ग	वर्ष 2003 या इससे पूर्व के लंबित प्रकरण	वर्ष 2004 के लंबित प्रकरण	वर्ष 2005 के लंबित प्रकरण	कुल लंबित प्रकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रथम श्रेणी				
2.	द्वितीय श्रेणी				
3.	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)				
4.	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)				
5.	चतुर्थ श्रेणी				
6.	अन्य				

(.....)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/6-5/2006/3/एक

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही.

राज्य शासन के भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान अनुसार निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का चयन शासकीय सेवा के लिये किया जाता है. ऐसे शासकीय सेवकों के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम इत्यादि लागू होते हैं.

2. शासकीय सेवकों के चयन के समय ही पुलिस चरित्र सत्यापन इत्यादि द्वारा यदि पुष्टि कर ली जाती है कि सेवा में आने वाला व्यक्ति सेवा के लिये अर्ह है. इसके बावजूद कोई व्यक्ति यदि गलत जानकारी प्रस्तुत कर अथवा तथ्यों को छुपाकर शासकीय सेवा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो ऐसे तथ्य प्रकाश में आने पर उसके विरुद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये मुख्य शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाये.

3. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता/-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र.-सी-6-5-2006-3-एक

भोपाल, दिनांक, 16 नवम्बर 2006

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल

7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल
10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल म. प्र. भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार, -मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अभिलेख/अधीक्षण/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल
18. सचिव, म. प्र. राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन (द्वितीय मंजिल भोपाल)
19. मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग 35, राजीव गांधी भवन खण्ड-2, प्रथम तल श्यामला हिल्स, भोपाल.

हस्ता/-
 (राजेन्द्र शर्मा)
 उप सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन
 सामान्य प्रशासन विभाग.

(मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण, प्राधिकार से प्रकाशित, क्रमांक 67,
भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2007—फाल्गुन 7, शक 1928)

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्र. सी. 6-1-2007-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2007

No.-C-6-1-2007-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for first proviso to sub-rule (1) of Rule 9, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that a Government Servant shall invariably be placed under suspension when a challan for a criminal offence involving corruption or other moral turpitude is filed after sanction of prosecution by the Government against him.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AKHILESH ARGAL, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-2/2006/3-एक

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति प्रक्रिया बाबत मार्गदर्शी सिद्धान्त.

संदर्भ.—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. सी.-6-2/94/3/एक, दिनांक 30-6-1994.

शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया के विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने परिपत्र OM No. 22011/4/91/Estt.(a), दिनांक 14-9-1992 को निर्देश प्रसारित किये थे. इसके परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30 जून, 1994 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये थे, जिसके पैराग्राफ "7" में निम्नानुसार प्रावधान है :—

“कोई शासकीय सेवक, जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में पैरा 2(1) में उल्लेखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, तो उसके मामले में यह मानकर कार्यवाही की जायेगी कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उससे संबंधित अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखी गयी है, अर्थात् ऐसे प्रकरण में पदोन्नति नहीं की जायेगी और मुहरबंद लिफाफे की प्रक्रिया उसमें लागू हो गयी मानी जायेगी. ऐसे शासकीय सेवक को तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा, जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाये. यदि अपचारी अधिकारी दोषमुक्त नहीं होता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर अमल नहीं किया जायेगा.”

2. मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत—बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध डेगला सूर्य नारायण (AIR 1999-SC-2407) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध सुधा सलहन (1998-SCC-897) तथा देहली जलबोर्ड विरुद्ध महेन्द्र सिंह [2000-SCC-897] में पारित आदेश तथा इस विषय में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र OM No. 22011/2/2002/Estt.(a), दिनांक 24-2-2003 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन, इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30-6-1994 के क्रम में निम्नानुसार पूरक निर्देश जारी करता है :—

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30-6-1994 की कण्डिका-7 ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जिसमें प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने के कारण संबंधित शासकीय सेवक के विषय में विभागीय पदोन्नति समिति का बन्द लिफाफा खोलते समय विभाग द्वारा कोई अन्य विभागीय जांच संस्थित कर दी गयी थी. अर्थात् जहां उस विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें संबंधित शासकीय सेवक के संबंध में अनुशंसा बन्द लिफाफे में रखी गयी थी, की अनुशंसा के आधार पर उससे कनिष्ठ की पदोन्नति हो जाने के बाद संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध दूसरी अर्थात् पश्चात्वर्ती विभागीय कार्यवाहियां संस्थित की गयीं थीं, तो ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक को प्रथम जांच में दोषमुक्त पाये जाने पर प्रथम विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा की स्थिति में कनिष्ठ की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा.

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पश्चात्पूर्ती कार्यवाहियों (जो संबंधित शासकीय सेवक के कनिष्ठ की पदोन्नति के बाद संस्थित हुई) में यदि संबंधित शासकीय सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित कर दी गयी हो, तो ऐसे मामलों में शासकीय सेवक पर अधिरोपित शास्ति को पदोन्नत पद के संदर्भ में संशोधित (modified) किया जा सकेगा एवं इसका उल्लेख संबंधित शासकीय सेवक के पदोन्नति आदेश में भी किया जायेगा ताकि मामले में कोई अस्पष्टता नहीं रहे.

हस्ता./-

(डी. एस. राय)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ. क्रमांक सी-6-2/2006/3-एक

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
10. सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा. प्र. वि., मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
18. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सितम्बर 2007

क्रमांक सी-6-2/2007/3/एक

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से जांच कराये जाने के संबंध में मानदेय

संदर्भ.—सा. प्र. वि. का ज्ञाप क्र. सी-6-9/99/3/1, दिनांक 2-7-99.

शासन के अधीन विभागों में विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुये संदर्भित ज्ञाप द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का पैनाल बनाया जाना तथा उसमें से योग्य व्यक्तियों को जांचकर्ता अधिकारी निश्चित मानदेय पर नियुक्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे ताकि विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार एक वर्ष की समयावधि में किया जा सके. जांच प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहना न तो शासन के हित में है और न ही शासकीय सेवक के हित में है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बार-बार इस संबंध में निर्देश जारी किये जाते रहे हैं साथ ही विभागीय जांच के प्रत्येक चरण में लगने वाले अधिकतम समयावधि की एक समय सारणी भी जारी की गयी थी जो पुनः संलग्न की जा रही है.

2. विभागीय जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मानदेय प्रदान करने की अधिकतम सीमा अब निम्नानुसार होगी :-

- (1) प्रथम श्रेणी अधिकारी की विभागीय जांच के लिये—
रुपये 1000/- के स्थान पर रुपये 2000/- प्रति प्रकरण.
- (2) द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) अधिकारी की जांच के लिये—
रुपये 750/- के स्थान पर रुपये 1500/- प्रति प्रकरण.
- (3) तृतीय श्रेणी (अकार्यपालन) एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक की जांच—
रुपये 500/- के स्थान पर रुपये 1000/- प्रति प्रकरण.

3. मानदेय में उपर्युक्तानुसार संशोधन वित्त विभाग के क्र. 1573/07/नि/चार, टीप दिनांक 21-8-2007 द्वारा अनुमोदित है. कृपया उपरोक्त संशोधित मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवार्य प्राप्त कर विभागीय जांच के प्रकरणों में संलग्न समय सारणी के अनुसार एक वर्ष की समयावधि में समस्त प्रक्रिया पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(डी. एस. राय)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
3. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
10. सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा. प्र. वि., मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचलनालय, म. प्र. भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(मो. जफर कुरैशी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

**विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिए
निर्धारित समयावधि की सारणी**

- | | | |
|----|--|------------------------------------|
| 1 | सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना. | प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह. |
| 2 | आरोप-पत्रादि जारी किया जाना. | अधिकतम एक माह |
| 3. | अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना (यह अवधि आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी). | सात दिन से एक माह |
| 4 | अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति. | सात दिन से एक माह |
| 5. | जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना :-
(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—
(ब) लघु शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम छः माह
अधिकतम तीन माह |
| 6. | जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनंतिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना—
(अ) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु—
(ब) मुख्य शास्ति अधिरोपित करने की निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम 3 सप्ताह
अधिकतम 2 सप्ताह |
| 7. | आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिये अंतिम आदेश पारित करना. | अधिकतम 2 सप्ताह |
-

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-3/2007/3-एक

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श से असहमत होने पर कारणों का उल्लेख किया जाना.

संदर्भ.—सा. प्र. वि. का परिपत्र क्र. सी-6-3/97/3/1, दिनांक 18-3-1997 तथा क्र. सी 6-4/1/3/99, दिनांक 18-2-1999.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 में शासन का ध्यान एक ऐसे प्रकरण की ओर आकर्षित किया है जिसमें विभागीय जांच प्रकरण में 2 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा गया. आयोग द्वारा प्रकरण में कुछ जानकारी चाही गयी परन्तु इसी बीच प्रशासकीय विभाग द्वारा मंत्री-परिषद आदेश प्राप्त कर दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाकर कार्यवाही कर दी गयी. आयोग को न तो अपेक्षित जानकारी भेजी गयी और न ही प्रकरण में लिये गये निर्णय से आयोग को अवगत कराया गया.

2. इस संबंध में संदर्भित परिपत्रों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि मंत्री-परिषद के आदेश सर्वोपरि हैं तथापि प्रावधानित नियमों की उपेक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही इनके पालन से मंत्री परिषद के आदेश प्रभावित होते हैं.

3. उपर्युक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय जांच में यदि प्रथम बार दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः आयोग के परामर्श की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है परन्तु यदि ऐसे प्रकरण में लोक सेवा आयोग का अभिमत ले लिया गया हो और आयोग का अभिमत प्रशासकीय निर्णय से भिन्न हो या आयोग द्वारा कोई पृच्छा की गयी हो तो आयोग को उसके द्वारा की गयी पृच्छा अथवा अभिमत से असहमति की स्थिति में असहमति के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिये.

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें. उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि निर्देशों की उपेक्षा की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए.

हस्ता./-

(डी. एस. राय)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
 2. सचिव, लोकसचिव, म. प्र. भोपाल.
 3. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
 4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र., भोपाल.
 5. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
 6. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
 7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
 8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र. भोपाल.
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
 10. सचिव, म. प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
 13. महालेखाकार, म. प्र., ग्वालियर/भोपाल.
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा. प्र. वि., मंत्रालय, भोपाल.
 15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र., मंत्रालय, भोपाल.
 16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
 17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
 18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
 19. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
 (मो. जफर कुरैशी)
 अवर सचिव,
 मध्यप्रदेश शासन,
 सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-1/2008/3-एक

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—संभागायुक्तों द्वारा अपने ही संभाग में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघुशास्ति के अधिकार.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 1-1-2002.

संदर्भित अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए संभागायुक्तों को उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों पर (न्यायिक सेवा, पुलिस विभाग तथा गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/उपक्रमों में पदस्थ अधिकारियों को छोड़कर) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिये समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-9-2008 द्वारा सशक्त किया गया है.

उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप संभागीय आयुक्त ऐसे शासकीय सेवक जो शासकीय विभाग से बाहर किसी भी संस्था/संगठन/उपक्रम में पदस्थ हो अथवा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने वाले संभागायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर पदस्थ हों, को न तो निलम्बित किया जा सकता है और न ही उनके विरुद्ध कोई शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जा सकती है. अगर किसी प्रकरण में संभागायुक्त को यह प्रतीत हो कि उनके संभाग में तत्समय पदस्थ किसी प्रथम/द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों ने कोई ऐसी अनियमितता की थी जिसके कारण उसके विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह अनियमितताओं के संबंध में आरोप-पत्र तैयार कर संबंधित विभाग को भेजेंगे. अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जायेगी.

हस्ता./-

(व्ही. एस. सावनेर)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पु. क्रमांक सी-6-1/2008/3-एक

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकआयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(व्ही. एस. सावनेर)

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2008—भाद्र 27, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्र. सी-6-1-2008-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 1 जनवरी, 2002 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों को, उनके अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों पर (न्यायिक सेवा, पुलिस विभाग तथा गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/उपक्रमों में पदस्थ अधिकारियों को छोड़कर) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्र. सी-6-1-2008-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-1-2008-3-एक, दिनांक 15 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 2008

No. C-6-1-2008-3-1.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of Rule 12 of the Madhya Pradesh Civil services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and in supersession of this Department's Notification No. C-6-5-97-3-1, dated 1st January, 2002, the Governor of Madhya Pradesh, hereby empowers all Divisional Commissioners of the State to take disciplinary action and to impose the penalties specified in clause (I) to (IV) of Rule-10 of the said rules on Class I and Class II Government servants (except the officers of the Judicial services, police department and posted in Non-Governmental Institutions/Organizations/undertakings) of the State Government posted within their respective divisions.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AQUEELA HASHMAT, Dy. Secy.

1127

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-1/2009/3-1

भोपाल, दिनांक 20 मई 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.— अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण का निराकरण.

कतिपय विभागों द्वारा परामर्श चाहा गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, की मृत्यु हो जाने पर उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही (विभागीय जांच) समाप्त की जा सकती है अथवा नहीं?

2. उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही (विभागीय जांच) लंबित रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाए तो उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल समाप्त की जाए.

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पू. क्रमांक सी-6-1/09/3-एक

भोपाल, दिनांक 20 मई 2009

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लौक्यायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.

9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(व्ही. एस. सावनेर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-2/2009/3-एक

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच प्रकरणों में आयोग के परामर्श हेतु प्रक्रिया का पालन किया जाना—लोक सेवा आयोग के 52वें वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09 पर कार्यवाही.

- संदर्भ.**— (1) सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. 1436-976-एक-3-64, दिनांक 12-8-1964.
(2) क्र. 2343-2540-एक-3-64, दि. 11-12-1964,
(3) क्र. 567-1-608-एक-3, दि. 22-3-1966
(4) क्र. 14587-8938-1(1)-73, दि. 12-12-1973,
(5) क्र. 657-346-एक 1(1), दि. 21-3-1980
(6) क्र. सी-6-7-83-3-1, दि. 25-8-1984
(7) क्र. सी-6-1-85-3-एक, दि. 4-11-1985
(8) क्र. सी-5-3-87-3-एक, दि. 9-9-1987,
(9) क्र. सी-5-1-89-3-49, दि. 28-8-1989,
(10) क्र. एफ-ए-6-1-95-एक(1), दि. 16-2-1995.

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन करें जिनके द्वारा विभागीय जांच, अपील/पुनर्विलोकन के लोक सेवा आयोग को परामर्श हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों के साथ समस्त अभिलेख और दस्तावेजों का पूर्ण विवरण आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

2. विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन न किये जाने से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के 52वें वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग की राय/सहमति हेतु प्राप्त होने वाले प्रकरणों में निम्नलिखित कमियां पाये जाने का उल्लेख किया गया है :—

- (अ) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाना,
(ब) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित नहीं होना.
(स) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना,
(द) प्रकरण की स्वयंपूर्ण संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण पत्रक उपलब्ध नहीं कराना.

3. कृपया आयोग को परामर्श हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों का पूर्ण परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्तानुसार कमियां न रहें और प्रकरण के साथ संबंधित अभिलेख व्यवस्थित रूप से संलग्न किये जायें. शासन के निष्कर्ष आरोपवार अंकित किये जायें.

4. आयोग द्वारा चाहा गया है कि भविष्य में विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील/पुनर्विलोकन आदि के जो भी मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे जायें तो उनके साथ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 1(ए)-6-ए/95/एक (ए), दिनांक 16 फरवरी 1995 में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एक विवरण पत्रक सहित अनिवार्यतः भेजी जाये. सुलभ संदर्भ के लिए उपरोक्त परिपत्र की प्रति संलग्न है.

5. जहां शासन विभागीय जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो अथवा कुछ भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा हो, वहां असहमति या भिन्न निष्कर्षों का आधार भी स्पष्ट किया जाये.

6. कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी-6-2/2009/3-एक

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग-निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. के. गजभिये)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462 004

क्रमांक एफ. ए. 6-1/95/एक(1)

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल.

विषय.—आयोग के परामर्श के लिये प्राप्त होने वाले विभागीय जांच/अपील/अनुशासनिक कार्यवाही या पुनर्नियुक्ति प्रकरणों के संबंध में.

लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि आयोग के परामर्श के लिये प्राप्त होने वाले विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील पुनर्विलोकन प्रकरणों के साथ भेजे जाने वाले समस्त अभिलेख और विवरण दस्तावेज पहले से ही निर्धारित हैं, किन्तु प्रायः यह देखा गया है कि किसी भी प्रकरण में मामले की विषय वस्तु के संबंध में शासन के आरोपवार निष्कर्ष अंकित नहीं रहते. इसके अलावा जहां शासन, विभागीय जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो अथवा कुछ भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा हो, वहां कई बार असहमति/भिन्न निष्कर्षों के आधार भी स्पष्टतया कवरिंग लेटर में या यदि कोई टीप संलग्न है तो उसमें नहीं बताये जाते.

2. अतः आयोग द्वारा चाहा गया है कि भविष्य में विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील या पुनर्विलोकन आदि के जो भी मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे जायें तो कवरिंग लेटर के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक विवरण पत्रक भी अनिवार्यतः भेजा जावे :—

(अ) विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामलों में,—

अनुशासनिक कार्यवाही विरुद्ध श्री (नाम)
(पदनाम) में दण्ड के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण में लोक सेवा आयोग की राय का मामला,

सरल क्र. (1)	आरोप क्र. (2)	आरोप (3)	विभागीय जांच (4)	शासन का निष्कर्ष (5)	रिमार्क (6)
-----------------	------------------	-------------	---------------------	-------------------------	----------------

(ब) अपील/पुनर्विलोकन प्रकरणों के मामलों में,—

सरल क्र. (1)	मूल मामले में आयोग के परामर्श का दिनांक (2)	आयोग की राय (3)	दिया गया दण्ड (4)	अपील/पुनर्विचार में उठाये गये मुद्दे (5)	उठाये गये मुद्दों पर शासन की कंडिकावार तथ्यात्मक टीप (6)	अन्य विशेष विवरण (7)
-----------------	---	-----------------------	-------------------------	---	--	----------------------------

3. जिन प्रकरणों में किसी कारण से मूल अभिलेख नहीं भेजे जा सकते उनमें जो प्रतिलिपियां भेजी जायें वे किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि विभाग बिना सत्यापित किये फोटो प्रतियां भेज देते हैं.

4. अतः कृपया उक्त निर्देश आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों के ध्यान में लाकर इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-

(डी. के. बैरागी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी. 6-7/83/3/1

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

विषय.—विभागीय जांच/अपील के प्रकरण आयोग की राय हेतु भेजने की आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया-प्रपत्र.

संदर्भ.—सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्र. 2410/2540/1, दिनांक 25-12-64.

इस विभाग द्वारा उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन के साथ एक प्रपत्र निर्धारित कर प्रसारित किया गया था जिसमें विभागीय जांच एवं अपील प्रकरणों की विस्तृत जानकारी इस निर्धारित प्रपत्र में ही भरकर लोक सेवा आयोग को उनके परामर्श के लिए भेजी जाने के निर्देश दिये गये थे साथ ही प्रकरण से संबंधित संपूर्ण सुसंगत अभिलेख आदेश, प्रतिवेदन आदि वांछित जानकारी भी इसी प्रपत्र के साथ भेजने के निर्देश दिये गये थे लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा प्रकरण अस्पष्ट एवं अधूरे ही आयोग को भेज दिये जाते हैं जिनके कारण आयोग द्वारा अनावश्यक पत्र व्यवहार करने में समय नष्ट होता है तथा प्रकरण बार-बार लौटाना पड़ता है और विभागीय जांच प्रकरण के अंतिम निराकरण में विलम्ब होता है.

अतः निवेदन है कि भविष्य में आवश्यक रूप से संलग्न संशोधित प्रपत्र में ही विभागीय जांच एवं अपील के प्रकरण से संबंधित जानाकारी लोक सेवा आयोग को भेजी जाया करे.

संलग्न :— प्रपत्र

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक सी-6-7/83/3-1

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 1984

प्रतिलिपि :—

सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर उनके पत्र क्र. 3575/289/64/जी.एस., दिनांक 27-6-83 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव.

**Particulars Relating to the Disciplinary Case Referred to the
Madhya Pradesh Public Service Commission with Letter**

No.

Dated

1. Name of accused Officer :
2. Whether temporary/permanent/contract service
3. Post held substantively if in permanent Service.
 - (a) Designation :
 - (b) Scale of Pay :
 - (c) Pay drawn :
 - (d) Date from which pay shown against (c) drawn .
4. Post held at present in an Officiating capacity.
 - (a) Designation :
 - (b) Scale of Pay :
 - (c) Pay drawn :
 - (d) Date from which pay shown against (c) drawn :
 - (e) Whether the approval of the M.P.P.S.C. to the Officer's officiating appointment has been obtained in case such approval was necessary under rules (Give the No. & date of the Commission's relevant letter).
5. The next lower post the officer would have held but for this appointment to the present post he is holding.
6. Post if any in which quasi-permanent.
7. Increment.
 - (a) Date of next increment in post held substantively.
 - (b) Date of next increment in post in which officiating at present.
8. Date of Birth :
9. Date of Joining Government Service :
10. Date when due to retire or date of actual retirement in cases of persons who have already retired.
10. (A) (I) Amount of monthly pension admissible.
(II) Amount of monthly pension sanctioned.

- (B) (I) Amount of gratuity admissible.
- (II) Amount of gratuity sanctioned.

(This information is required only in respect of cases of recovery from or with-holding of pension/spicial additional pension).

- 11. (A) Appointing authority in respect of the post held at present or the authority which actually appointed the person if that authority is higher.
- (B) Punishing authority in respect of the post held at present.
- (C) Appeal-late authority in respect of the post held at present.
- 12. Whether an oral enquiry if required under the rules has been held.
- 12. (A) (1) Date on which the discision of disciplinay action was taken.
- (2) Date on which departmental enquiry completed.
- (3) Date on which the Government have forwarded the case of the Commission.
- 13. Name and designation of the enquiry officer appointed, if any.
- 14. Whether all the relevant documents in original, particularly the following have been enclosed with the letter seeking the Commission's advice.

(A) In the case of orginal enquiries :

- I. paper relating to preliminay enquiry, if any.
- II. Suspension Order, if any.
 - (a) Order revoking suspension, if any.
- III. Order of the competent authority for joint/common proceedings where issued if two or more Govt. servents are involved in the case.
- IV. Charge sheet with the statement of inputations of misconduct of misbehaviour and other enclosures.
- V. Reply of the accused officer to the chare sheet.
- VI. Orders appointing the enquiry Officer.
- VII. Orders appointing the Presenting Officer.
- VIII. Record of the Oral enquiry :—
 - (a) Daily order sheets.

- (b) Correspondence file of the I.O.
- (c) Depositions.
- (d) Questions put to the accused Officer by the Enquiry Officer.
- (e) Statement of Defence before the I.O.
- (f) Written briefs of :—

- I. the presenting officer
- II. the charged officer

- (g) Inquiry Officer's report.

IX. Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits, Statement etc. referred to in items (I) to (IX) above.

X*. Sanctions of the Governor for institutions of departmental proceedings where necessary.

* This information is required in case of pensioners only.

xi* Show cause notice for withdrawing/with holding the pension/DCRG.

xii* Reply of the accused officer to the show cause notice.

(B) In the case of appeals :

In addition to the documents specialised under (A) above the following :—

- i. Order of the punishing authority.
- ii. Appeal, if any, of the accused officer.
- iii. Comments on the appeal by the officer against whom an appeal has been filed.

(C) In the case of Petition/Memorials or suo-motuo Review :

In addition to the documents specified under (A) & (B) above, the following :—

- i. Order if any, on the Appeal.
- ii. Petition or memorial, if any, from the accused officer.
- iii. Note indicating the reasons for modifying the existing order of penalty and the precise extent of such modification.

* This information is required in case of pensioners only.

- (D) Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits statements referred to in item 14 (B) and 14 (C) and extracts of relevant Rules, codes, Acts, Judgements, Manuals, etc. referred to in the charge sheet, statement of allegations, statement of defence, Inquiring Authority's Report, reply to show cause notice, Appeal, petitions, Department's comments.
- 15. Whether a note explaining the factual & procedural points mentioned in the Officer's explanation has been enclosed.
- 16. Whether comments on procedural points, if any, raised by the officer in his explanation to the charge sheet/ reply to show cause notice/Appeal/Petition have been given.
- 17. Whether complete & up-to-date confidential roll of the officer has been enclosed.

References

Signature

Name of officer signing this statement
(in block letters)

Designation

Date :

Telephone Number

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-6-3/2009/3-एक

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभाग आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच प्रकरणों का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में निराकरण.

- संदर्भ.**— (1) क्र. सी-5-2/87/3/1, दि. 16-4-1987
(2) क्र. 486/708/49/3/90, 22-23-8-1990
(3) क्र. 248/1278/1/3/94, दि. 27-6-1994
(4) क्र. सी. 6-6-97/3/1, दि. 4-6-1997

सामान्य प्रशासन-विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्र. एफ. 486/708/49/3/90, दि. 22-23 अगस्त, 1990 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसमें विभागीय जांच के मामलों के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय की सीमा निर्धारित करते हुये एक सारणी संलग्न कर विभागीय जांच प्रकरणों का निपटारा एक वर्ष की निर्धारित समयावधि किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं. यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार विभागीय जांच के प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जा रही है. विभागीय जांच प्रकरण अनावश्यक रूप से दीर्घ समय तक लंबित रहते हैं जिसके फलस्वरूप शासकीय सेवकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विभागीय जांच लंबित रहने के कारण सेवानिवृत्ति के समय अथवा असामयिक मृत्यु की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक की पेंशन एवं अन्य प्रकार के भुगतानों में बाधा उत्पन्न होती है. कृपया आप अपने स्तर पर आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों की छःमाही समीक्षाएं करें और यह प्रयास करें कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार विभागीय जांच के मामलों का निपटारा किया जा सके.

2. यदि किसी प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलम्ब किसी स्तर पर होता है तो यथोचित कारण न होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये संबंधित के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये.

3. कृपया इन दिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./- /

(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक 486-एफ. 708/49/3/90,

भोपाल, दिनांक 22/23 अगस्त 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांचों का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में निपटारा।

संदर्भ.—सा.प्र.वि. का ज्ञापन क्रमांक सी/5-2/67/3/1, दि. 16 अप्रैल, 87

सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त ज्ञापन की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है. इस ज्ञापन के साथ विभागीय जांचों के मामलों में विभिन्न स्टेजेज पर कितना समय लगना उसकी एक सारणी संलग्न की गई थी, जो इस प्रकार थी :—

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना— | प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह |
| 2. आरोप पत्रादि जारी किए जाना— | अधिकतम एक माह |
| 3. अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना—
(यह अवधि आरोप-पत्रादि प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी). | सात दिन से एक माह |
| 4. अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी की नियुक्ति. | सात दिन से एक माह |
| 5. जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना :— | |
| (1) मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम छः माह |
| (2) लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम तीन माह |
| 6. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनन्तिम (प्रस्तावित) या अन्तिम शास्ति.
(लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना— :— | |
| (1) मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम तीन सप्ताह |
| (2) लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु— | अधिकतम दो सप्ताह |
| 7. आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर) जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अन्तिम आदेश पारित करना— | अधिकतम दो सप्ताह |

2. हाल ही में मुख्य सचिव महोदय ने सभी विभागों के सचिवों की बैठक में इस विषय पर चर्चा की. चर्चा का निष्कर्ष यह रहा कि विभागीय जांचों में विलम्ब के मामले आज भी मौजूद हैं और शासन के उक्त ज्ञापन में बताई गई समय सारिणी का पालन नहीं हो रहा है.

3. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शासन के उक्त निर्देशों को कड़ाई से और तत्परतापूर्वक पालन किए जाने की जिम्मेदारी कार्यालय और विभाग प्रमुखों की है. अतः पुनः एक बार आपका ध्यान उक्त समय सारिणी की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन है कि कृपया अपने स्तर पर ऐसे अन्तराल से जो आप उपयुक्त समझें, आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित विभागीय जांचों के लम्बित मामलों की समीक्षाएं प्रारंभ करें और यह प्रयास करें कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक विभागीय जांचों में प्रगति हो.

4. हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से शासन विभागीय जांचों के निराकरण में अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेगा.

हस्ता./—

(ओमप्रकाश मेहरा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

प्रतिलिपि.—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर, सचिव कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग.
4. अवर सचिव (स्थापना) अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखा अधिकारी मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर—सूचनार्थ

प्रमुख सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के स्टाफ आफिसर—मास्टर फाइल/कार्यालयीन आदेश की नस्ती हेतु.

हस्ता./-

(ओमप्रकाश मेहरा)

प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-4/2009/3/एक

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवाओं के विरुद्ध लंबित अनुशानात्मक/न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान उनकी पदोन्नति/स्थायीकरण.

उपरोक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. F/C-6-2/94/3/एक, दिनांक 30 जून 1994 एवं परिपत्र क्र. सी-6-2/2006/3/एक, दिनांक 11-9-2007 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं परंतु इन निर्देशों का पालन न करते हुये नियम विरुद्ध पदोन्नति/स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है. शासन के ध्यान में आया है कि एक प्रकरण में शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित रहते हुए उसे पदोन्नति प्रदान की गई जबकि ऐसे मामलों में समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखे जाने के निर्देश हैं. उपरोक्त त्रुटि के लिए सक्षम अधिकारी को विभागीय जांच की जानकारी का न होना बताया गया है. ऐसी घटनायें प्रशासकीय दृष्टि से नितांत अवांछनीय हैं.

2. शासकीय सेवकों के निलंबन, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश की जानकारी संबंधित स्थापना शाखा में उपलब्ध रहती है. स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य है कि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष शासकीय सेवकों के निलंबन, उनके विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं दण्डादेश आदि की सही जानकारी प्रस्तुत करें. उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि "उनके द्वारा पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में सम्मिलित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, दण्डादेश एवं निलंबन आदि के संबंध में सही जानकारी दी गई है" उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि उपलब्ध करायी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाये तो संबंधित स्थापना शाखा के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही की जाये.

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-

(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-5/2009/3/एक

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सभी विभागों में जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी के उत्तरदायित्व एवं अधिकारों को निर्धारित किया जाना.

राज्य सरकार द्वारा जनहित में विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. इन योजनाओं और कार्यक्रमों की पूरी जानकारी नागरिकों को होना आवश्यक है ताकि वे उनका लाभ उठा सकें. राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. अतः प्रत्येक विभाग अपने संभागीय एवं जिलास्तर के कार्यालयों में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के लिये (Charter of accountability) बनाये जिसमें उन कार्यों/क्षेत्रों का बिन्दुवार स्पष्ट उल्लेख हो जिसके लिये संबंधित अधिकारी उत्तरदायी (accountable) हैं. इस चार्टर में विभाग की शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारी के लिए न केवल समय-सीमा बल्कि जहां आवश्यक हो, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाएं. आम जनता की जानकारी के लिये इस चार्टर को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाए तथा कलेक्टर/संभागायुक्त कार्यालय में भी इसकी प्रतियां आम जनता के अवलोकन हेतु रखी जाए. चार्टर का प्ररूप संलग्न है.

2. संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा संभाग एवं जिलास्तर पर समय-समय पर की जाये. कृपया इस संबंध में विभागीय निर्देश जारी किये जायें.

हस्ता./-

(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/6-5/2009/3/एक

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

प्रतिलिपि :—

समस्त संभागीय आयुक्त/कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

उत्तरदायित्व विवरणिका (accountability Charter)

कार्यालय

संभाग/जिला

अधिकारी का पदनाम	कार्यों की सूची जिनके लिए उत्तरदायी हैं.	समय सीमा*	भौतिक लक्ष्य*	वित्तीय लक्ष्य*

(कार्यालय प्रमुख)

संभाग/जिला

*यदि लागू न हो तो इस कॉलम को रिक्त रखा जाए.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-2/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—संभागायुक्तों द्वारा अपने ही संभाग में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघुशास्ति के अधिकार.

संदर्भ.—सा. प्रशा. विभाग की अधिसूचना के सी-6-1-2008-3-एक, दिनांक 15-9-2008 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20-10-2008.

संदर्भित अधिसूचना दिनांक 15-9-2008 द्वारा संभागीय आयुक्त को उनके संभाग में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान किया गया है.

2. शासन के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उद्भूत हुए हैं:—

1. अधिसूचना दिनांक 15-9-2008 जारी होने के पश्चात् यदि किसी शासकीय सेवक के संभाग में पदस्थ रहने के दौरान उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है तदपश्चात् उसकी पदस्थापना अन्य संभाग में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ/प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही का निराकरण किस प्रकार किया जावेगा?

2. उपरोक्त अधिसूचना जारी होने के पूर्व से प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही जिनमें शासकीय सेवक का स्थानांतरण अन्य संभाग में हो गया हो, का निराकरण किस प्रकार किया जायेगा?

3. उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:—

(1) ऐसे शासकीय सेवक जिनके विरुद्ध संभाग में पदस्थ रहने के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित रहते हुए उसकी पदस्थापना अन्य संभाग में हो गई हो तो ऐसी स्थिति में जिस संभाग में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है उसी संभाग में जांच की कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर संभागायुक्त द्वारा जांच प्रतिवेदन संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजा जायेगा. प्रशासकीय विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 15 के अन्तर्गत जांच प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही की जाकर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने अथवा उसे दोषमुक्त किये जाने का निर्णय लिया जायेगा.

(2) अधिसूचना दिनांक 15-9-2008 के पूर्व से प्रचलित ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही जिसमें शासकीय सेवकों का स्थानान्तरण अन्य संभाग में हो गया है, के संबंध में भी उपरोक्त कंडिका-3 अनुसार कार्यवाही की जायेगी.

3. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/6-2/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2010

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. के. गजभिये)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-1/2010/1/3

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/अपर सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच के अपील प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—लोक सेवा आयोग से परामर्श.

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 657-346-एक (1)-1, दिनांक 21 मार्च, 1980 द्वारा शासन के ज्ञाप दिनांक 25 नवम्बर, 1975 में वर्णित निर्देशों का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि विभागीय जांच/अपील प्रकरणों में लोक सेवा आयोग को शासन की पैरावाईज टीप प्रेषित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्रेषित की जानी चाहिए. प्रेषित टीप पर अवर सचिव से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के हस्ताक्षर न केवल अंतिम पृष्ठ पर होने चाहिए बल्कि प्रत्येक पृष्ठ पर होने चाहिए जिससे टिप्पणी की विश्वसनीयता असंदिग्ध रहे.

2. शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से निराकृत होने वाले अपील प्रकरणों में लोक सेवा आयोग से अभिमत प्राप्त किये बिना प्रकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अपील प्रकरणों में अपीलार्थी द्वारा उठाये गए प्रत्येक मुद्दे पर पैरावाईज टीप तैयार कर संबंधित प्रशासकीय विभाग अपील के निराकरण के संबंध में अपना अभिमत स्पष्ट करते हुए प्रकरण लोक सेवा आयोग को परामर्श के लिये प्रेषित करेगा. लोक सेवा आयोग से अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम निराकरण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे. इसी प्रकार की प्रक्रिया अपील के उन प्रकरणों में भी अपनाई जाएगी जिसमें अंतिम निराकरण के अधिकार मंत्रि-परिषद् को है.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/6-1/2010/1/3

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.

6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
 7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
 8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
 15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
 16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
 19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

(आर. के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-3/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत द्वितीय अपील एवं पुनर्विलोकन.

संदर्भ.—सा. प्रशा. विभाग का परिपत्र क्र. सी-612-1999-3-एक, दिनांक 20-1-2000.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 20-1-2000 को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत की गई अपील एवं पुनर्विलोकन के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में अपील से संबंधित नियम 26, 27 एवं 28 में एक से अधिक अपील का प्रावधान नहीं है अतः द्वितीय अपील नहीं की जा सकती है.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 29 (2) के अनुसार पुनर्विलोकन के लिये कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि—

(एक) अपील के लिये अवधि काल समाप्त न हो जाये ; या

(दो) जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी हो वहां उसका निपटारा न हो जाये.

अब यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक द्वारा निर्धारित समयवधि में अपील न किये जाने पर पुनर्विलोकन हेतु आवेदन दिया जा सकता है और यदि अपील का निराकरण किया जा चुका हो तो अपील आदेश का भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 29 के प्रावधानों के तहत पुनर्विलोकन किया जा सकता है.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.

हस्ता./-

(आर. के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-4/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना-म. प्र. लोक सेवा आयोग का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी-6-3/2007/3/एक, दिनांक 1-10-2007, (2) क्र. सी-6-2/2009/3/एक, दिनांक 15-10-2009, (2) क्र. सी-6-1/2010/3/एक, दिनांक 29-1-2010.

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया. उपरोक्त प्रतिवेदन में आयोग द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया:—

- अ. आयोग की राय/सहमति के लिये भेजे जाने वाले विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों में सामान्यतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन विभागों द्वारा नहीं किया जाता और भेजे गये अभिलेख व्यवस्थित नहीं होते.
- ब. प्रतिवेदन में 18 अनियमित प्रकरणों का उल्लेख है जिनमें राज्य शासन द्वारा आयोग के परामर्श/सहमति के अनुरूप नहीं बरन् भिन्न स्वरूप के अंतिम आदेश जारी किये गये किन्तु आयोग की अनुशंसा/राय से असहमत होने के बारे में कोई कारण वर्णित नहीं किया गया.
- स. आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते तथा अभिलेखों की छायाप्रतियां सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं होते.
- द. प्रकरण की स्वयं पूर्ण संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण पत्रक उपलब्ध नहीं कराये जाते.

2. उपर्युक्त संबंध में इस विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित परिपत्रों द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये गये हैं:—

(1) अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित प्रकरणों में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किये जाने के लिये प्रकरण के अभिलेख व्यवस्थित होना सुनिश्चित किया जाय तथा प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिये. इसके साथ ही स्वयंपूर्ण संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण-पत्रक उपलब्ध कराया जाना चाहिये.

(2) शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी आयोग को प्रेषित की जाना अनिवार्य है.

(3) विभागीय जांच में यदि प्रथमवार दोषमुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो सामान्यतः आयोग के परामर्श की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है परन्तु यदि ऐसे प्रकरण में आयोग का अभिमत लिया गया हो और आयोग का अभिमत प्रशासकीय निर्णय से भिन्न हो या आयोग द्वारा कोई पृच्छा की गयी हो तो आयोग को उसके द्वारा की गयी पृच्छा अथवा अभिमत से असहमति की स्थिति में असहमति के कारणों से अकमत कराया जाना चाहिये.

(4) आयोग के परामर्श उपरान्त यदि मंत्रि-परिषद् के द्वारा दौषमुक्ति के आदेश दिये जाते हैं अथवा परामर्श से भिन्न निर्णय लिया जाता है तो तदनुसार आयोग को अवगत कराया जाना चाहिये.

3. शासन अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें. उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि निर्देशों की उपेक्षा की जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/6-4/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
 2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
 3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
 4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
 5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
 7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
 8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
 15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.
 16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
 18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
 19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.
 21. श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी. कम्प्यूटर कक्ष, वल्लभ भवन, भोपाल
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-

(-आर. बी. वैष्णव)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ./11-11/2010/1-10

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल.

विषय.—विभागीय जांच आयुक्त को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय जांच के प्रकरण सौंपा जाना.

संदर्भ.—सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक एफ-4/2/1983/1/6, दिनांक 25-1-1984.

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें जिसमें विभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण सौंपे जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है. उपरोक्त ज्ञापन की कंडिका 1.03 के बिन्दु क्रमांक (2) के अनुसार विभागीय जांच आयुक्त को केवल ऐसे ही प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जिनमें पहले से कोई अन्य अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया गया हो. शासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी एवं अपचारी अधिकारी पदोन्नति अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप समकक्ष पदों पर पदस्थ होने से या अन्य कारणों से पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी से जांच नहीं करायी जा सकती है.

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 1.03 के बिन्दु क्रमांक (2) को संशोधित किया जाये तदनुसार बिन्दु क्रमांक (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1.03 (2) “पहले से कोई अन्य जांच अधिकारी नियुक्त हो तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त करने के पश्चात्.”

3. उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप पैरा-1 में उल्लेखित मामलों में पूर्व में नियुक्त विभागीय जांच अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण जांच हेतु विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जा सकेंगे.

हस्ता./-

(एस. के. वर्मा)

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ./11-11/2010/1-10

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3 की ओर उनकी टीप यू.ओ.क्र. 663/आर-1443/1/3/10, दिनांक 5-8-2010 के संदर्भ में,
2. आयुक्त, विभागीय जांच कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता./-

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/3-21/2010/3-एक

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,
भोपाल.

विषय.—विभिन्न प्रकरणों में विधि विभाग एवं महाधिवक्ता से अभिमत प्राप्त करने के संबंध में.

प्रशासकीय विभागों द्वारा विभिन्न प्रकरण विधिक अभिमत हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं महाधिवक्ता को प्रेषित किये जाते हैं, परन्तु यह स्पष्ट न होने से कि किन प्रकरणों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग का एवं किनमें महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त जाना है दुविधा बनी रहती है. प्रकरणों के निराकरण में भी विलम्ब होता है. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं महाधिवक्ता को अभिमत हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:—

1. प्रकरण जिनमें विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाना आवश्यक है.

निम्नलिखित मामलों में प्रमुख विधि परामर्शी की सलाह ली जा सकेगी:—

- (क) परिनियमों, कानूनी नियमों, उपविधियों, आदेशों, विलोखों का निर्वचन,
- (ख) वे मामले, जिनमें कि सरकार और अन्य व्यक्तियों के बीच विवाद उद्भूत हो गये हों या उनका उद्भूत होना संभाव्य हो या सरकार के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई की आशंका हो,
- (ग) सरकारी सेवकों पर मानहानिकारक आक्षेप,

2. प्रकरण जिन पर प्रमुख विधि परामर्शी की सलाह नहीं ली जा सकेगी:—

- (क) किसी न्यायालय या अधिकरण या ऐसी कार्यवाही में किसी परिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों में विनिश्चय के लिए उद्भूत बिन्दु,
- (ख) किसी राजस्व अधिकारी के समक्ष राजस्व कार्यवाही जिसमें उसके आदेश के अध्यधीन राजस्व अपील की जा सकती हो, के अनुक्रम में उद्भूत बिन्दु,

- (ग) किन्ही विवादों में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक की हैसियत से कार्य कर रहे किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष उद्भूत बिन्दु,
- (घ) अनुमानात्मक (Hypothetical) मामले,
- (ङ) मामले, जहां सलाह किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी स्थानीय निकाय के लाभ के लिए हो,
- (च) सामान्य विभागीय प्रक्रिया, जिसका विभाग को स्वयं विशेष ज्ञान हो,

3. प्रकरण जिन पर महाधिवक्ता, जबलपुर अथवा स्थायी अधिवक्ता नई दिल्ली का अभिमत प्राप्त किया जा सकेगा:—

- (क) न्यायालयीन कार्यवाही तथा न्यायालय के विनिश्चित हेतु उद्भूत होने वाले विषयों के संबंध में

विधि एवं विधायी कार्य विभाग को अभिमत हेतु प्रकरण, संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों एवं संक्षेपिका जिसमें अभिमत का बिन्दु स्पष्ट किया गया हो, प्रशासकीय विभाग के माध्यम से भेजे जाएं.

हस्ता./—

(विजया श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-5/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—परिनिन्दा लघुशास्ति का शासकीय सेवकों की पदोन्नति पर प्रभाव.

संदर्भ.—सा. प्र. विभाग का परिपत्र क्र. सी-6-1-90-3-49, दिनांक 2-5-1990, एवं परिपत्र क्र. सी-6-2-94-3-1, दिनांक 30-6-1994.

शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच के समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया तथा लघुशास्तियों का पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्र दिनांक 2-5-90 द्वारा जारी किये गये हैं. परिनिन्दा की शास्ति का पदोन्नति पर प्रभाव के संबंध में कतिपय विभागों में भ्रम की स्थिति है, अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 के खण्ड (एक) में परिनिन्दा की शास्ति का प्रावधान है. यदि शासकीय सेवकों के विरुद्ध परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित की गयी है, तो उसकी पदोन्नति के संबंध में दण्ड अधिरोपित करने के बाद आयोजित भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जाना चाहिये और यदि उसके पिछले अभिलेख तथा कार्य के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उसे पदोन्नति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त समझा जाये, तो उसे पदोन्नत किया जा सकता है परन्तु ऐसी पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं की जा सकेगी.

2. जिन शासकीय सेवकों को "वेतनवृद्धि रोकने" या "पदोन्नति रोकने" की लघुशास्ति दी गयी हो तो लघुशास्ति की अवधि के अन्तर्गत पदोन्नत नहीं किया जाये. इन व्यक्तियों को उक्त दण्ड की अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर ही पदोन्नत किया जाए.

हस्ता./-

(अकीला हशमत)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ.क्रमांक सी/6-5/2010/3/एक

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
8. मंत्री/सूज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल.
21. श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी. कम्प्यूटर कक्ष, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-

(आर. बी. वैष्णव)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: सी-6-1-2011-3-एक:
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:-विभागाध्यक्षों को उनके अधीनस्थ द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले में लघुशास्ति के अधिकार।

संदर्भ:-सा.प्र.विभाग का आदेश क्र सी-6-3-1983-3-1, दिनांक 12.09.1983

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 12.09.1983 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन राज्य के संलग्न सूची के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन द्वितीय श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत किसी अधिकारी पर उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट लघुशास्तियां अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया था जिसके साथ तत्समय अस्तित्व में रहे विभागाध्यक्षों की सूची भी आदेश के साथ संलग्न की गयी थी।

2- उपरोक्त आदेश जारी किये जाने के पश्चात् सूची में नाम न होने से नवगठित विभागाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार अधिकार का उपयोग करने में विधिक कठिनाई आ रही है। अतः शासन द्वारा आदेश दिनांक 12.09.1983 में अंकित शब्द "संलग्न सूची के अनुसार" विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आदेश दिनांक 12.09.1983 में किये गये संशोधन आदेश की प्रति संलग्न है। इस संशोधन के फलस्वरूप अब राज्य के सभी विभागाध्यक्षों द्वारा उनके अधीन ~~द्वितीय~~ श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के पद (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित की जा सकेगी।



3/2/2011
(अकीला हशमत)

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक: सी-6-1 -2011-3-एक;
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर,
 2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल,
 3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
 4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल,
 5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल,
 6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
 7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल,
 8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल,
 9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल,
 11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/
ग्वालियर/जबलपुर,
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल,
 15. उपसचिव/अवरसचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी
मध्यप्रदेश, मंत्रालय भोपाल,
 16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल,
 17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
 18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल,
 19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल,
 20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल,
 21. श्री प्रकाश राव, तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी. कम्प्यूटर कक्ष, बल्लभ
भवन भोपाल
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(अकीला हशमत)
उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

आदेश


भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2011

क्रमांक: सी-6-1 -2011-3-एक: राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी-6-3-1983-3-1, दिनांक 12.09.1983 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त आदेश में, अंकित शब्द "संलग्न सूची के अनुसार" विलोपित किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(अकीला हशमत)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी-6-4/1/3/2011,

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- परिनिंदा लघु शास्ति का शासकीय सेवक की पदोन्नति पर प्रभाव ।

- संदर्भ:- 1. परिपत्र क्र. 3-2-75-3-एक, दिनांक 27.02.1975
2. परिपत्र क्र. सी-6-1-90-3-49, दिनांक 02.05.1990
3. परिपत्र क्र. सी-6-5-2010-3-एक, दिनांक 28.12.2010

शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा लघु शास्तियों का पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की गई है तो उसकी पदोन्नति के संबंध में दण्ड अधिरोपित करने के बाद आयोजित भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जा सकेगा।

2/ भावी विभागीय पदोन्नति समिति के संबंध में कुछ विभागों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2002 के अनुसार संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी अवधि की गणना करते हुये विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही की जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आगामी वर्ष प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की गणना करते हुये की जायेगी। शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें 01 जनवरी की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह नवम्बर अथवा दिसम्बर में आयोजित की गई एवं ऐसे शासकीय सेवक जिनको परिनिंदा का दण्ड माह जुलाई या अगस्त में दिया गया था, की पदोन्नति के संबंध में विचार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को भावी पदोन्नति समिति की बैठक मानते हुये किया गया। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की गई है और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह 01 जनवरी की स्थिति में उस वर्ष माह जनवरी में

निरंतर...

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-सी-6 - 5 / 2011 / 3 / 1

भोपाल, दिनांक 22 नवंबर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-लोक सेवा आयोग का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-2011.

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञाप (1) क्र. सी-6-3-2007-3-एक, दिनांक 01.10.2007.

- (2) क्र. सी-6-2-2009-3-एक, दिनांक 15.10.2009.
- (3) क्र. सी-6-1-2010-3-एक, दिनांक 29.01.2010.
- (4) क्र. सी-6-4-2010-3-एक, दिनांक 12.10.2010.
- (5) क्र. सी-3-16-2009-1-3, दिनांक 10.11.2009.

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित प्रकरण जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श/सहमति हेतु भेजे जाते हैं एवं आयोग को भेजे जाने वाले पदोन्नति के प्रस्तावों के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त विषयों से संबंधित प्रकरण आयोग को भेजते समय विभागों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विभागों से प्राप्त प्रकरणों में निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है :-

1. पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव में सामान्यतः निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हुई हैं :-

- (अ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का विभागों द्वारा पूरी तरह से पालन न करना।
- (ब) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित न होना।
- (स) संबंधित संवर्ग की अद्यतन पदक्रम सूचियां प्रकाशित न हो पाना।
- (द) कुछ अधिकारियों की संगत वर्षों की चरित्रावलियाँ या तो पूर्ण रूप से न लिखा जाना या उनमें दी गई अभियुक्तियाँ अस्पष्ट होना अथवा विपरीत अभियुक्तियाँ संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा पर संसूचित नहीं की जाना।
- (इ) विभाग द्वारा समय पर वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना।

निरंतर... 2

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील के प्रकरण, जिनमें आयोग का परामर्श/सहमति चाही जाती है, में परिलक्षित कमियां :-


- (अ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं करना।
- (ब) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित नहीं होना।
- (स) प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना।
- (द) प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका, आरोपवार विवरण पत्रक, निर्धारित सेवा विवरण पत्रक में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरा जाना,
- (इ) अभिलेखों को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जाना।
- (उ) विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील के मामलों में आयोग की राय से सहमत न होने एवं आयोग के अभिमत के विपरीत आदेश जारी करने के कोई कारण या आधार नहीं बताया जाना।

3/ इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 10.11.2009 द्वारा पदक्रम सूचियों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार संदर्भित ज्ञापनों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के संबंध में भी व्यापक निर्देश दिये गये हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासन के निर्देशों के अनुसार पदोन्नति/स्थायीकरण के प्रकरणों एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में कार्यवाही की जाये। आयोग द्वारा जिन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, उनकी पुनरावृत्ति न की जाये। आयोग को प्रकरण भेजते समय संतुष्टि कर ली जाये कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख सुव्यवस्थित हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रकरण की संक्षेपिका एवं निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी संलग्न है।

4/ इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 10.11.2009 में दिये गये निर्देशानुसार पदक्रम सूचियों का प्रकाशन 31 मई तक अनिवार्य रूप से किया जाये एवं जून के प्रथम सप्ताह में समस्त विभागों में अपने विभाग के सचिव को तथा जून माह के द्वितीय सप्ताह में संबंधित विभाग के सचिवों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को प्रमाण पत्र भेजा जाये कि उनके द्वारा विभाग के सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।

5/ गोपनीय चरित्रावलियां भी शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संबंधित अधिकारियों से लिखवाया जाये। यदि गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल अभियुक्तियां अंकित हों, तो संबंधित को समय-सीमा में संसूचित की जाकर निराकृत की जाये।

6/ उपरोक्त निर्देशों का कृपया पालन सुनिश्चित किया जाये।



(अरुण तिवारी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक-सी-6-05 /2011/3/1

भोपाल, दिनांक 22 नवंबर, 2011

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।


18-11-11

(कमला अजीतवार)

अवर सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

9-1-2012

क्र. सी-6-6/2011-3-एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर, 2011~~


शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-रिट पिटीशन क्र. 12748/2009-विवेक कुमार लखेरा वि.शासन एवं अन्य में पारित निर्णय का पालन-अनियमित नियुक्ति के मामलों में त्वरित कार्यवाही।

रिट पिटीशन क्र. 12748/2009-विवेक कुमार लखेरा विरुद्ध शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दि 23.08.2011 की प्रति संलग्न है। न्यायालय आदेश में, ऐसे प्रकरण जिनमें नियमों की अवहेलना करते हुए नियुक्ति/संविलियन/पदोन्नति आदि दी गयी है, में निम्नानुसार आदेश पारित किया है:-

"Whether an appointment is alleged to be illegal or contrary to the rules or dehors the rules, a mere show cause notice is issued to justify such appointment, and the reply is considered for examining whether the appointment was in accordance with or was in violation of the service rules. We may also point out here that if against any such employee, there are allegations of misconduct also in addition to the above irregularity in appointment, the same should not be mixed up as it might cause avoidable delay. Prompt action with regard to the appointments is desirable, if they are irregular. Delay would mean that such employee undesrvedly continues in public employment."

4- कृपया मा. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



(वीणा घाणेकर)

सचिव


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

19-1-12

पृ.क्र. सी-6- 6/2011-3-एक,
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक ~~दिसम्बर, 2011~~

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/ जबलपुर ।
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण /अभिलेख /मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश, मंत्रालय भोपाल ।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल ।
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।



9-1-12

(कमला अजीतवार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



copy for order sheet

Form No. 8
(Chapter X, Rule 27)

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL
SEAT AT JABALPUR**

WRIT PETITION NO. 12746 OF 2009 (P.L.L.)

मध्य प्रदेश शासन
सिटी विभाग (ग्राम-कार)
दोस्रो क्र. 13/8
दिनांक 4/9/2011

PETITIONER

Vivek Kumar Lakhera, Aged about 27 years, S/o Shri Vijay Kumar Lakhera, Occupation- Advocate, R/o H.No. 824, Hanumantal, Jabalpur (M.P.).

Presented on 26/11/09
By A. S. Vastava
Prasol. No. 151509


VERSUS

RESPONDENTS


1. State of Madhya Pradesh, Through the Chief Secretary, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal (M.P.).
2. Vidhan Sabha Secretariat, through its Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
3. Shri Anand Kumar Pyasi, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
4. Smt. Arti Sharma, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
5. Shri Vinod Kumar Chaturvedi, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
6. Shri Abdul Hamid, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
7. Shri Laxman Prasad Mishra, Lower Division Clerk, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

cc
59350

955/05
69.
22/11/09
2/11/09
2/11/09
2/11/09



24/11/09
6/11/09



(A)



8. Shri Ajay Tiwari, Lower Division Clerk, , Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
9. Shri Vanspati Sharma, Assistant Marshall, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
10. Shri Vinod Kumar Mishra, Security Guard, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
11. Shri Satya Naryaan Sharma, Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
12. Shri Ramshankar, Deputy Secretary/Personal Secretary to the Hon'ble Speaker, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).
13. Shri Kamlakant Sharma, Anubhag Adhikari, Madhya Pradesh, Vidhan Sabha, Bhopal (M.P.).

NOV 2011
3 NOV 2011


(Regular Public Interest Litigation Petition)

1. Particulars of the cause/order against which the petition is made:

Subject-matter in brief: The petition is not made against any particular order but for issuance of appropriate writ, order and/or direction to take appropriate action against the respondent Nos. 3-13 who have been illegally appointed in service without having requisite qualification and without following the procedure for recruitment. The petition is also for the appropriate order to direct the respondents to enquire into the matter and to take necessary steps against the responsible persons.

4

5




HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE No., 201.....

..... Vs.

DATE OF THE ORDER	ORDER
	<p style="text-align: center;"><u>W.P. No.12748/2009</u></p> <p><u>23/8/2011</u></p> <p>We have heard Shri Arvind Shrivastava, learned counsel for the petitioner, Shri Kumaresh Pathak, learned Deputy Advocate General for the respondent No.1 and 2 and Shri R.N. Singh, learned senior counsel with Shri V. Johri, Advocate, for the respondent No.3.</p> <p>It has alleged by the learned counsel for the <i>Vidhan Sabha</i> that the respondent No. 3 has already retired, and some other employees against whom the allegations of absorption/appointment/promotion in violation of the rules have been made, have also ceased to be in employment. However, it is conceded that some of such employees are still continuing in employment.</p> <p>It has been brought to our notice that charge-sheets for departmental inquiry have been issued to some of such employees. We have not been shown the justification for such action on the part of the <i>Vidhan Sabha</i> because normally such departmental charge-sheets are issued in cases of misconduct where charges are required to be proved by evidence in the departmental inquiry. Whether an appointment is alleged to be illegal or contrary to the rules or <i>dehors</i> the rules, a mere show cause notice is issued to justify such appointment, and the reply is considered for examining whether the appointment was in accordance with or was in violation of the service rules. We may also point out here that if against any such employee there are allegations of misconduct also in addition to the above irregularity in appointment, the same should not be</p>



6





HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE No. 201

Vs.

DATE OF THE ORDER	ORDER
YS/	<p>mixed up as it might cause avoidable delay. Prompt action with regard to the appointments is desirable, if they are irregular. Delay would mean that such employee undeservedly continues in public employment.</p> <p>Accordingly, as prayed by the learned counsel for the <i>Vidhan Sabha</i>, the matter be listed again immediately after four weeks to enable the <i>Vidhan Sabha</i> to examine the law on the point and to either justify the action by way of charge-sheets or initiate such proper action as may be called for.</p> <p style="text-align: center;">C.C. as per rules</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  (Sushil Harkauli) Acting Chief Justice </div> <div style="text-align: center;">  (K.K. Trivedi) Judge </div> </div>

TRUE COPY
 Head Copy let.
 High Court of Madhya Pradesh
 JASARPUR

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-3-2011-3-एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2012

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-शासकीय सेवकों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक/न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान उनकी पदोन्नति।

संदर्भ:-सा.प्र.विभाग का ज्ञापन क्र. सी-6-2-1994-3-एक, दिनांक 30.06.1994

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त परिपत्र के पैरा-2(1) में निम्नलिखित प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मोहरबंद लिफाफे में रखे जाने के निर्देश हैं :-

“यहां यह स्पष्ट किया जाता है नीचे उल्लेखित बंद लिफाफे की प्रक्रिया केवल ऐसे शासकीय सेवकों के लिए अपनाई जाएगी, जिनके विरुद्ध या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आरोप-पत्र वास्तविक रूप से जारी कर दिया गया हो और या जिनके विरुद्ध अभियोजन पत्र वास्तव में अदालत में पेश हो गया हो।”

2. उपरोक्त परिपत्र की कंडिका 2(2) एवं 3(1) में यह भी उल्लेख है कि जब किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति के लिये उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मोहरबंद लिफाफे में रखे गये हों तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर ही भरा जाये। जब शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में मोहरबंद लिफाफा खोला जाएगा और उसकी पदोन्नति की तारीख, मोहरबंद लिफाफे में रखे गये निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। ऐसे शासकीय सेवक को यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले सबसे बाद में पदोन्नत किए गए व्यक्ति को पदावनत कर पदोन्नत किया जा सकता है।

3. कतिपय विभागों में शासकीय सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर देने के बाद उसकी पदोन्नति में इसलिए विलम्ब होता है क्योंकि उसके संबंध में सिफारिश बंद लिफाफे में होने के कारण उस रिक्त पद के विरुद्ध कनिष्ठतम लोक सेवक की स्थानापन्न पदोन्नति करने के फलस्वरूप रिक्त उपलब्ध नहीं रहती हैं। दूसरी ओर कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में चला जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 3(1) के प्रावधान का उल्लेख पदोन्नति समिति बैठक के कार्यवाही विवरण में नहीं होने के कारण ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में शासन की ओर से पक्ष समर्थन में कठिनाई होती है।

4. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वरूप के प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 2(1) में उल्लेखित परिस्थिति के फलस्वरूप यदि किसी शासकीय सेवक के सम्बन्ध में सिफारिश बंद लिफाफे में रखी गयी हो और उसकी रिक्ति को कनिष्ठतम लोक सेवक की पदोन्नति से स्थानापन्न रूप से भरा गया हो तो सम्बन्धित शासकीय सेवक के पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उसे तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक हो तो कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त कनिष्ठतम लोक सेवक के पदोन्नति आदेश में भी इस आशय का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाय कि परिपत्र दिनांक 30.06.1994 की कण्डिका 2(1) में उल्लेखित परिस्थिति के फलस्वरूप प्रकरण में बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनायी गयी है और उसकी रिक्ति को कनिष्ठतम लोक सेवक की स्थानापन्न पदोन्नति से भरा जा रहा है। सम्बन्धित शासकीय सेवक के पूर्णतः दोषमुक्त हो जाने पर उसे तत्काल पदोन्नति दी जाएगी तथा आवश्यक पद उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित कनिष्ठतम लोक सेवक को पदावनत किया जावेगा।

6. उपरोक्त निर्देशों का पालन कृपया कडाई से सुनिश्चित किया जाये।




(सुदेश कुमार)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक २१ नवम्बर, 2012

पृष्ठांकन क्रमांक सी-6-3-2011-3-एक,

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
15. उपसचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय,
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल,
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल,
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल,
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल.


(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक सी 6-2/2013/3/एक,

भोपाल, दिनांक २४जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:- एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 6-2-78-3-एक, दिनांक 27.09.1978 क्रमांक एफ 6-3/1/3/99, दिनांक 02.08.99, क्रमांक सी 6-10/99/3/एक, दिनांक 30.09.99, क्रमांक सी 6-1/002/2/एक, दिनांक 06.11.02, क्रमांक 6-2-78-3-1, दिनांक 16.11.79 एवं क्रमांक 501-2883-1-(3)-78, दिनांक 15.12.79.

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-2-78-3-एक, दिनांक 27.09.1978 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों को मामले में समीक्षा के लिये विभिन्न स्तरों पर समिति गठित की गई है एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.11.1979 द्वारा निलंबन से बहाली के संबंध में विचार कर अपनी अनुशंसा करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिन पर विचार कर समिति की अनुशंसा शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-3/1/3/99, दिनांक 02.08.1999 द्वारा संभागायुक्तों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को निलंबित करने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

3/ उपरोक्त के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-10/99/3/एक, दिनांक 30.09.1999 एवं परिपत्र क्रमांक सी 6-1/2002/2/एक,


Kiran20137doc

250



बेटी है तो राज है



संभाग स्तर की समिति

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. संबंधित संभागायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित जिले के कलेक्टर | सदस्य |
| 3. संबंधित विभाग का संभागीय अधिकारी | सदस्य |
| 4. उपायुक्त (राजस्व) | सदस्य सचिव |

उक्त समिति उन शासकीय सेवकों के संबंध में परीक्षण करेगी, जिनकी नियुक्ति, पदस्थापना संभाग स्तर पर होती है।

जिला स्तर की समिति

- | | |
|---|---------|
| 1. जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी | संयोजक |

उक्त समिति उन शासकीय सेवकों के प्रकरणों पर विचार करेगी, जिनकी यथास्थिति नियुक्ति, पदस्थापना जिला स्तर से होती है।

8/ उक्त समितियां निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों में उल्लेखित परिपत्रों के अध्यक्षीन पैरा-9 में उल्लेखित मापदण्डों के अंतर्गत परीक्षण कर निर्णय लेगी।


9/ (i) उपरोक्त समितियां निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों में विचार करेगी कि संबंधित शासकीय सेवक का निलंबन पर बने रहना आवश्यक है या नहीं? यदि निलंबन पर बने रहना आवश्यक नहीं पाया जाता तो संबंधित का निलंबन समाप्त करने के आधार पर बताते हुए अनुशंसा समिति द्वारा की जा सकेगी। यदि शासकीय सेवक का निलंबन आगे भी निरंतर रखा जाना आवश्यक है तो समिति द्वारा निलंबन निरंतर रखे जाने का आधार बताते हुए इस बाबत अनुशंसा की जावेगी।

(ii) वर्तमान में एक वर्ष से अधिक अवधि से निलंबित शासकीय सेवकों के प्रकरणों की समीक्षा किये जाने के निर्देश है। शासकीय सेवक अलग-अलग महीनों में निलंबित होने के कारण एक वर्ष की अवधि अलग-अलग महीनों में पूरी करते हैं, अतः प्रत्येक प्रकरण को एक वर्ष पूर्ण होने पर समीक्षा करना संभव नहीं हो पाता है, अतएव निर्णय लिया गया है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के निलंबन प्रकरणों की समीक्षा वर्ष में दो बार माह जनवरी एवं जुलाई में निश्चित रूप से की जाये। अतः सभी विभागों के सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त/शासन को समीक्षा योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रत्येक वर्ष के जून एवं दिसम्बर माह तक अवश्य भेजे।

- (iii) आपराधिक मागलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन से बहाली के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा।

10/ शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन सुनिश्चित कराएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.के. गजभिये)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2013

पृष्ठां क्रमांक सी 6-2/2013/3/एक,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
 3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
 8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
 9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
 10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
 12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
 13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
 15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
 17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

सी-6-3-2013-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक १४ मई, 2013

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-सेवानिवृत्त अधिकारियों के पैनल में से विभागीय जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी के मानदेय में वृद्धि।

संदर्भ:-इस विभाग का परिपत्र क्र सी-6-9-99-3-एक, दिनांक 02.07.1999 तथा क्रमांक सी-6-2-2007-3-एक, दिनांक 01.10.2007 और कार्मिक शाखा का ज्ञाप क्रमांक डी-2/31/2010/6/एक, दि 13.10.2010

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 02.07.1999 द्वारा विभागीय जांच के प्रकरणों का समयावधि में निराकरण किए जाने हेतु योग्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सेवायें मानदेय के आधार पर लेकर उन्हें जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किए गए हैं तथा परिपत्र दिनांक 01.10.2007 द्वारा मानदेय निर्धारित किया गया है।

2- कार्मिक शाखा के ज्ञाप क्रमांक डी-2/31/2010/6/एक, दि 13.10.2010 द्वारा अखिल भारतीय सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य सिविल सेवा, राज्य पुलिस सेवा एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित जांच प्रकरणों के निराकरण हेतु सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रति प्रकरण रु 15000/- एक मुश्त तथा सचिवालयीन सहायक हेतु रु 5000/- के निर्देश जारी किये गये हैं।

3- राज्य सिविल सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों की विभागीय जांच सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कार्मिक शाखा के ज्ञाप दिनांक 13.10.2010 के अधीन करायी जा सकती है तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के मामलों में जांच राज्य सेवा के सेवानिवृत्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों से करायी जा सकती है।

4- राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सिविल सेवा के तृतीय श्रेणी (कार्यपालन) की जांच हेतु निर्धारित वर्तमान मानदेय रु. 1500/- के स्थान पर अब रु 3000/- एवं तृतीय श्रेणी (अकार्यपालन) तथा चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की जांच हेतु रु. 1000/- के स्थान पर अब रु 2000/- प्रति प्रकरण सेवानिवृत्त जांच अधिकारी को मानदेय देय होगा।

5- मानदेय में उपर्युक्तानुसार संशोधन वित्त विभाग की टीप क्रमांक 872-567-13-नियम-चार, दिनांक 29.04.2013 द्वारा अनुमोदित है। कृपया उपरोक्त मानदेय के आधार पर विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण समय-समय में किया जाना सुनिश्चित करें।



(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पू.क्र. सी-6-3-2013-3-एक,

भोपाल, दिनांक १५मई, 2013

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।



(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-3-2014-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2014.

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- डाइज-नान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।
संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क सी-6-3-2000-3-एक, दि 02.02.2000
तथा क सी-6-6-2000-3-एक, दिनांक 16.08.2000

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों द्वारा लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अन्य कार्यवाहियों के अलावा ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 27, सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए अकार्य दिवस (डाइज-नान) अवधि मानने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उक्त ज्ञाप दिनांक 02.02.2000 की कण्डिका-3 की अन्तिम पंक्तियों में निम्नानुसार लेख किया गया है:-

“उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन सम्बन्धी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जाएगा।”

उक्त प्रावधान से कतिपय नियोक्ता इस विन्दु पर अभिमत चाहते हैं कि अकार्य दिवस (डाइज-नान) अवधि के पूर्व की पूरी सेवा का हरण हो जाएगा या केवल डाइज-नान की गयी अवधि का ही हरण होगा ?

3- मूलभूत नियम 17-ए के प्रावधान निम्नानुसार है:-

"F.R. 17-A. without prejudice to the provision of rule 27 of the M.P. Civil Services. (Pension) Rule, 1976, a period of an un-authorised absence-

..... XXX

(iii) in the case of an individual employee, remaining absent un-authorisedly or deserting the post,

shall be deemed to cause an interruption or break in the service of the employee, unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of leave travel concession, quasi-permanancy and eligibility for appearing in department examinations, for which a minimum period of continuous service is required."

4- अतः यहां स्पष्ट किया जाता है कि "तब तक की सेवा" से आशय "अनधिकृत अनुपस्थित अवधि की सेवा" से है। अतएव उक्त पंक्तियों के स्थान पर निम्नानुसार पंक्तियां पढी जावें :-

"उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन सम्बन्धी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी उक्त अनधिकृत अनुपस्थित अवधि की सेवा का हरण हो जाएगा।"



(आर. के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पू. क्रमांक सी 6-3-2014-3-एक

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2014.

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।



(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1-2015-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2015

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच प्रकरणों का समयावधि में निराकरण।

- संदर्भ:-
1. क सी-5-3-1991-3-एक, दिनांक 08.02.1991
 2. क सी-6-2-2000-3-एक, दिनांक 28.01.2000
 3. क सी-6-5-2000-3-एक, दिनांक 11.08.2000
 4. क सी-6-1-2000-3-एक, दिनांक 21.01.2001
 5. क सी-6-1-2006-3-एक, दिनांक 03.01.2006
 6. क सी-6-3-2009-3-एक, दिनांक 22.10.2009
 7. क सी-6-1-2014-3-एक, दिनांक 28.03.2014

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें जिनके द्वारा समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर एक वर्ष की समयावधि में आवश्यक रूप से निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।


2- जांच प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही न होने से शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें अपने स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इससे न्यायालय प्रकरण भी बनते हैं और शासन को अनावश्यक परेशानी होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दि 08.02.1991 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि के 2 वर्ष पूर्व ही कागजात तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय। साथ ही यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित हो तो उन्हें एक समयवद्ध कार्यक्रम के अधीन निराकृत किया जावे ताकि निर्णयोपरांत "न जांच प्रमाण-पत्र" जारी करने में कठिनाई न हो।

कृ.प.उ.

3- उपरोक्त के अलावा विभाग के पैनल में से योग्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मानदेय के आधार पर जांच अधिकारी नियुक्त कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उपरोक्त के बावजूद शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विभागीय जांच प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे ~~अनेक~~ पेंशन प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित हैं।

4- कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे साथ ही समय-समय पर समीक्षा की जा कर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत एवं निश्चित समय सीमा में अधिकतम एक वर्ष के अंदर निराकृत किए जाएं।

5- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।


(के. सुरेश)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2015

पृ. क्रमांक सी 6-1-2015-3-एक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।


(आर.के. गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-3/2015/3/एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2015

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय सेवकों के विरुद्ध म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 अन्तर्गत लघुशास्ति के प्रकरणों का समयावधि में निराकरण।

- संदर्भ:-
1. क्र.सी-5-2-1987-3-एक, दिनांक 16.4.1987
 2. क्र सी-6-5-2000-3-एक, दिनांक 11.08.2000
 3. क्र सी-6-1-2006-3-एक, दिनांक 03.01.2006
 4. क्र सी-6-3-2009-3-एक, दिनांक 22.10.2009
 5. क्र सी-6-1-2014-3-एक, दिनांक 28.03.2014

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिनके द्वारा समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि में आवश्यक रूप से निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं।

2/ म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 के अन्तर्गत शासकीय सेवक को लघु शास्ति हेतु जारी आरोप ज्ञापन का अपचारी शासकीय सेवक से उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष यथास्थिति, निम्नलिखित परिस्थितियाँ उद्भूत होंगी:-

- (क) उत्तर समाधानकारक पाए जाने पर आरोप ज्ञापन नस्तीबद्ध करना, अथवा
- (ख) उत्तर असमाधानकारक पाए जाने पर नियम-10 में वर्णित लघु शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय (जहां लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, ऐसे परामर्श पश्चात्) लेना, अथवा
- (ग) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय होवे कि मामले में जांच की जानी है तो नियम 16(1) के खण्ड (ख) के अनुसार नियम-14 के उप नियम (3) के उप नियम (23) में दी गई रीति में जांच के आदेश प्रसारित कर जांच प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त पद-(क) या पद-(ख) में वर्णित अनुसार कार्यवाही करना।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16.04.1987 के साथ संलग्न सारणी में नियम-16 के अंतर्गत जांच प्राधिकारी द्वारा लघु शास्ति हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु 3 माह तथा उसका परीक्षण एवं जहां आवश्यक हो, आयोग से परामर्श के समय को छोड़कर आदेश पारित किये जाने हेतु 2 सप्ताह की अवधि निर्धारित की गयी है।

4/ लघुशास्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर लगने वाले समय को प्रदर्शित करने हेतु निर्धारित समय-सारणी पुनः संलग्न की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में लघु

शास्ति के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि अधिकतम 150 दिवस अर्थात् 5 माह में निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें।

5/ अपचारी अधिकारी को आरोप ज्ञापन के विरुद्ध उसका प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर ही प्रदान किया जाना चाहिए। विलम्बकारी गतिविधियों के लिए अनावश्यक समय की मांग अमान्य की जाना चाहिए। यदि शासकीय सेवक आरोप ज्ञापन में निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है तो विभाग को एक पक्षीय निर्णय लेना चाहिए। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी को यह प्रतीत होवे कि प्रकरण में जांच की आवश्यकता है, तो तत्काल ही बिना समय व्यतीत किए नियम 16(1)(ख) के अन्तर्गत जांच संस्थापित किए जाने के आदेश प्रसारित किया जावे न कि प्रकरण को पृच्छाओं के माध्यम से परीक्षण हेतु लंबित रखा जावे। पूर्वोक्त कण्डिका-(2) के पद-(क) या पद-(ख) की स्थिति निर्मित न होने पर पद-(ग) के तहत अनिवार्यतः कार्यवाही की जावे, अन्य कोई कार्यवाहियाँ प्रचलित न रखी जावे।

6/ किसी अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के लांछनों के आधार पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। विभागीय जांच कार्यवाही में अपचारी अधिकारी के दोषमुक्त न होने अथवा दण्ड का प्रभाव समाप्त न होने तक उसे उच्चतर जिम्मेदारी वहन करने के लिए पदोन्नति हेतु अपात्र माना जाता है। कतिपय विभागों में शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियम-16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण लम्बी अवधि तक लम्बित रहते हैं। यह स्थिति नियोक्ता व शासकीय सेवक दोनों के हित में नहीं है। अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध आरोपों की जांच तत्परता से कर समयावधि के भीतर प्रकरण निराकृत करना अनुशासनिक प्राधिकारी की जिम्मेदारी एवं सुशासन का आवश्यक मंत्र है। अनुशासनिक प्राधिकारी इसमें चूक न करे, इसकी नियमित समीक्षा सम्बन्धी उपाय सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

अतएव शासन/विभागाध्यक्ष/सम्भाग एवं जिला स्तर पर लघु शास्ति के ऐसे प्रकरण जो निर्धारित अवधि से अधिक समय से लंबित हैं, की जानकारी संकलन पश्चात् संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जावे।

7/ विभिन्न विभागों द्वारा लघु शास्ति के मामलों में जारी ज्ञापनों में विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष लघु शास्ति के मामलों को 'बन्द लिफाफे' में नहीं रखे जाने की स्थिति तकनीकी कारणों से उत्पन्न होने की आशंका रहती है।

मध्यप्रदेश प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-16 के अन्तर्गत लघु शास्ति की कार्यवाही आरम्भ किए जाने हेतु "कारण बताओ सूचना" जारी करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संलग्न मानक प्ररूप-I में आरोप ज्ञापन जारी किया जावे। प्ररूप-I में आरोप ज्ञापन होते ही शासकीय सेवक के विरुद्ध लघु शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जावेगी। जिन प्रकरणों में आगे जांच किए जाने का निर्णय लिया जावे, उनमें मानक प्ररूप-II का उपयोग किया जावे।

8/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।



(के.सुरेश)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र सी 6-3/2015/3/एक

भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र.भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
15. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल।

(ऊषा परमार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

लघु शास्ति हेतु आरोप-जापन का मानक प्ररूप

[देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16(1)(क)]

कार्यालय का नाम

विभाग का नाम,

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र....., श्री(नाम एवं पद तथा कार्यालय का नाम जिसमें वह कार्यरत है) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या कदाचार के अभिकथन जिन पर उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तावित है, संलग्न है।

श्री.....को उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध जैसा कि वह चाहे, पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतद्वारा, अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि श्री इस जाप की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए जाएंगे।

इस जापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जावे।

हस्ता/-

विहित/अनुशासिक प्राधिकारी का नाम

एवं पद

लघुशास्ति हेतु कार्यवाही संस्थित करने के लिए मानक प्ररूप

(ऐसे मामले जिनमें अनुशासिक प्राधिकारी जांच संस्थित करने का निर्णय लेते हैं)

[देखें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 16(1)(ख)]

कार्यालय का नाम

विभाग का नाम

(स्थान एवं दिनांक).....

क्र.....: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अधीन जारी आरोप ज्ञापन क्र..... दि..... के तारतम्य में अनुशासनिक प्राधिकारी का विनिश्चय है कि पूर्वोक्त नियम के नियम 16 के अधीन श्री.....के विरुद्ध जांच संस्थित करना आवश्यक है। अवचार या कदाचार के अभिकथन, जिनके सम्बन्ध में जांच प्रस्तावित है, आरोप-पद परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। प्रत्येक आरोप-पद की पुष्टि में अवचार/कदाचार के अभिकथन परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। अभिलेखों की सूची तथा साक्षियों की सूची जिनमें द्वारा आरोप पद प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है, क्रमशः परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

2/ श्री..... को निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के अंदर अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें तथा बतायें कि क्या वह व्यक्तिशः सुनवाई के इच्छुक हैं?

3/ सूचित किया जाता है कि यह जांच उन्हीं आरोप पदों के सम्बन्ध में संस्थित की जाएगी, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। अतएव प्रत्येक आरोप पद को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए।

4/ श्री..... को और सूचित किया जाता है कि यदि वह बचाव में लिखित अभिकथन एवं जानकारी उपर्युक्त कण्डिका-2 में वर्णित तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करते हैं या जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होते हैं या अन्यथा असफल रहते हैं या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों का अथवा उक्त नियम के संदर्भ में जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करने से इंकार करते हैं, तो जांच प्राधिकारी उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकेंगे।

6/ ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जावे।

हस्ता/-

(विहित प्राधिकारी का नाम एवं पद)

प्रति,

श्री.....(संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद)

विषय- विभागीय जाँच का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में निपटारा।

कृपया मार्जिन में अंकित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का अवलोकन करें। इनमें कहा गया है कि विभागीय जाँच के मामलों को निर्धारित एक वर्ष की समयावधि में ही निपटाकर अन्तिम आदेश पारित किया जावे एवं आवश्यक/अनुचित विलम्ब पर रोक लगायी जाय तथा विलम्ब के लिये जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर लघुशास्ति पारित की जाय।

2. समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के बावजूद विभागीय जाँचों के निपटारे में हो रहे विलम्ब पर अंकुश लगाने के तत्परता से प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। शासन इस स्थिति को गम्भीर मानता है।

3. अतः संलग्न सारणी में बताई गई विभागीय जाँच की विभिन्न प्रावस्थाओं की ओर समस्त सक्षम/अनुशासनिक, प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा की जाती है कि आयोग द्वारा मंत्रणा [जहाँ आवश्यक हो] देने में लगने वाली समयावधि को छोड़कर, विभागीय जाँच की सम्पूर्ण कार्यवाही एक वर्ष की अधिकतम समयावधि में अनिवार्यतः पूरी करने या करवाने के शासन के निर्देशों का तत्परता एवं दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित किया जाय एवं विलम्ब की स्थिति में जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने की कार्यवाही की जाय।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-75-2187/31, दिनांक 16-4-1987]

संलग्न उपरोक्तानुसार-

ज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक

1-2198/2355/1 (3), दिनांक 30 सितम्बर, 1963।

2-439/1164/1 (3)/75, दिनांक 5 जुलाई, 1975।

3-सी/ 6-5/76/3/1, दिनांक 8 जुलाई, 1976।

4-71/1376/काप्रसु/1/81, दिनांक 27 फरवरी, 1982।

5-एफ-4-8/86/काप्रसु/ 1, दिनांक 25 सितम्बर 86।

विभागीय जाँच करने के प्रकरणों की प्रावस्थाएँ एवं उनमें लगने वाली समयावधि की सारणी

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| 1. | सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया जाना- | प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह |
| 2. | आरोप-पत्रादि जारी किये जाना- | अधिकतम एक माह |
| 3. | अपचारी से आरोप पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना-
[यह अवधि आरोप-पत्रादि प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी] | सात दिन से एक माह |
| 4. | अपचारी से आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जाँचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी की नियुक्ति- | सात दिन से एक माह |
| 5. | जाँच प्राधिकारी द्वारा जाँच करना एवं प्रतिवेदन भेजना- | |
| (1) | मुख्य शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु- | अधिकतम छः माह |
| (2) | लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु- | अधिकतम तीन माह |
| 6. | जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनन्तिम [प्रस्तावित] या अन्तिम शास्ति [लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में] पारित करने का निर्णय लेना- | |
| (1) | मुख्य शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु- | अधिकतम तीन सप्ताह |
| (2) | लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु- | अधिकतम दो सप्ताह |
| 7. | आयोग की मंत्रणा [मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर] जहाँ आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए अन्तिम आदेश पारित करना- | अधिकतम दो सप्ताह |

Table of Various Stages of Inquiry & Prescribed Time-Limit

(Under Rule -16)

Date on which the Charge - Sheet was given	Submission of written statement for defence	Examining of the Statement & appointment of Inquiring authority / Presenting Officer where necessary	Inquiring the case & Submission of the Inquiry Report	Examining the report & take the decision	Consultation Of PSC where it is necessary & making the final decisive order
Duration →	15 days	15 days	90 days	15 days	15 days
1	2	3	4	5	6

1- Departmental Enquiry for minor penalty under rule 16 shall invariably be completed within 150 days from the date on which the Charge-Sheet was given to the concerned Government Servant.

2- Disciplinary action may be taken for delay against responsible concerned.

3- If the concerned delinquent Government Servant does not co-operate or refuses to comply with the provisions of the rules, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte under the rule 14(20) of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.सी 6-2-2015-3-एक

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्र.सी-6-2-2013-3-एक, दिनांक 28.01.2013

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 28.01.2013 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा किये जाने हेतु शासन/राज्य प्रशासनिक स्तर/संभाग एवं जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया। कतिपय विभागों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या भ्रष्टाचार/आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत होने पर निलम्बित किये गये शासकीय सेवकों के मामलों पर भी उक्त समिति विचार कर सकेगी।


2- सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 28.01.2013 की कण्डिका 9(iii) में स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा।

3- उपरोक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किये गये निलम्बन के मामलों में भी उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका 9(iii) लागू होगी। अर्थात् आपराधिक मामलों में यदि चालान प्रस्तुति के पश्चात् न्यायालय में विलम्ब हो रहा है तथा

.....2

श्री.रा. उम


ऐसा विलम्ब आरोपी के कारण नही हो तो उक्त समितियों की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर बहाली का निर्णय लिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के. वाष्णीय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक सी 6-2-2015-3-एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।


अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6- 4 -2015-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों को शासकीय गवाह के रूप में आहूत किये जाने पर टीए/डीए प्रदाय करने के सम्बन्ध में निर्देश।

किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को न्यायालय आदि के पेशी पर बुलाया जाता है, इस प्रकार की यात्राओं के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम के सेक्शन-xxiii के अन्तर्गत सहायक नियम-136 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत टी.ए./डी.ए. प्रदाय करने के सम्बन्ध में पात्रता का प्रावधान रखा गया है।

2- बहुधा यह देखा गया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को जब किसी प्रकरण में शासकीय गवाह के रूप में माननीय न्यायालय में गवाही/साक्ष्य के लिये बुलाया जाता है, तब उन्हें टी.ए./डी.ए. आदि की सुविधा से वंचित रखा जाता है। उन्हें स्कैयं के खर्च पर आना पड़ता है। यह स्थिति न तो उचित है, और न ही व्यवहारिक।

3- अतः ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक (अधिकारी/कर्मचारी) जिनको किसी न्यायालय में साक्ष्य आदि के लिए आहूत किया जाता हो, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में उक्त कडिका-एक में वर्णित यात्रा भत्ता नियम/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।




(एम.के. वाष्णीय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6-4-2015-3-एक

भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।



(के.के. कातिया)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-5-2015-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- विभागीय जांच में आरोप-पत्रादि की तामीली ई-मेल के माध्यम से क्रिया जाना।

संदर्भ:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-3-2-2013-56, दिनांक 30 मई, 2014

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन राज्य शासन के शासकीय सेवकों के विरुद्ध उनके द्वारा अवचार कृत्यों के लिए विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। उक्त नियमों के नियम 9 में निलम्बन, नियम 14 में मुख्य शास्ति हेतु जांच प्रक्रिया तथा नियम 16 में लघुशास्ति हेतु जांच प्रक्रिया के प्रावधान हैं। उक्त नियमों के प्रावधानानुसार निर्धारित समय में आरोप-पत्रादि सहित अन्य आदेश पारित किये जाते हैं।

2- आरोप-पत्रादि की तामीली की जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी की होती है। अनेक वार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि आरोप पत्र समयावधि में तामील नहीं हो पाते हैं। यही स्थिति निलम्बन/बहाली आदेश एवं दण्डादेश आदि में भी निर्मित हो जाती हैं। इससे सम्बन्धित द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-मेल नीति, 2015 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की ई-मेल नीति 2014 जारी कर अधिसूचित की गयी है, जिससे शासकीय ई-मेल से किये गये समस्त शासकीय पत्र-व्यवहार को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गयी है।

3- अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन जारी किये जाने वाले निलम्बन/बहाली के आदेश, आरोप-पत्रादि सहित दण्डादेश सम्बन्धित शासकीय सेवक को ई-मेल के माध्यम से तामीली कराना सुनिश्चित किया जाए। अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों को उक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

(एम.के. वाष्णीय)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक सी 6-5-2015-3-एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।


(सी.बी. पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1-2016-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- विभागीय जांच प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 (3) में स्पष्ट प्रावधानित है कि कोई भी मुख्य शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जाएगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ हो। अर्थात् उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (छः) से (नौ) में वर्णित शास्तियां सम्बन्धी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा।

2- उक्त नियमों के नियम 14 (21)(क) के अनुसार यदि लघु शास्ति हेतु सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर यह राय हो कि प्रकरण में मुख्य शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच के अभिलेख उस प्राधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा जो कि मुख्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो। अर्थात् ऐसे प्रकरण नियुक्ति प्राधिकारी की ओर निर्णय/कार्यवाही हेतु भेजे जाएंगे।

3- सामान्य (कामन) अर्थात् संयुक्त विभागीय जांच की कार्यवाही में पदच्युति/मुख्य शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हों तो ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा अन्य प्राधिकारियों की सहमति से कार्यवाही के आदेश दिये जा सकेंगे।(नियम-18)

4- यदि प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के विरुद्ध आदाता विभाग में किये गये किसी कृत्य के लिए विभागीय जांच का मामला हो और जांच में मुख्य शास्ति का प्रकरण बनता हो तो ऐसी स्थिति में उक्त शासकीय सेवक की सेवायें प्रदाता/मूल विभाग को वापिस करते हुए कार्यवाही भी मूल विभाग को सौंपी जानी चाहिये। परन्तु प्रतिनियुक्ति के मामलों में जांच के प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही से मूल या प्रदाता विभाग को अवगत कराया जाना आवश्यक है।(देखें नियम 20 एवं 21)

5- यह भी स्पष्ट हो कि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरुद्ध दण्डादेश पदोन्नत पद हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही पारित किये जा सकते हैं, भले ही ऐसी जांच पदोन्नति के पूर्व की हो। ऐसी स्थिति में जांच प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को निर्णय हेतु अंतरित की जाना चाहिए।

6- विभागीय जांच प्रकरणों में नियमानुकूल कार्यवाही नहीं होने से जांच प्रक्रिया दूषित हो जाती है। अतएव उपरोक्त नियमों में प्रावधानित प्रक्रिया का पालन कड़ाई से किया जाना कृपया सुनिश्चित करें।



(एम.के. वार्षेय)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6-1-2016-3-एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।



(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-2-2016-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2016

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश

विषय:- विभागीय जांच/अपील प्रकरणों को लोक सेवा आयोग की राय हेतु भेजे जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित प्रपत्र सहित चैक लिस्ट में जानकारी प्रस्तुत करने हेतु।

संदर्भ:-सा.प्र.विभाग का ज्ञापन क सी-6-7-1983-3-1, दिनांक 25.08.1984 क सी-6-1-85-3-1, दि 04.11.1985 क सी-6-2-2009-3-1, दि 15.10.2009 क एफ. -ए-6-1-95/एक (1), दि 16.02.1995 तथा क सी-6-1-2010-3-1, दि 29.01.2010

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित ज्ञापन दि 25.08.1984 के साथ एक निर्धारित प्रपत्र संलग्न करते हुए निर्देश जारी किये गये थे कि विभागीय जांच एवं अपील इत्यादि अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरणों की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भर कर आयोग को परामर्श के लिए प्रकरण भेजे जायें। साथ ही सुसंगत अभिलेख भेजें।

2- आयोग द्वारा लेख किया गया है कि उक्त सम्बन्ध में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। प्रकरण अव्यवस्थित होने तथा विन्दुवार टीप उपलब्ध नहीं होने साथ ही सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित किये बिना प्राप्त अभिलेखों के कारण प्रकरण वार-वार विभागों की ओर लौटाये जाते हैं जिससे अनावश्यक विलम्ब होता है।

3- सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन दि 25.08.1984 के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र सहित चैक लिस्ट पुनः संलग्न किये गये हैं। कृपया भविष्य में आयोग को भेजे जाने वाले समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों में निर्देशानुसार जानकारी चैक लिस्ट के अनुरूप सुनिश्चित करते हुए प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा विलम्ब के कारण उत्पन्न अन्य परेशानियों से बचा जा सके।

4- कृपया उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।



(एम.के. वार्डिया)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर, 2016

पू. क्रमांक सी 6-2-2016-3-एक

प्रतिलिपि, उपसचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर उनके पत्र क 9730-पेड-2016-जीएस, दिनांक 14.09.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।



(एम.के. वार्डिया)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ANNEXURE

Particulars relating to the disciplinary case referred to the Madhya Pradesh Public Service Commission with Letter No.
Dated

1. Name of accused Officer.
2. Whether temporary/permanent/contract service.
3. Post held substantively if in permanent Service.
 - (a) Designation
 - (b) Scale of pay
 - (c) Pay drawn
 - (c) Date from which pay shown against (c) drawn.
4. Post held at present in an Officiating capacity.
 - (a) Designation
 - (b) Scale of pay
 - (c) Pay drawn
 - (e) Date from which pay shown against (c) drawn.
 - (f) Whether the approval of the M. P. P. S.C. to the Officer's officiating appointment has been obtained in case such approval was necessary under rules (Give the No. and date of the Commission's relevant letter).
5. The next lower post the officer would have held but for his appointment to the present post he is holding.
6. Post if any in which quasi-permanent.
7. Increment.
 - (a) Date of next increment in post held substantively
 - (b) date of next increment in post in which officiating at present
8. Date of birth
9. Date of joining Government Service
10. Date when due to retire or date of actual retirement in cases of persons who have already retired.
 10. (A) (i) Amount of monthly pension admissible.
 - (ii) Amount of monthly pension sanctioned.

(B) (i) Amount of gratuity admissible.

(ii) Amount of gratuity sanctioned.

(This information is required only in respect of cases of recovery from or with-holding of pension/ special additional pension).

11. (A) Appointing authority in respect of the post held at present or the authority which actually appointed the person if that authority is higher.

(B) Punishing authority in respect of the post held at present.

(C) Appeal-late authority in respect of the post held at present.

12. Whether an oral enquiry if required under the rules has been held.

13. Name and designation of the Inquiry Officer appointed, if any.

14. Whether all the relevant documents in original, particularly the following have been enclosed with the letter seeking the Commission's advice.

(A) In the case of original enquiries :

i. Papers relating to preliminary enquiry, if any.

ii. Suspension Order, if any, (a) order revoking suspension, if any.

iii. Order of the competent Authority for joint/common proceedings where issued if two or more Govt. Servants are involved in the case.

iv. Charge sheet with the statement of imputations of misconduct or misbehaviour and other enclosures.

v. Reply of the accused officer to the charge sheet.

vi. Orders appointing the Inquiry Officer.

vii. Orders appointing the Presenting Officer.

viii. Record of the oral Inquiry :—

(a) Daily order sheets.

(b) Correspondence file of the I. O.

(c) Depositions.

- (d) Questions put to the accused officer by the Inquiry Officer.
- (e) Statement of Defence before the I. O.
- (f) Written briefs of,—
 - (i) the presenting officer
 - (ii) the charged officer
- (g) Inquiry Officer's Report.
- ix. Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits, statement etc., referred to in items (i) to (ix) above.
- x.* Sanctions of the Governor for institution of departmental proceedings where necessary.

* This information is required in case of pensioners only.

xi.* Show cause notice for withdrawing /withholding the pension/DCRG.

xii.* Reply of the accused officer to the show-cause notice.

(B) In the case of appeals :

In addition to the documents specified under (A) above the following :—

* This information is required in case of pensioners only.

- (i) Order of the punishing Authority.
- (ii) Appeal, if any, of the accused officer.
- (iii) Comments on the appeal by the officer against where order an appeal has been filed.

(C) In the case of petition/Memorials or suo Moto Review
In addition to the documents specified under (A) & (B) above, the following :—

- (i) Order, if any, on the Appeal.
 - (ii) Petition or memorial, if any, from the accused officer.
 - (iii) Note indicating the reasons for modifying the existing order of penalty and the precise extent of such modification.
-

(D) Miscellaneous documents regarding evidence such as exhibits statements referred to in item 14 (B) and 14 (C) and extracts of relevant Rules, codes, Acts, Judgements, Manuals, etc. referred to in the charge-sheet, statement of allegations, statement of defence, Inquiring Authority's Report, reply to show-cause notice, appeal, petition, Department's Comments.

15. Whether a note explaining the factual and procedural points mentioned in the Officer's explanation has been enclosed.

16. Whether comments' on procedural points, if any, raised by the officer in his explanation to the charge sheet/reply to show-cause notice/appeal/petition have been give.

References

17. Whether complete and up-to-date confidential roll of the officer has been enclosed.

Signature

Name in Block letters
of officer signing
this statement

Designation

Date

Telephone Number

: : चेक लिस्ट : :

आयोग को भेजे जाने वाले विभागीय जांच से संबंधित मामलों में अभिलेखों की जानकारी

नस्ती एवं पृष्ठ क्रमांक

- | | | |
|----|---|-----|
| 1 | प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका :- | () |
| 2 | सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-6-7/83/3/1. दिनांक 25-08-84 के अनुसार सेवा संबंधी निर्धारित प्रपत्र में जानकारी :- | () |
| 3 | सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-ए-6-1/95/एक (1) दिनांक 16-2-95 के अनुसार आरोपवार तुलनात्मक विवरण पत्रक | () |
| 4 | आरोप पत्र अभिकथन पत्रक/अभिलेखों एवं गवाहों की सूची मूलतः | () |
| 5 | आरोप-पत्र के संदर्भ में आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर मूलतः | () |
| 6 | जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के नियुक्ति आदेश मूलतः | () |
| 7 | जांचकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन (मूलतः)
जांच अधिकारी की आर्डरशीट
जांच की नस्ती "अ" एवं "ब"
उभयपक्षों के गवाहों के बयान आदि | () |
| 8 | सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 20-08-92 के संदर्भ में अपचारी अधिकारी को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई है, अथवा नहीं ? | () |
| 9 | शासन यदि जांच प्रतिवेदन से असहमत हुआ है तो जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ शासन की असहमति के स्पष्ट कारण अपचारी अधिकारी को बताये गये हैं अथवा नहीं ? | () |
| 10 | जांच प्रतिवेदन पर आरोपी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मूलतः | () |
| 11 | समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया है, अथवा नहीं ? | () |
| 12 | आरोपी के अभ्यावेदन पर शासन की विस्तृत तथ्यात्मक कंडिकावार टीप- | () |
| 13 | विभागीय जांच प्रकरण से संबंधित शासन की पत्र व्यवहार नस्ती/नोटशीट एवं अनय संगत अभिलेख | () |
| 14 | यदि प्रकरण लोकायुक्त जांच से संबंधित है तो उसकी स्पष्ट स्थिति/जानकारी | () |

(चेक लिस्ट)

आयोग को भेजे जाने वाले अनुशासनिक कार्यवाई के मामले से संबंधित अभिलेखों की जानकारी ।

- 1 प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका ()
- 2 सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 25.08.84 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सेवा संबंधी जानकारी ()
- 3 सा.प्र.वि. के ज्ञाप दिनांक 16.02.95 के अनुसार विवरण पत्रक ()
- 4 कारण बताओ सूचना पत्र ()
- 5 कारण बताओ सूचना पत्र का आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर मूलतः ()
- 6 आरोपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर शासन को विस्तृत तथ्यात्मक कंडिकावार टीप ()
- 7 शासन को पत्र व्यवहार नस्ती एवं नोटशीट मूलतः ()

आयोग को भेजे जाने वाले अपील के मामले से संबंधित अभिलेखों की जानकारी ।

- 1 आरोपी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाई से संबंधित समस्त अभिलेख मूलतः ()
- 2 विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्यवाई के संबंध में आयोग की राय के उपरांत शासन द्वारा पारित आदेश की प्रति ()
- 3 शासन द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलार्थी द्वारा महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत अपील मूलतः एवं अपील से संबंधित अभिलेखा नस्ती ()
- 4 अपील पर शासन को बिन्दुवार विस्तृत टीप (विवरण पत्रक, जिसमें अपील में उठाये गये मुद्दे तथा उन पर बिन्दुवार टीप का उल्लेख हो) ()

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-03/2017/एक-3
प्रति

भोपाल दिनांक २३/ फरवरी, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 59^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16.

संदर्भ :- इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 6-1-2012-3-एक दिनांक 13 अगस्त, 2012 एवं क्रमांक सी 3-15/2015/1/3 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015.

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 59^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन में विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले विभागीय पदोन्नति समिति/परिभ्रमण/नियमितीकरण/स्थाईकरण/संविलियन/विभागीय जाँच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन इत्यादि प्रकरणों में कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है जो निम्नानुसार है:-


1. पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव.

- (क) संबंधित संवर्ग की अद्यतन पदक्रम सूचियां प्रकाशित न हो पाना।
- (ख) कुछ अधिकारियों की संगत वर्षों की चरित्रावलियां या तो पूर्ण रूप से न लिखा जाना या उनमें दी अभ्यक्तियां अस्पष्ट होना।
- (ग) गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित विपरीत अभ्यक्तियां संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में संसूचित नहीं की जाना।

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन प्रकरण.

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विभागों द्वारा पूरी तरह पालन न करना।
- (ख) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित नहीं होना।
- (ग) प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना।
- (घ) प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका, आरोपवार विवरण पत्रक, निर्धारित सेवा विवरण पत्रक में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरे जाना, कारण बताओ सूचना-पत्र के पत्रक में जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरा जाना, कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आरोपी द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर पर तथा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर शासन की तथ्यात्मक एवं बिन्दुवार टीप कव्हरिंग पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाना।
- (ङ) अभिलेखों की छायाप्रतियां किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की जाना।

2/ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया जाता है कि विभागीय पदोन्नति के विभागों द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में परिभ्रमण/नियमितीकरण/स्थाईकरण/संविलियन तथा विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अपील एवं न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित जानकारी के अभाव में प्रकरणों को या तो नस्तीबद्ध किया जाना होता है अथवा विभागों को लौटाया जाना पड़ता है। इस संबंध में समय-समय पर संदर्भित ज्ञापनों के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। अतः भविष्य में लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले प्रकरणों में पूर्ण जानकारी का समावेश किया जाकर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जाए।


(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-03/2017/एक-3

भोपाल, दिनांक

फरवरी, 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
 2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
 3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
 4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
 5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
 7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
 8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
 9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
 12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
 14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
 15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
 20. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(सी.बी. पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1-2017-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-प्रारम्भिक जांच में त्वरित कार्यवाही कर विभागीय जांच प्रकरण का समयावधि में निराकरण।

- संदर्भ:- (1) क सी-6-6-1997-3-1, दि 04.06.1997
(2) क सी-6-3-2009-3-1, दि 22.10.2009
(3) क सी-6-1-2015-3-1, दि 21.01.2015
(4) क सी-6-3-2015-3-1, दि 01.08.2015

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिनके माध्यम से समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अधीन मुख्य शास्ति अधिरोपित की जाने वाली प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उपरोक्त प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर लगने वाले अधिकतम संभावित समय को वर्गीकृत करते हुए एक समय-सारणी उक्त निर्देशों के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त परिपत्र दि 01.08.2015 द्वारा लघुशास्ति के मामले अधिकतम 150 दिवस अर्थात् 5 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। तथापि कार्यवाही में विलम्ब या लापरवाही हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं।

3- सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दि 08.02.1991 तथा 21.01.2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि जांच प्रकरण में त्वरित कार्यवाही न होने से शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने पर उसे स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, न्यायालय प्रकरण बनते हैं और शासन को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतएव सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही प्रचलित कार्यवाही का निराकरण कर लिया जाय।

4- इसके बावजूद शासन के ध्यान में आया है कि उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। विधिवत् जांच संस्थित किये जाने के पूर्व प्रारम्भिक जांच में ही अत्यधिक समय व्यतीत हो जाता है, यहां तक कि सम्बन्धित शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो जाता है और कभी-कभी तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 में उल्लिखित 4 वर्ष की समय-सीमा का उल्लंघन होने से जांच संस्थित जांच ही संस्थित नहीं हो पाती। यह स्थिति किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है।

5- अतएव पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच की जाती है, उसका निराकरण अधिकतम 3 माह की समयावधि में किया जाना कृपया आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। तदुपरांत मुख्य शास्ति हेतु नियम 14 के अंतर्गत संलग्न सारणी के अनुसार एक वर्ष की समयावधि में तथा लघुशास्ति हेतु नियम 16 के अंतर्गत 5 माह में प्रकरणों का निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। समय सारिणी पुनः संलग्न की जा रही है।

(सीमा शर्मा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2017

पृ. क्रमांक सी 6-1-2017-3-एक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा. प्र. वि. अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

**विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिए निर्धारित
समय-सारणी**

विभागीय जांच संस्थित किये जाने के पूर्व जहां प्रारम्भिक जांच आवश्यक है, वहां अधिकतम 3 माह की समय-सीमा में प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जाना अत्यावश्यक है।

1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती में विभागीय जांच का निर्णय लिया जाना.	अधिकतम 1 सप्ताह
2	आरोप पत्रादि जारी किया जाना.	अधिकतम 1 माह
3	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त किया जाना. (आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम 7 दिन पश्चात् से यह अवधि गण्य होगी)	7 दिन से 1 माह
4	प्राप्त उत्तर का परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति.	7 दिन से 1 माह
5	जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :- (क) मुख्य शास्ति की प्रक्रिया हेतु (ख) लघु शास्ति की प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 6 माह अधिकतम 3 माह
6	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं शास्ति पारित करने का निर्णय लिया जाना :- (क) मुख्य शास्ति की प्रक्रिया हेतु (ख) लघु शास्ति की प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 3 सप्ताह अधिकतम 2 सप्ताह
7	आयोग की मंत्रणा जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद अंतिम आदेश पारित करना.	अधिकतम 2 सप्ताह

(Handwritten Signature)

**Appointment Rules for
Assistant Professor,
Librarian
and
Sports Officer**



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) परीक्षा - 2022

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 21/2022/ 30.12.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अंतिम तिथि 14.03.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15.02.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 14.03.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का भली भांति एवं सूक्ष्मता से समझने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया जाएगा।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.02.2023 से 16.03.2023 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत ही सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र

1. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि, परीक्षा केन्द्र एवं प्रवेश-पत्र की उपलब्धता तथा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु प्राप्त शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा-नियम / निर्देश आदि

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी भी माध्यम से प्राप्त इस प्रकार के अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय ही किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें रहता है कि परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अनिवार्यतः उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब सूचित करें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

विषय	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
वाणिज्य (Commerce)	36	7	55	20	6	124	12	2	18	7	2	1	0	1	0
Abbreviations:	UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो - पद का विवरण

- (A) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
- (B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
- (C) पद स्थिति : स्थायी
- (D) वेतनमान : युक्तियुक्त एंटी पे रू. 57,700 अकादमिक स्तर 10
- (E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य
- (F) पद का नाम : सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
- (G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :
- (i) कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित / संगत / संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।
 - (ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है-अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि ।
टीप :- म.प्र. शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे अन्य राज्यों के सेट/स्लेट सफल अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
 - (iii) उपरोक्त उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्त किया गया है - इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पीएच.डी. डिग्री प्रदान हुई है अथवा बाद में ऐसे विनियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचित किया है । (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच.डी. प्रदान करने के लिए है) -ऐसे अभ्यर्थियों को नेट / स्लेट / सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी-जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है । तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल / पीएच.डी हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाले

संस्थान के तत्कालिन अध्यादेश / उपविधि / विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट / स्लेट / सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी :

- (क) अभ्यर्थी को पीएच.डी. की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।
- (ख) पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो।
- (ग) पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
- (घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
- (ङ.) अभ्यर्थी ने वि.अ.आ./ आईसीएसएसआर/ सीएसआइआर अथवा ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएच.डी. कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।
उपर्युक्त (क) से (ङ) को कुलपति/ सम-कुलपति/ संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/ संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

टीप मप्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1, दिनांक 05 दिसंबर, 2017 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 11 जुलाई 2009 के पूर्व पंजीकृत तथा 11 जुलाई 2009 के पश्चात नियमन लागू होने के दिनांक तक पी.एच.डी. प्राप्त अभ्यर्थियों की उपाधि पर भी उपरोक्तानुसार अर्हता मान्य होगी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

- (iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/ स्लेट/ सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं, उनके लिए नेट/ स्लेट/ सेट की अनिवार्यता नहीं होगी ।
- (v) यूजीसी का राजपत्र प्रकाशन अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/ पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी । पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई भी स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "प्वाइंट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है वे अनुमत होंगी जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी-और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी ।
- (vi) साथ ही ऐसे पीएच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत ।

टीप:- 01 सभी विज्ञापित विषयों में नेट/स्लेट की परीक्षा या तो मूल विषय के नाम से अथवा तत्संबंधी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को मान्य किया जाएगा जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 15/11/2017)

क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय	क्र.	विषय	यूजीसी नेट में अंकित विषय
1	जीव रसायन	लाईफ साइंस	19	सैन्य विज्ञान	डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टैडिज़
2	वनस्पति शास्त्र	लाईफ साइंस	20	संगीत	संगीत
3	रसायन शास्त्र	केमिकल साइंस	21	संगीत वाद्य	संगीत
4	आर्गनिक रसायन	केमिकल साइंस	22	संगीत गायन	संगीत
5	रसायन भौतिक	केमिकल साइंस	23	चित्रकला	विजुअल आर्ट्स
6	वाणिज्य	वाणिज्य	24	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र
7	नृत्य	परफार्मिंग आर्ट्स	25	भौतिक शास्त्र	फिजिकल साइंस
8	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	26	राजनीति शास्त्र	राजनीति शास्त्र
9	अंग्रेजी	अंग्रेजी	27	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
10	पर्यावरण विज्ञान	पर्यावरण विज्ञान	28	संस्कृत प्राच्य	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
11	भूगोल	भूगोल	29	संस्कृत	
12	भूगर्भ शास्त्र	अर्थ साइंस	30	संस्कृत व्याकरण	
13	हिन्दी	हिन्दी	31	संस्कृत साहित्य प्राच्य	
14	इतिहास	इतिहास	32	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
15	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान	33	सांख्यिकी	मैथमेटिकल साइंस
16	विधि	विधि	34	उर्दू	उर्दू
17	मराठी	मराठी	35	वेद	संस्कृत ट्रेडीशनल सब्जेक्ट
18	गणित	मैथमेटिकल साइंस	36	प्राणी शास्त्र	लाईफ साइंस

02 मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1/1/0081/2022/Sec-1-38(HED), दिनांक 22.12.2022 द्वारा वाणिज्य विषय के संबन्धित सहविषयों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	सह विषय (Allied Subject)
1	वाणिज्य(Commerce)	हेतु कोई सह विषय नहीं है।

- (1) कालम (2) में उल्लेखित विषयों के सह विषय कालम (3) में दिए गए हैं तथा कालम (2) में उल्लेखित विषयों हेतु कालम (3) के विषयों से संबन्धित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सहविषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं, को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
- (3) परीक्षा का आयोजन मुख्य विषय में ही किया जाएगा

(H) आयु सीमा: 1. 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
(मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।)

2. अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2023

- तीन (I) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 तक होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।

- (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (v) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्सुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
- (vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
- (viii) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं, उस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु-सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी तथा उन्हें अनारक्षित पद/पदों के संदर्भ में विचारित किया जाएगा। यदि अनारक्षित श्रेणी का पद विज्ञापित नहीं है, तो केवल उन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा, जिस श्रेणी के पद विज्ञापित हैं।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छ: अधिवाषिकी आयु :- 65 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

- (1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तानकों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

- (2) परीक्षा में प्राप्तंक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (3) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाए जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर सूचित किया जाएगा।
- (4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।
- (5) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देशा यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

आठ प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र :-

कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम
01	भोपाल	02	इन्दौर	03	ग्वालियर	04	जबलपुर	05	सागर
06	उज्जैन	07	शहडोल	08	चंबल	09	रीवा	10	नर्मदापुरम

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किया जाए। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आवंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियाँ यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ना आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट -1
- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था परिशिष्ट -2
- आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियाँ परिशिष्ट -3
- परीक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -4

सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

- 1 मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

टीप :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

- (2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट :-

- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी।
- 4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- 5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-

- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 बिन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
- (02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(तीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- 1 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषयक के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर शीघ्री भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।
- 2 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा जिन्होंने उसी विषयक के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर शीघ्री भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों की दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

- 3 उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक

वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो म.प्र. मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48वर्ष)	

- 4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- 5 उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात् उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 6 अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यापन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

कार्यालय, प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल:

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक:

स्थान:, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (अतिथि विद्वान का नाम)

आत्मज/आत्मजा श्री ने इस महाविद्यालय के

..... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न

किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम
प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

प्रपत्र-2

विषय:

अभ्यर्थी का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

अभ्यर्थी को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे | अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे :

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
..... (प्रथम सत्र)
..... (द्वितीय सत्र)
..... (तृतीय सत्र)
..... (चतुर्थ सत्र)
..... (पंचम सत्र)
अनुभव के कुल अंका का योग (अधिकतम अंक 20):						

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान	
अनुभव के कुल अंक : (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
आयु सीमा में छूट : 	
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:	

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

टीप-1: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45+3=48 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

परिशिष्ट- तील

सहायक प्राध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
 - अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्क की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आँखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करे जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र **submit** करने के बाद खुलने वाले **pop up window** में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी **Cancel** बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। **Pop up window** में **OK** बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह **Unpaid** होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र **submit** होने के बाद **"proceed to payment"** बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा **"Payment Done"** स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी **"Payment Done"** उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
9. त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.02.2023 से 16.03.2023 तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में अतिरिक्त

आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।

11. अत्यावश्यक :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजॉन्टल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 15.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 14.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 16.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

मग्न के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

मग्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर [locateKiosk/CSCsLink](#) देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

<p>अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।</p> <p style="text-align: center;">Click here to Apply</p> <p style="text-align: center;">Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt</p> <p style="text-align: center;">Click here to Edit</p> <p style="text-align: center;">Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status</p> <p style="text-align: center;">Click Here to View Advertisement</p>
--

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले [Click here to View Advertisement](#) को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी [Click here to Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के [\(प्रारूप हेतु इस लिंक्स\)](#) दिखाई देंगी। **Links.** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे:-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत **Proceed to Payment** का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।

8. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में **MPPSC** सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना

पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो। जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. अन्य निर्देश/ जानकारी :-

- 1 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
- 2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी।
- 3 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
- 4 पहचान चिह्न :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिह्न बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिह्न वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
- 5 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
- 6 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14.03.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि

- यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है / उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-
- 1 परीक्षा का आवेदन पत्र
 - 2 आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
 - 3 आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
 - 4 शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
 - 5 मूल-निवासी / स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।
 - 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
 - 7 जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कड़िका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते:-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप	
<p>मैं _____ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 21/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ</p>	
<p>1. मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/ _____ जिला _____, मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____ जाति का/ की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।</p>	<p>हस्ताक्षर _____</p> <p>नाम _____</p> <p>रोल नंबर _____</p>
<p>2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।</p> <p>दिनांक :- _____</p>	

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

- 8 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

- 9 शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
 - 10 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
 - 11 विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।
 - 12 अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र ।
- उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर "सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएँ ।
3. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :- परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-
 - 01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
 - 02 प्रतिरूपण किया हो; या
 - 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
 - 04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
 - 05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
 - 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
 - 07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
 - 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
 - 09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
 - 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्यवहार किया हो, या
 - 11 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
 - (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
 - (दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैनल विभाग को अनूशासा की जाएगी।
 - (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु अर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेशपत्र -

01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

- (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और
- (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
- (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
- (घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक से 21/2022 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के विज्ञापन क्रमांक 21/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

रोल नंबर

01. सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

- 1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
- 2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
- (फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में संबंधित कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
- (ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
 निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एस.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-


ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण जर्द किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

- केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-



- पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
- उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (•) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
- उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
- प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
- अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलकुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास,

स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों / व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

- 1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
- 2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/ चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

- 1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
- 2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- 5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

60 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।

2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

- 1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- 2 परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।
तेरह - अनुशासन व शालीनता

- 1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- 3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

ग्रंथपाल परीक्षा - 2022

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु ग्रंथपाल के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 52/2022/ 30.12.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अंतिम तिथि 19.05.2023 दोपहर 12.00 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.04.2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 19.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. ग्रंथपाल के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली भांति अवलोकन करने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.04.2023 से 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता / अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा आवेदनपत्र

1. परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदनपत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से

प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को अविलम्ब सूचित कर दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।



एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत ग्रंथपाल निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

विषय	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
ग्रंथपाल (Librarian)	57	24	97	56	21	255	19	8	32	18	7	4	0	7	0
Abbreviations:	UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो - पद का विवरण

(A) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) पद स्थिति : स्थायी

(D) वेतनमान : युक्तियुक्त एंटी पे रु 57,700 अकादमिक स्तर 10

(E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य

(F) पद का नाम : ग्रंथपाल

(G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

(I) कम से कम 55 प्रतिशत अंको (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि। 2/ पुस्तकालय में कम्प्यूटरिकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड। 3/ उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई हो। बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएच.डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी।

क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।

ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो।

ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो, जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

ङ) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

- नोट : 1. इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।
2. ऐसे निष्णायत कार्यक्रमों में एनईटी/एसएलईटी/एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके लिए वि.अ.आ. सीएसआईआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा एस.एल.ई.टी./एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

- (H) आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
(I) आयु संगणना तिथि 01.01.2023

- तीन (I) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19.05.2023 तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिचीक्षा पर की जाएगी।
- (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (V) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
- (vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
- (vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवार्यें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छः अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

- (1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
- (2) ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। 40% तथा 30% अंकों की गणना में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होंगे।
- (3) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।
- (4) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देशा यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

आठ प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :-

कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम	कोड	नाम
01	भोपाल	02	इन्दौर	03	ग्वालियर	04	जबलपुर	05	सागर
06	उज्जैन	07	शहडोल	08	चंबल	09	रीवा	10	नर्मदापुरम

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।


नों आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी

द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति निर्मित होती है, तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट दें :-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -1
- (ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट -4
- (v) परीक्षा के संबंध में निर्देश परिशिष्ट-5



सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

- 1 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा-उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

टीप :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

(2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट:-

- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यक्षीन होगी।
- 4 उपरोक्त विन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- 5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में हैं अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

- नोट :-
- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 विन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
 - (02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- 1 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।
- 2 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों की दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान (ग्रंथपाल) के रूप में कार्यरत थे।

- 3 उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कार्य दिवसों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कार्य दिवसों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्य दिवसों पर	01 अंक

वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो म.प्र. मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48वर्ष)	

- 4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- 5 उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 6 अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्याधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

कार्यालय, प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल:

.....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक:

स्थान:, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (अतिथि विद्वान का नाम)

आत्मज/आत्मजा श्री ने इस महाविद्यालय के

..... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य

संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कार्यदिवसों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

प्रपत्र-2

विषय: _____

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कार्यदिवसों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कार्यदिवसों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कार्यदिवसों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्यदिवसों पर : 01 अंक

अधिभार की गणना की तालिका


शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यो का/के नाम	महाविद्यालयवार कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
..... (प्रथम सत्र)
..... (द्वितीय सत्र)
..... (तृतीय सत्र)
..... (चतुर्थ सत्र)
..... (पंचम सत्र)
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):						

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान	
अनुभव के कुल अंक : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
प्राचार्य / कुलसचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर:	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

टीप:- जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।



परिशिष्ट- तीन

ग्रंथपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिचवाते समय रिफ्लेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंख स्पष्टतः दिख रही हो।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करें जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा अविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
9. त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.04.2023 से 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में

अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।

11. **अत्यावश्यक :-**

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजॉन्टल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 20.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 19.05.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 20.04.2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 21.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-**

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	
टीप :-	1. परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से ₹50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-**

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट WWW.mppsc.mp.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर [locateKiosk/CSCsLink](#) देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

<p>अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।</p> <p style="text-align: center;">Click here to Apply</p> <p style="text-align: center;">Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt</p> <p style="text-align: center;">Click here to Edit</p> <p style="text-align: center;">Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status</p> <p style="text-align: center;">Click Here to View Advertisement</p>
--

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले [Click here to View Advertisement](#) को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी [Click here to Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी।

Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर jpg फॉर्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे:-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत **Proceed to Payment** का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटरआईजड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।

8. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में **MPPSC** सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना

पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारीयां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।
जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारीयां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारीयां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
 - ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।
- नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. अन्य निर्देश/ जानकारी :-

- 1 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
- 2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी।
- 3 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
- 4 पहचान चिह्न :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिह्न बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिह्न वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकती है।
- 5 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
- 6 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19.05.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि

यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है / उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-

- 1 परीक्षा का आवेदन पत्र
- 2 आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
- 3 आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिकयूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
- 4 शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
- 5 मूल-निवासी / स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।
- 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- 7 जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाण आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते:-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं _____ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 52/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ

1. मैं _____पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/ _____ जिला _____, मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____ जाति का/ की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

रोल नंबर _____

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

- 8 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु)
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
- 9 शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

- 10 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- 11 विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।
- 12 अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र ।
उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

- लिफाफे के शीर्ष पर "ग्रंथपाल" के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
- अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएँ ।
- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :- परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-

- जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
- प्रतिरूपण किया हो; या
- किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
- परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
- परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या
- परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनूशांसा की जाएगी।
(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेश-पत्र -

01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

- (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और
- (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
- (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
- (घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक (निर्धारित नहीं) से 52/2022 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने ग्रंथपाल के विज्ञापन क्रमांक 52/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

रोल नंबर

01. ग्रंथपाल के पदों का परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।


(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पत्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
- (फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
- (ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।



परिशिष्ट-चार

- टीप - ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश
- ऑ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन ऑप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।
- 1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
 - 2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
 - 3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
 - 4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
 - 5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - 6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
 - 7 ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -
 - (अ) प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइंट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
 - (ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
 - (स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
 - (द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़ का, पाचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं.	चित्र 1				
6	8	4	0	2	1
○	○	○	●	○	○
①	①	①	①	①	●
②	②	②	②	●	②
③	③	③	③	③	③
④	④	●	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
●	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

- 01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
- 02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
 निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - ओ.एस.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

- केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-



- पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
- उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (.) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
- उत्तर पत्र पर कचचा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
- प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
- अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार - अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलकुलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास,

स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भंगिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों / व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रत्येक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

- 1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
- 2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/ चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

- 1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
- 2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो ओर इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- 5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

- 1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- 2 परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।

तेरह- अनुशासन व शालीनता

- 1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- 3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा - 2022

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 53/2022/ 30.12.2022

ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अंतिम तिथि 27.05.2023 दोपहर 12.00 बजे तक

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28-04-2023 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 27.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
2. क्रीड़ा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार से मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली-भांति अवलोकन करने के पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28-04-2023 से 29.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता /अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र :-

1. परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।
2. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा केन्द्र आवंटन हेतु शहर की अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है, जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है। अतएव इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

G. परीक्षा नियम / निर्देश आदि :-

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समयपूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा उपरोक्तानुसार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
5. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अन्य कोई भी औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आयोग को दें अदिलम्ब सूचित कर ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार-पत्र के आगामी अंक में किया जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत क्रीड़ा अधिकारी के निम्नानुसार पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

विषय	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
	UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
क्रीड़ा अधिकारी (Sports Officer)	23	9	77	15	5	129	8	3	25	5	2	1	0	9	0
Abbreviations:	UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो - पद का विवरण

- (A) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 (B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
 (C) पद स्थिति : स्थायी
 (D) वेतनमान : युक्तियुक्त एंटी पे रू 57,700 अकादमिक स्तर 10
 (E) कर्तव्य : शैक्षणिक कार्य
 (F) पद का नाम : क्रीड़ा अधिकारी
 (G) अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

(I) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55 प्रतिशत अंको (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णायत उपाधि ।
 2/ अंतर्विश्वविद्यालयी/अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और / अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड ।
 3/ उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा अभ्यर्थी को वि.अ.आ., अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो। बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएच.डी. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों / उपविधियों / विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी. धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी।

- क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो।
 ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो।
 ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो।
 घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो,

जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।

ड) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर सम्मेलन / विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोट (क) से (ड) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

4/ ऐसी विधाओं में निष्णायत कार्यक्रमों में एनईटी / एसएलईटी / एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा, जिसके लिए वि.अ.आ., सीएसआईआर द्वारा एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अथवा वि.अ.आ. द्वारा एसएलईटी / एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

5/ इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गई शारीरिक-फिटनेश परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख) एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि हो।

(H)	शारीरिक स्वास्थ्यता जाँच संबंधी मानदंड :-	क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता जाँच करना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं ।			
ख) उपरोक्त उपखंड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा:					
नियमन जो पुरुषों के लिए है					
12 मिनट वाली दौड़/ चलने का परीक्षण					
30 वर्ष तक के लिए	40 वर्ष तक के लिए	45 वर्ष तक के लिए	50 वर्ष तक के लिए		
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर		
नियमन जो महिलाओं के लिए है					
8 मिनट वाली दौड़/ चलने का परीक्षण					
30 वर्ष तक के लिए	40 वर्ष तक के लिए	45 वर्ष तक के लिए	50 वर्ष तक के लिए		
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर		

(I) आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(J) आयु संगणना तिथि 01.01.2023

- तीन
- (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.05.2023 तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
 - (ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पूर्व तक वृद्धि की जा सकेगी। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
 - (iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
 - (iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

- (V) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।
- (VI) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा।
- (VII) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

छः अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया :-

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

40% तथा 30% अंकों की गणना में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक सम्मिलित नहीं होंगे।

- (3) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तानों में अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची जारी की जाएगी।
- (4) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रतियोगी परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से (वस्तुनिष्ठ ओ.एम.आर. आधारित) आयोजित की जाएगी। ओ.एम.आर. संबंधित निर्देशों हेतु परिशिष्ट 4 (आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश) का अवलोकन करें। यदि ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित निर्देश यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों की जानकारी यथासमय आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

आठ प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :-

कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम	कोड़	नाम
01	भोपाल	02	इन्दौर	03	ग्वालियर	04	जबलपुर	05	सागर
06	उज्जैन	07	शहडोल	08	चंबल	09	रीवा	10	नर्मदापुरम

परीक्षा केन्द्रों के संबंध में आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त में से प्राथमिकता क्रम में चार परीक्षा शहर का चयन करेंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है की अभ्यर्थी को उसके द्वारा चयनित केंद्र ही आबंटित किया जावे। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से पृथक केंद्र भी आबंटित किया जा सकेगा। परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नों आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिए कि वह अचलित नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जाएगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति निर्मित होती है, तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -1
- (ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा के संबंध में निर्देश परिशिष्ट -4

सचिव

उच्चतर आयु सीमा में देय छूट

- 1 मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ दिव्यांगजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

अतिथि विद्वानों को देय आयु-सीमा में छूट :-

उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीडा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तथा उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष निर्धारित है जो 03 वर्ष की विशेष छूट को मिलाकर 48 वर्ष है।

टीप :- उपरोक्त आयु-सीमा में छूट केवल उन अतिथि विद्वानों को दी जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे।

- (2) अन्य छूट :- प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट:-

- 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 2 विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 3.9.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 3 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 427/1422/1(3)82, दिनांक 14 जून 1982 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुज्ञेय आयु सीमा में छूट भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गयी सेवा के आधार पर अधिकतम 3 वर्षों की छूट होगी जो की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्वधीन होगी।
- 4 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (1,2,3) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।
- 5 समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

नोट :-	(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 विन्दु 1 तथा 2 में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। (02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (03) अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष रहेगी।
(तीन)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्वधीन रहेगी।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38/1, दिनांक 20.12.2022 द्वारा आयु सीमा में छूट का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- 1 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निर्धारित आयु-सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु-सीमा से अधिक नहीं होगी।
- 2 उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में क्रीड़ा अधिकारी का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है, उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 04 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिए जाएंगे, वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे।

उपरोक्त कंडिका 01 एवं 02 दी गई छूट वर्ष 2022 तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित होने वाली चयन प्रक्रियाओं में केवल उन अतिथि विद्वानों की दी जाएगी, जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान (क्रीड़ा अधिकारी) के रूप में कार्यरत थे।

- 3 उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संबन्धित विषयों का अध्यापन कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :-

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कार्य दिवसों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कार्य दिवसों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्य दिवसों पर	01 अंक
वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वानों तथा मध्य प्रदेश के बाहर से आए अतिथि विद्वानों के लिए भी मान्य होगी।		

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	1. अभ्यर्थी सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो म.प्र. मध्य प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-12/2017/38-1, दिनांक 14.08.2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। (45+03 वर्ष विशेष छूट = 48वर्ष)	

- 4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -एक में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
- 5 उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न प्रपत्र -दो (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगे तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 6 अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 48 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यापन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

कार्यालय, प्राचार्य, (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल:

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक:

स्थान:, दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री (अतिथि विद्वान का नाम)

आत्मज/आत्मजा श्री ने इस महाविद्यालय के

..... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य

संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कार्यदिवसों की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यालयीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान:

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक
(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

प्रपत्र-2

विषय: _____

आवेदक का पूरा नाम :

पिता/पति का नाम :

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जाएंगे। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए ग्रंथपाल/ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कार्यदिवसों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कार्यदिवसों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कार्यदिवसों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कार्यदिवसों पर : 01 अंक

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यां का/के नाम	महाविद्यालयवार कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
..... (प्रथम सत्र)
..... (द्वितीय सत्र)
..... (तृतीय सत्र)
..... (चतुर्थ सत्र)
..... (पंचम सत्र)
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):						

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान	
अनुभव के कुल अंक : <input type="text"/>	(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
प्राचार्य / कुलसचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर:	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

टीपः- जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

परिशिष्ट- तीन

क्रीड़ा अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

1. ऑनलाइन आवेदन-पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त अभ्यर्थी निम्नांकित माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
 - अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
 - ब. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें, जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो खींचने का दिनांक अंकित हो जो तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढँकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वही नाम/उपनाम/जन्म तिथि को उल्लेखित करें जो उनकी हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नाम परिवर्तन करवाया गया है तब भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हाई स्कूल की अंकसूची में उल्लेखित उक्त विवरण ही मान्य होंगे।
6. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जाएगी। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र Submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी "Payment Done" उल्लेखित आवेदन-पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र को जमा मानें।
9. त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 28-04-2023 से 29.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक प्रति सत्र त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र की स्थिति में

अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/ पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगजन/ भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी उक्त आवेदन-पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन-पत्र में अंकित आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।

11. अत्यावश्यक :-

यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में वटिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजॉटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

- कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन-पत्र दिनांक 28-04-2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 27.05.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
- आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 28-04-2023 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 29.05.2023 (दोपहर 12:00 बजे) को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन-पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

मद्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹250/-	₹ 500/-
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	
टीप :-	1. परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से ₹50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्नांकित दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

मद्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन-पत्र वेबसाइट WWW.mppsc.mp.gov.in एवं www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए www.mponline.gov.in पर [locateKiosk/CSCsLink](#) देखें। अभ्यर्थी हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

<p>अभ्यर्थी https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर  बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।</p> <p style="text-align: center;">Click here to Apply</p> <p style="text-align: center;">Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt</p> <p style="text-align: center;">Click here to Edit</p> <p style="text-align: center;">Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status</p> <p style="text-align: center;">Click Here to View Advertisement</p>
--

अभ्यर्थी फार्म भरने से पहले [Click here to View Advertisement](#) को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही अभ्यर्थी [Click here to Apply](#) को क्लिक करें। इसके उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। अभ्यर्थी को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर अभ्यर्थी को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देंगी।

Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब अभ्यर्थी **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में अभ्यर्थी ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

अभ्यर्थी फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाए। इससे अभ्यर्थी को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे:-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। अभ्यर्थी फार्म भरने के उपरांत **Proceed to Payment** का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नम्बर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं उसे संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - अभ्यर्थी किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। अभ्यर्थी इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को स्क्रीन पर पावती नंबर और अभ्यर्थी का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो ।

8. एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन-पत्र / परीक्षा शुल्क भरने की विधि:-

अभ्यर्थी आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाएगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में **MPPSC** सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां अभ्यर्थी को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत अभ्यर्थी कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना

पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जाए। कियोस्क संचालक अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। अभ्यर्थी सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद अभ्यर्थी को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही अभ्यर्थी से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

अभ्यर्थी इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।
जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

9. यदि अभ्यर्थी के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है:-

इसके लिए अभ्यर्थी को उपरोक्त बताए गए बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ अभ्यर्थी द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन-पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिसपर भुगतान की गयी राशि तथा "Payment Done" अंकित हो।

- अभ्यर्थियों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का झूफट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही मानी जाएगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720210 तथा 0755-6720211

2. अन्य निर्देश/ जानकारी :-

- 1 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
- 2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएँ दी जाएंगी।
- 3 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/ केन्द्राध्यक्ष/ अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुँचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जाएगा।
- 4 पहचान चिह्न :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिह्न लगाएंगे तो उसे पहचान चिह्न बनाया माना जाएगा। ऐसे पहचान चिह्न वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
- 5 परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित हैं।
- 6 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन-पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किए गए समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. आवेदन की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27.05.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12.00 के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. नियोक्ता की अनापत्ति:-

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Undertaking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि

यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है / उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-

- 1 परीक्षा का आवेदन पत्र
- 2 आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
- 3 आयु संबंधी प्रमाण के लिए - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिकयूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
- 4 शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
- 5 मूल-निवासी / स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र।
- 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- 7 जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते:-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किए जाएंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं _____ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 53/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता / करती हूँ

1. मैं _____पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/ कस्बा/ शहर/ _____जिला _____, मध्य प्रदेश का/ की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____जाति का/ की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

रोल नंबर _____

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/ रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

- 8 दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु)
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

- 9 शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

- 10 अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।
- 11 विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।
- 12 अतिथि विद्वान अनुभव प्रमाण-पत्र ।
उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्नांकित पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्य प्रदेश 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर "क्रीड़ा अधिकारी" के साक्षात्कार हेतु अभिलेख" तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के परीक्षा का रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लाएँ ।
3. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :- परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम निर्धारित तिथि के पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही:- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है:-
- 01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
 - 02 प्रतिरूपण किया हो; या
 - 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
 - 04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
 - 05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
 - 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
 - 07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
 - 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
 - 09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
 - 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
 - 11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या
 - 12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
 - (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
 - (दो) यदि वह शासन के आधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के आधीन उस पर आनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनूशांसा की जाएगी।
 - (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके आधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है, उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेश-पत्र -

01 अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि:-

- (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र धारण न करता हो, और
- (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
- (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
- (घ) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाए गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश-पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी e-Mall द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक (निर्धारित नहीं) से 53/2022 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश-पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश-पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपए पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी अभ्यर्थी का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करे। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण - अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी:-

1	आधार कार्ड	6	केन्द्र शासन/ राज्य शासन/ सार्वजनिक सेवा के उपक्रम के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	पासपोर्ट		

08 मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रारूप निम्नानुसार है:-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने क्रीड़ा अधिकारी के पदों के विज्ञापन क्रमांक 53/2022 दिनांक 30.12.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाए। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

रोल नंबर

01. क्रीड़ा अधिकारी के पदों का परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

- 1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
- 2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

- 1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी

स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

- (द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।
- (फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
- (ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-चार

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

- टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।
- 1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल प्वाइंट पेन अवश्य लाएं।
 - 2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल प्वाइंट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा जांची नहीं जा सकेगी।
 - 3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
 - 4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
 - 5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - 6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी।
 - 7 ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -

- (अ) प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाइंट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ व्हाइटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।
- (स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।
- (द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल प्वाइंट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पाचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल प्वाइंट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल प्वाइंट से गहरा काला करें। अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं.	चित्र 1
6	8
4	0
2	1
0	9
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
9	0

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

- 01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
- 02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल प्वाइंट पेन, प्रवेश-पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो- निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा वे जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
 निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन- ओ.एस.आर.शीट पर नाम और अनुक्रमांक :-

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एस.आर.शीट पर पेंसिल, रबर एवं व्हाइटनर का उपयोग करने या अभ्यर्थी के पास कक्ष में पाए जाने पर अनुचित साधन का प्रकरण जर्द किया जाएगा। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से अनिवार्यतः काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है। सेट का गोला काला नहीं करने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

उत्तर अंकित करने हेतु अनुदेश -

- केवल काली स्याही वाले बॉल प्वाइंट पेन का प्रायोग करें।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर - पत्र में दिए गए प्रश्न क्रमांक के सामने संबद्ध गोले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु केवल एक ही गोले को गहरा काला करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है :-



- पूरे गोले को गहरा काला कीजिए।
- उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला कीजिए एक से अधिक गोले काले करने / चिह्न (•) होने पर भी उत्तर मान्य नहीं होगा।
- उत्तर पत्र पर कच्चा काम करना मना है। इस काम के लिए प्रश्न पत्र के अंत में खाली जगह का ही उपयोग कीजिए।
- प्रश्न-पत्र के सेट के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर-पत्र में काले किए गए सेट के गोले के आधार पर ही उसे जाँचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- अभ्यर्थी अगर प्रश्न पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एवं वह अयोग्य माना जाएगा।
- अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका कक्ष के वीक्षक को ही जमा करें।
- अभ्यर्थी अगर अपनी ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के गोले भरने / मिटाने के लिए यदि पेंसिल / व्हाइटनर का उपयोग करता है, तो नकल का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

चार- अनुचित साधन :-

परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण जैसे मोबाइल, वॉच, डिजिटल डायरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेजर, केलक्युलेटर आदि तथा पेंसिल, रबर व्हाइटनर जैसी सामग्री के साथ पाया जाता है, तो अनुचित साधन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। उनके पास कम्पास,

स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या कागज जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो। अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर नकल प्रकरण दर्ज होगा।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएँ आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार भव भ्रमिमा से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य प्रदेशों के आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों / व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के निर्दिष्ट तिथियों पर 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपए प्रति प्रश्न तथा रुपए 40 प्रति सत्र पोर्टल चार्ज प्रथक से देय) आपत्ति शुल्क एवं पोर्टल चार्ज किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराए। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने पर देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। दर्ज आपत्तियाँ सही पाई जाने पर संशोधन का लाभ समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा। भले ली उनके द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं की गई हो।

छः - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

- 1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
- 2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/ चिह्न न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

- 1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
- 2 मानसिक रूप से संस्तम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- 5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी भय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(I) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(II) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

- 1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा / स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- 2 परीक्षार्थियों को अपने साथ पेंसिल, व्हाइटनर, डिजिटल डायरी, वॉच, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं। उपरोक्त वर्जित वस्तुएं अभ्यर्थी के पास पाए जाने पर अनुचित साधन प्रकरण अंतर्गत नकल प्रकरण बनाया जाएगा।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यतः उनका पालन करें।
तेरह - अनुशासन व शालीनता

- 1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- 3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।